



झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000

(मॉडल ऐक्ट के अनुरूप यथा संशोधित 2013)

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, इटकी रोड, राँची के सूचना तकनीक कोषांग द्वारा पर्षद
के वेबसाइट www.jsamb.nic.in पर जनसाधारण के लिए प्रकाशित
सितम्बर 2013

- (मूल स्रोत- 1. मल्होत्रा ब्रदर्स, फेजर रोड पटना द्वारा प्रकाशित पुस्तक "बिहार कृषि उपज बाजार मैनुअल-2005 संस्करण"
2., झारखण्ड सरकार के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग की अधिसूचना सं० 2348 प्रकाशन तिथि 15 जुलाई, 2013)

भाग 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 कही जा सकेगी।
2. **परिभाषाएं**— जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में—
 - (i) **‘अधिनियम’** से अभिप्रेत है झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000;
 - (ii) **‘सहायक सचिव’** से अभिप्रेत है सचिव की सहायता करने तथा सचिव की शक्तियों का प्रयोग और सचिव के किसी या सभी कृत्यों के निर्वहन करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी;
 - (iii) **‘अध्यक्ष’** से अभिप्रेत है बाजार समिति का अध्यक्ष;
 - (iv) **‘सहकारी सोसाइटी’** से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त सहकारी विपणन सोसाइटी से संबंधित विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और बाजार समिति द्वारा निर्गत व्यापारी अनुज्ञप्ति धारण करने वाली कोई सोसाइटी;
 - (v) **‘समिति’** से अभिप्रेत है बाजार समिति;
 - (vi) **‘उप-निदेशक’** से अभिप्रेत है उप-निदेशक, कृषि विपणन और इसके अन्तर्गत इस नियमावली के अधीन उप-निदेशक के किसी या सभी शक्तियों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा नियुक्त सहायक निदेशक भी है;
 - (vii) **‘निर्वाचन पदाधिकारी’** से अभिप्रेत है समाहर्ता या उपायुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में बाजार समिति अवस्थित हो तथा जो उप समाहर्ता से न्यून पंक्ति का न हो तथा इसके अन्तर्गत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है जो बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वाचन अधिकारी के सभी या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया हो;
 - (viii) **‘वित्त-वर्ष’** से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से प्रारम्भ होनेवाला वर्ष;
 - (ix) **‘सरकार’** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
 - (x) **‘ग्राम पंचायत’** से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2000 की संगत धारा के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत;
 - (xi) **‘भूमि’** से अभिप्रेत है कृषि या उद्यान या पशुपालन या वन या मत्स्य पालन के प्रयोजन के लिए स्वयं या अपने पशुधन या अपने सेवकों या भाड़े के मजदूरों या भाड़े के पशुधन द्वारा ऐसी भूमि को जोतकर उसपर कृषि या उद्यान या पशुपालन या वन या मत्स्यपालन संक्रियाएं करे जिसमें उपयोग में लाई गई भूमि, भंडारण प्रसंस्करण एवं निर्माण कार्य सम्मिलित है;
 - (xii) **‘सदस्य’** से अभिप्रेत है बाजार समिति का सदस्य;
 - (xiii) **‘धारा’** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
 - (xiv) **‘अप्राधिकृत व्यापारिक छूट’** से अभिप्रेत है वह व्यापारिक छूट जो इस नियमावली या उप-विधि द्वारा विहित नहीं है;
 - (xv) **‘उपाध्यक्ष’** से अभिप्रेत है बाजार समिति का उपाध्यक्ष;
 - (xvi) जो शब्द और पद अधिनियम में प्रयुक्त हैं और नियमावली में परिभाषित नहीं हैं उन सब के कमशः वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।
 - (xvii) **‘एग्रीमेंट रिकार्डिंग अथॉरिटी’** से तात्पर्य ऐसे नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी से है जो कि संविदा कृषि प्रायोजक और संविदा कृषि उत्पादक के मध्य होने वाले संविदा कृषि करार को रिकार्ड करेगा।
 - (xviii) **‘मूल्यांकन प्राधिकारी’** से तात्पर्य सचिव बाजार समिति से है, जबकि निजी ई-बाजार, कृषि कार्य करनेवाले कृषक से प्रत्यक्ष खरीद, उपभोक्ता / कृषक बाजार और संविदा कृषि के मामले में यह कार्य प्रबंध निदेशक / निदेशक विपणन / प्राधिकृत पदाधिकारी करेगा।
 - (xix) **‘दलाल’** से आशय एक ऐसे एजेंट से है जो सामान्यतया दलाली के भुगतान पर अपने प्रधान की ओर से अधिसूचित कृषि उपज की खरीद अथवा बिक्री के लिए सौदेबाजी करने और संविदा करने का कार्य करता हो, लेकिन इसमें ऐसे प्रधान का नौकर शामिल नहीं है चाहे वह सौदेबाजी में अथवा ऐसी संविदाएं करने के कार्य में संलग्न हो।
 - (xx) **‘दुलाई अथवा निकासी एजेंट’** से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो प्रेषण एजेंट सहित किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रूप से निकासी और अग्रेषण प्रचालन कार्यों से संबंधित सेवा प्रदान कर रहा हो।
 - (xxi) **‘उपभोक्ता/कृषक बाजार’** से आशय अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत स्थापित ऐसे बाजार से है जिसका प्रबंधन बाजार समिति के किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जाता हो, जहाँ पर कृषक नियमावली में निर्धारित सीमा तक, अपनी कृषि उपज ग्राहकों को बेचते हैं।

(xxii) 'संविदा कृषि उत्पादक' से आशय एकल कृषक से अथवा कृषकों के ऐसे समूह से है, जिसका नाम किसी कानून के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के लिए दर्ज किया गया हो।

(xxiii) 'संविदा कृषि प्रायोजक' से आशय संविदा कृषि करार के अन्तर्गत संविदा कृषि उत्पादक से कृषि उपज की खरीद करने वाले व्यक्ति से है।

(xxiv) 'प्रपत्र' से आशय इन नियमों के परिशिष्ट रूप में लगे प्रपत्र से है।

(xxv) 'अग्नेषण एजेंट' से आशय ऐसे व्यक्ति अथवा स्थानीय उत्पादक-सह-व्यापारियों के समूह अथवा ट्रान्सपोर्टर से है जो कि कमीशन आधार पर बाजार क्षेत्र में उत्पादकों से कृषि उपज का संग्रहण करता हो और संग्रहित उपज को झारखण्ड राज्य के अन्दर अथवा बाहर बिक्री के लिए कमीशन एजेंटों, खरीदारों, व्यापारियों को भेजने के लिए परिवहन व्यवस्था करता हो।

(xxvi) 'अकस्मात प्रभार' से आशय ऐसे प्रभारों से है जो कि नीलामी अथवा सौदेबाजी के समय बोली को अन्तिम रूप देने से पूर्व कृषि उपज की तौल के लिए पारिश्रमिक सहित उतराई, रखवाई, सफाई और साज सज्जा जैसे कार्यों के लिए लगाये जाते हैं।

(xxvii) 'लाइसेंसिंग प्राधिकारी' से आशय उस प्राधिकारी से है जिसके पास अधिनियम की धारा 56 एवं नियम 98 के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने अथवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।

(xxviii) 'बाजार समिति का कार्यालय' से आशय उस स्थान से है जहाँ पर बाजार समिति का मुख्यालय स्थित है।

(xxix) 'निजी बाजार' से आशय ऐसे बाजार से है जो कि अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी प्रकार की कृषि उपज के लिए अधिनियम की धारा 5(1) एवं 5(3) के अन्तर्गत स्थापित हो, इसमें बाजार समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी ई-बाजार भी शामिल है।

(xxx) 'पंजीयन प्राधिकारी' से आशय बाजार कार्यकर्ताओं के पंजीकरण के लिए नियमावली के नियम 100 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से है।

(xxxi) 'पंजीकरण धारक' से आशय इन नियमों के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति से है।

(xxxii) 'सचिव' से आशय कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से है।

(xxxiii) 'धारा' से आशय अधिनियम की धारा से है।

(xxxiv) 'प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी' से आशय संविदा कृषि प्रायोजन के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी से है।

(xxxv) 'बाजार सर्वेक्षक' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो बाजार क्षेत्र अथवा बाजार में बिक्री के लिए आई कृषि उपज की गुणवत्ता, अपवर्तन, अपमिश्रण और ऐसे अन्य विनियमन एवं विपणन कार्य के लिए सर्वेक्षण करता है।

भाग 2

बाजार समितियों का गठन एवं निर्वाचन

3. कतिपय हितों से सम्बद्ध स्थान कैसे वितरित किए जाएंगे— (i) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सात कृषकों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बाजार क्षेत्र को सात निर्वाचन क्षेत्रों में इस रीति से विभाजित किया जायेगा कि मतदाताओं की संख्या प्रश्नगत बाजार क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या के 1/7 से अधिक न हो ताकि ऐसे हर निर्वाचन-क्षेत्र से एक-एक कृषक निर्वाचित हो सके। यह कृषक निर्वाचन-क्षेत्र कहलाएगा।

(i-क) निर्वाचन पदाधिकारी सात कृषक निर्वाचन-क्षेत्रों से, यथास्थिति एक अनुसूचित और दूसरा अनुसूचित जन-जाति के लिए निम्नलिखित रूप से आरक्षित करेगा—

(1) जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक हो वह अनुसूचित जाति के लिए तथा जिसमें अनुसूचित जन-जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक हो वह अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित रहेगा।

(2) जिस बाजार क्षेत्र में अनुसूचित जन-जाति के मतदाता नहीं हो उसमें दोनों स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) जिस बाजार क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाता नहीं हो उसमें दोनों स्थान अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित रहेंगे।

(4) जिस बाजार क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के मतदाता नहीं हो उसमें दोनों ही स्थान के लिए अनारक्षित समझे जायेंगे।

(ii) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन दो व्यापारियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बाजार क्षेत्र को दो निर्वाचन क्षेत्रों में, जिन्हें व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र कहा जायेगा, इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि मतदाताओं की संख्या प्रश्नगत बाजार क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो ताकि, सहकारी समितियों से भिन्न, ऐसे हर निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक अनुज्ञप्त व्यापारी निर्वाचित हो सके।

(iii) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन सहकारी समितियों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बाजार क्षेत्र दो निर्वाचन क्षेत्रों, जिन्हें सहकारी समिति निर्वाचन क्षेत्र कहा जायेगा, में इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि मतदाताओं की संख्या प्रश्नगत बाजार क्षेत्र के मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लाइसेंस रखने वाली सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति निर्वाचित हो सके।

(iv) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के अधीन यथास्थिति, नगर निगम या नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जिसकी अधिकारिता में मुख्य बाजार अवस्थित हो, के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, जिसे स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र कहा जायेगा, ताकि यथास्थिति, नगर निगम या नगरपालिका या ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति के सदस्यों में से एक व्यक्ति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से हो सके।

(v) जहाँ बाजार क्षेत्र को ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से दृढ़तापूर्वक विभाजित करना संभव नहीं हो वहाँ हरेक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में अधिकतम 15 प्रतिशत का फेरफार करना अनुज्ञेय होगा।

(vi)(क) निर्वाचन पदाधिकारी ऊपर विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराएगा और इसे बाजार समिति के कार्यालय में तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे अन्य सहज-दृश्य स्थानों में जहाँ कि वह उचित समझे 21 दिनों तक प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करेगा।

(ख) आपत्तिकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अन्तिम रूप से प्रकाशित करेगा।

4. मत देने के लिए अर्हित व्यक्ति- (i) कृषक निर्वाचन क्षेत्र— साधारणतया कृषक निर्वाचन क्षेत्र में रहनेवाले निम्नलिखित व्यक्ति, यदि नियम 6 या धारा 10 के अधीन निरर्हित नहीं हो तो नियम 3 के उप-नियम (i) के अधीन कृषक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के हकदार होंगे—

(क) बाजार क्षेत्र के भीतर ऐसे स्वत्वांतरित या अस्वत्वांतरित भूमि का धारक, जिसका लगान नियम 5 के उप-नियम (iii) के अधीन औपबंधिक रूप से मतदाता सूची प्रकाशित होने की तारीख के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त में, संयुक्त रूप से या अलग-अलग 10 रु0 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए 5 रु0 से अन्यून रकम पर निर्धारित हुआ हो, या

(ख) ऐसी अस्वत्वांतरित भूमि के अभिधारी, जिसका लगान नियम 5 के उप-नियम (iii) के अधीन औपबंधिक रूप से मतदाता सूची प्रकाशित होने की तारीख के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त में 10 रु0 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए 5 रु0 से अन्यून रकम पर निर्धारित हुआ हो, या

(ग) ऐसी स्वत्वांतरित भूमि के अभिधारी, जिसका लगान नियम 5 के उप-नियम (iii) के अधीन औपबंधिक रूप से मतदाता सूची प्रकाशित होने की तारीख के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त में 10 रु0 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए 5 रु0 से अन्यून रकम पर निर्धारित हुआ हो।

स्पष्टीकरण (1)— कोई व्यक्ति साधारणतया उस क्षेत्र में रहनेवाला माना जायेगा यदि वह उस क्षेत्र के लिए तत्काल तैयार की जा रही मतदाता सूची के नियम 5 के उप-नियम (iii) के अधीन औपबंधिक रूप से प्रकाशित होने के वर्ष पूर्ववर्ती पंचांग वर्ष के दौरान, कुल मिला कर 180 दिनों तक वास्तव में रहा हो।

स्पष्टीकरण (2)— कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार नहीं होगा।

(ii) व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र— बाजार समिति की विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने वाले ऐसे सभी व्यापारी, जो सहकारी सोसाइटी से भिन्न हों, नियम 5 के उप-नियम (iii) के अधीन औपबंधिक रूप से मतदाता सूची प्रकाशित होने की तारीख को नियम 3 के उप-नियम (ii) के अधीन व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होंगे, बशर्ते कि धारा 10 या नियम 6 के अधीन निरर्हित न हों।

स्पष्टीकरण (1)— इस नियम के अधीन व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में मत देने के लिए अर्हित हरेक फर्म या निगम, अपनी और से मत देने के लिए एक व्यक्ति का नाम निर्देशन करेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्ति का नाम उस तारीख तक बाजार समिति को लिखित रूप से प्रज्ञापित कर देगा।

स्पष्टीकरण (2)— कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार नहीं होगा।

(iii) सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र— नियम 5 के उप-नियम (iii) के अधीन औपबंधिक रूप से मतदाता सूची प्रकाशित होने की तारीख को बाजार समिति द्वारा निर्गत विधिमान्य व्यापारी अनुज्ञप्ति धारण करने वाली और बाजार क्षेत्र में काम करने वाली सभी सहकारी सोसाइटियाँ नियम 3 के उप-नियम (iii) के अधीन सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता होंगी, बशर्ते कि धारा 10 या नियम 6 के अधीन निरर्हित न हों।

स्पष्टीकरण— सहकारी सोसाइटी का यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष ऐसे केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी सोसाइटी की और से मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(iv) स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र— यथास्थिति, किसी ऐसे नगर निगम या नगरपालिका या ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी का सदस्य जिसकी अधिकारिता में मुख्य बाजार यार्ड अवस्थित हो, नियम 3 के उप-नियम (iv) के अधीन स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होगा, बशर्ते कि धारा 10 या नियम 6 के अधीन निरहित न हो।

5. (i) निर्वाचन पदाधिकारी धारा 9 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृषक निर्वाचन क्षेत्र, व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र, सहकारी समिति निर्वाचन क्षेत्र और स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए अर्हित मतदाताओं की अलग-अलग सूची तैयार करवाएगा। ऐसी सूची प्रति वर्ष निम्नलिखित रीति से पुनरीक्षित कराई जायेगी—

(I) अंचलाधिकारी मतदाता सूची को विभिन्न सुविधाजनक खण्डों में विभाजित करेगा एवं क्रमानुसार संख्यांकित करेगा।

(II) वह सूची को या सूची के सुविधाजनक खण्ड को अपने कार्यालय, संबंधित बाजार समिति के कार्यालय, अंचल निरीक्षक के कार्यालय तथा संबंधित हल्का कर्मचारी के सूचना पट्ट जनवरी के प्रथम सप्ताह में चिपका कर निरीक्षण हेतु प्रकाशित करेगा।

(III) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने या उसमें की गई प्रविष्टियों के संबंध में कोई आपत्ति करने हेतु सूचना उन सभी कार्यालयों के सूचना पट्ट पर लगाई जायेगी, जहाँ नियम 5 (i), (ii) के अधीन मतदाता सूची लगाई गई हो।

(IV) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने का हरेक दावा तथा उसकी प्रविष्टि से संबंधित हरेक आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर दायर किया जायेगा।

(V) मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने के इच्छुक व्यक्ति अपने हरेक दावे पर अपना हस्ताक्षर और उसे ऐसे दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाएगा जिसका नाम मतदाता सूची के उस खण्ड में पहले से सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता हो।

(VI) मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर की जाने वाली हरेक आपत्ति केवल उसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसका नाम उसमें पहले ही सम्मिलित हो और उस दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसका नाम मतदाता सूची के उस खंड में सम्मिलित हो जिसमें आपत्तिजनक नाम हो।

(VII) मतदाता सूची में प्रविष्टि किसी विशिष्ट या विशिष्टियों से संबंधित हरेक आपत्ति उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे संबंधित वह प्रविष्टि हो।

(VIII) हरेक दावा या आपत्ति, नियम 5(i)(IV) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात 15 दिनों के अन्दर या तो निर्वाचन पदाधिकारी या अंचलाधिकारी या संबंधित बाजार समिति या अंचल निरीक्षक या हल्का कर्मचारी को पेश किया जायेगा।

(IX) निर्वाची पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/संबद्ध पणन सचिव/हल्का कर्मचारी के कार्यालय में कोई दावा या आपत्ति प्राप्त होने पर उप नियम (i)(IV) में नियत अन्तिम तिथि से 15 दिनों के अन्दर हल्का कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(X) हल्का कर्मचारी अपने कार्यालय में कोई दावा या आपत्ति प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए उपनियम (i)(IX) में नियत अन्तिम तिथि से 7 दिनों के अन्दर अपने प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित कर देगा।

(XI) उप नियम (i)(IV) में विहित शर्तों से संतुष्ट होने के पश्चात हल्का कर्मचारी अपना प्रतिवेदन देगा।

(XII) निर्वाचन पदाधिकारी किसी दावा या आपत्ति की विधिमान्यता के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात हल्का कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए उप नियम (i)(X) में नियत तिथि से एक सप्ताह की अवधि बीत जाने पर बिना किसी जाँच पड़ताल के उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर देगा।

(XIII) हल्का कर्मचारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्वाची पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर पुनरीक्षित मतदाता सूची तैयार करेगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस प्रयोजनार्थ मत देने के लिए अर्हित सभी व्यक्तियों की विशिष्टियों के साथ नामावली तैयार करने तथा उसे देने के लिए निम्न लिखित पदाधिकारियों को बुलायेगा—

(क) कृषक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के संबंध में बाजार क्षेत्र का अंचलाधिकारी;

(ख) व्यापारी और सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के संबंध में बाजार समिति;

(ग) स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के संबंध में नगर निगम/नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जिसकी अधिकारिता में मुख्य यार्ड अवस्थित है; और

(घ) मतदाता सूची तैयार करने या मतदाता सूची के संबंध में किसी दावे या आपत्ति को विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की पहुँच, बाजार समिति, नगर निगम, नगरपालिका, सहकारी सोसाइटी, ग्राम पंचायत और राजस्व अंचल के कार्यालय के किसी ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज तक हो सकेगी जो, इस प्रयोजन के लिए सहायक हो सके या ऐसे किसी रजिस्टर या दस्तावेज के प्रभारी हरेक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह उक्त पदाधिकारी या व्यक्ति को उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी और उद्धरण दे।

(ii) उप नियम (i) के अधीन तैयार की गई मतदाताओं की हरेक सूची में मतदाता का पूरा नाम, निवास स्थान और कम संख्या वर्ण-कम से दी रहेंगी। कृषक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रारूप (फारम) 1-क में, व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रारूप 1-ख

में, सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रारूप 1-ग में और स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रारूप 1-घ में तैयार की जाएगी।

कृषक मतदाता सूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की जाति का उल्लेख रहेगा।

(iii) ऐसी हरेक सूची सर्वसाधारण की जानकारी के निमित्त निरीक्षण हेतु तथा निर्वाचन पदाधिकारी, सर्किल पदाधिकारी और बाजार समिति के कार्यालयों में उसकी एक प्रति उपलब्ध करा कर तथा प्रदर्शित करा कर या ऐसी रीति से जो, निर्वाचन पदाधिकारी उचित समझे, हिन्दी में औपबन्धिक रूप से प्रकाशित की जायेगी। निर्वाचन पदाधिकारी बाजार क्षेत्र में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में भी इस संबंध में नोटिस प्रकाशित करायेगा।

(iv) औपबन्धिक रूप से सूची प्रकाशित करते समय निर्वाचन पदाधिकारी एक तारीख नियत करेगा जो सूची के प्रकाशन का तारीख से अधिक-से-अधिक 30 दिनों के बाद नहीं होगी और जिसके पहले उसके पास किसी भी प्रविष्टि के जोड़ने या शुद्ध करने के लिए कोई आवेदन किया जायेगा। निर्वाचन पदाधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद इस प्रकार नियत तारीख के पूर्व प्राप्त किसी आवेदन या आपत्ति का विनिश्चय करेगा तथा निर्वाचन पदाधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा। इस प्रकार की हरेक आपत्ति या दावा लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें किसी व्यक्ति का सूची में प्रविष्टि संबंधी अधिकार के प्राख्यात प्रत्याख्यात किए जाने का आधार दावेदार या आपत्तिकर्ता द्वारा किया जानेवाला साक्ष्य, दावेदार या आपत्तिकर्ता का पता, मतदाता सूची में संख्या, प्रविष्टि पर आपत्तिकूल व्यक्ति और मतदाता सूची में निर्वाचन क्षेत्र, जिसके लिए उसकी प्रविष्टि की गयी हो, विनिर्दिष्ट रहेगा। हरेक दावा या आपत्ति डाक द्वारा परिदत्त की जायेगी या भेजी जायेगी, ताकि ऐसा दावा या आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में इसके निमित्त नियत तारीख के पहले पहुंच जाए जो सूची के औपबन्धिक प्रकाशन की तारीख से अधिक-से-अधिक 30 दिन तक होगी।

(v) निर्वाचन पदाधिकारी उप नियम (iv) के अधीन पारित आदेश के अनुसार सूची का संशोधन करायेगा और उसे उप नियम (iii) के अधीन विहित रीति से अन्तिम रूप से प्रकाशित करायेगा।

(vi) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन कर सकेगा। निर्वाचन पदाधिकारी अपना समाधान कर लेने के बाद कि आवेदक सूची में शामिल होने का हकदार है, उसका नाम शामिल करने का निदेश देगा।

परन्तु यदि आवेदक का नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, तो निर्वाचन पदाधिकारी आवेदक का नाम उस सूची से काट देगा और जिस निर्वाचन क्षेत्र में वह मत देने का हकदार है उस मतदाता सूची में उसका नाम शामिल कर देगा।

परन्तु यह और कि निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख के बाद किसी भी प्रविष्टि का संशोधन स्थानान्तरण या विलोपन नहीं किया जायेगा।

(vii) ऐसी अन्तिम सूची की पूर्ण या आंशिक प्रतियां जो निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट करे, निरीक्षण और बिक्रय के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(viii) उप नियम (v) के अधीन प्रकाशित अन्तिम सूची किसी उप-निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता सूची के रूप में प्रवृत्त रहेगी और प्रवर्तन में बनी रहेगी। यदि नियम 5 के उप नियम (i) की अपेक्षानुसार निर्वाचक नामावली पूनरीक्षित नहीं की जाय तो इससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमान्यता का प्रवर्तन प्रभावित नहीं होगा।

6. बाजार समिति में कुछ व्यक्तियों के निर्वाचन या नियुक्ति का वर्जन— कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में नियुक्त या निर्वाचित नहीं होगा—

(i) स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का, यदि वह बाजार समिति द्वारा जारी की गयी व्यापारी अनुज्ञप्ति धारण करता हो या अनुज्ञप्तिधारी का कर्मचारी हो या किसी फर्म का भागीदार हो या अनुज्ञप्तिधारी के संयुक्त कुटुम्ब का सदस्य हो;

(ii) व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र का, यदि वह साधारणतः बाजार क्षेत्र में नहीं रहता हो और बाजार समिति द्वारा दी गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता हो या संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना 6 महीने से अधिक समय के लिए व्यापार नहीं किया हो या बाजार समिति को देय कोई फीस या प्रभार चुकाने में असफल रहा हो या निबंधनों और शर्तों को भंग किया हो जिन पर उसे अनुज्ञप्ति दी गई थी;

(iii) सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र का, यदि वह मतदाता के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए सहकारी सोसाइटी का सभापति या अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता हो;

(iv) कृषक निर्वाचन क्षेत्र का, यदि वह साधारणतः बाजार क्षेत्र में निवास नहीं करता हो या व्यापारी अनुज्ञप्ति रखता हो या संयुक्त कुटुम्ब फर्म में कोई हित रखता हो, जिसे व्यापारी अनुज्ञप्ति है।

7. निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा— नियम 5 के उप नियम (v) के अधीन मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र, निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि उसके द्वारा इस निमित्त नियत तारीख को बाजार समिति में अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर ले। ऐसे हरेक निर्वाचन 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न के बीच होगा।

8. **निर्वाचन करने की सूचना (नोटिस)**— निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन के लिए नियत तारीख से कम-से-कम 45 दिन पहले बाजार क्षेत्र में प्रचारित किसी समाचार पत्र में अथवा अन्य रीति से जैसा वह उचित समझे एक सूचना प्रकाशित कराएगा और ऐसी सूचना की प्रतियां बाजार क्षेत्र के सुगोचर स्थानों पर सटवाएगा जिसमें निम्नलिखित बातें बतायी रहेंगी—

(क) निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या;

(ख) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख, स्थान और समय— यह तारीख नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन से कम न होगी;

(ग) किस तारीख को नाम-निर्देशन पत्रों की छान-बीन की जायेगी;

(घ) यदि मतदान हुआ, तो किस स्थान या किन स्थानों पर निर्वाचनार्थ मतदान होगा और किस समय के दौरान मतदान होगा; और

(ङ) किस तारीख को किस स्थान और समय पर मत-पत्रों (वोटों) की गणना की जाएगी।

9. **नामनिर्देशन— (i)** हरेक उम्मीदवार नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख को निर्वाचन पदाधिकारी के पास प्रारूप (फारम) 2 में पूरा किया गया नामनिर्देशन पत्र देगा।

(ii) हरेक नामनिर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में मत देने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर रहेगा और उम्मीदवार इस पर अपनी घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा कि वह निर्वाचन में खड़ा होने की इच्छा रखता है।

(iii) एक ही व्यक्ति प्रस्तावक के रूप में उतने नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है जितनी भरी जाने वाली रिक्तियां हों। हरेक उम्मीदवार प्रथम नाम निर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(iv) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर, निर्वाचन पदाधिकारी नामनिर्देशन पत्र पर उसकी क्रम संख्या लिखेगा और नामनिर्देशन पत्र किस तारीख को और किस समय उसे प्राप्त हुआ यह भी पुष्पंकित करेगा।

(v) जहाँ किसी व्यक्ति ने प्रस्तावक के रूप में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर किया हो वहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित वे ही पत्र स्वीकृति प्राप्त समझी जाएंगी जो रिक्तियों की संख्या तक पहले प्राप्त हुए हों।

(vi) नियम 8 खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त नाम निर्देशन पत्र रद्द कर दिए जायेंगे।

10. **नामनिर्देशन मद्दे निक्षेप— (i)** नामनिर्देशन पत्र देने के समय या उसके पहले हरेक उम्मीदवार निर्वाचन पदाधिकारी के पास 50 रु0 जमा करेगा, किन्तु यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो, तो वह केवल 20 रु0 जमा करेगा। ऐसा निक्षेप स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थानीय शाखा में संबद्ध बाजार समिति के नाम निकासीकृत बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। कोई भी उम्मीदवार तबतक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट हुआ नहीं समझा जायेगा जबतक कि इस नियम में उल्लिखित निक्षेप नहीं कर दिया जाय।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार जिसने उप नियम (i) में उल्लिखित निक्षेप दिया हो और नियम 15 में विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले या नियम 14 के अधीन ऐसे किसी उम्मीदवार का मनोनयन पत्र रद्द हो जाय तो यह निक्षेप उम्मीदवार को लौटा दिया जायेगा और यदि कोई उम्मीदवार मतदान प्रारम्भ होने के पहले मर जाय तो उसके विधिक प्रतिनिधि को ऐसा निक्षेप लौटा दिया जायेगा।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार जिसने उप नियम (i) में उल्लिखित निक्षेप किया हो, निर्वाचित नहीं हो और निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या द्वारा विभाजित कुल मतों की संख्या के 1/8 से अधिक मत नहीं मिले तो उसका निक्षेप बाजार समिति को समपहृत हो जाएगा।

(iv) उप नियम (iii) के प्रयोजनार्थ कुल मतों की संख्या वह संख्या समझी जाएगी जो रद्द मत-पत्रों को छँट देने के बाद गणना में निकले।

(v) यदि उम्मीदवार द्वारा किया निक्षेप, उपनियम (iii) के अधीन समपहृत नहीं हुआ हो, तो राजकीय राजपत्र में निर्वाचन का परिणाम प्रकाशित होने के बाद उसे यथाशीघ्र लौटा दिया जायेगा।

11. **नामनिर्देशन का सत्यापन—** नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्तावक और उम्मीदवार के नामों का सत्यापन मतदाताओं की अन्तिम सूची से करेगा।

12. **नामनिर्देशन सूची का प्रकाशन—** नामनिर्देशन पत्र पेश करने की नियत तारीख के बाद यथाशीघ्र निर्वाचन पदाधिकारी प्राप्त सभी नामनिर्देशनों की प्रारूप (फारम) 3 में एक सूची इस सूचना सहित प्रकाशित करेगा कि नाम निर्देशन की समीक्षा नियम 8 के खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख और सूचना में उल्लिखित स्थान और समय पर की जाएगी।

13. **नामनिर्देशन की संवीक्षा—** नियम 8 के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को, उम्मीदवार या हरेक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसका एजेंट (अभिकर्ता) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर उपस्थित हो सकेगा तथा निर्वाचन पदाधिकारी उन्हें उम्मीदवारों के नामनिर्देशन पत्रों को जाँच करने की सभी समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

14. आक्षेपों का निपटाव और नामनिर्देशन की अस्वीकृति— (i) इसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी सभी नामनिर्देशन पत्रों की जाँच करेगा और उन सभी आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन के समय किए जाए तथा ऐसे आक्षेपों पर स्वप्रेरणा से ऐसी संक्षिप्त जाँच के बाद जो आवश्यक समझे, निम्नलिखित किसी आधार पर किसी नामनिर्देशन को अस्वीकृत कर सकेगा—

(क) प्रस्तावक वह व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, या

(ख) नाम निर्देशन इस नियमावली के अधीन विहित रीति से नहीं किया गया है।

(ii) निर्वाचन पदाधिकारी हरेक नामनिर्देशन पत्र पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति सूचक अपना विनिश्चय अंकित करेगा। यदि नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत किया जाए तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखित रूप में दर्ज करेगा। संवीक्षा नियम 8 के खण्ड (ग) के अधीन इसके लिए नियत तारीख को पूरी कर ली जाएगी और किसी भी दशा में स्थगित नहीं की जाएगी।

(iii) सभी नामनिर्देशन पत्र संवीक्षित करने के बाद और उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी विनिश्चय दर्ज किए जाने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप (फारम) 4 में विधिमान्यतः नामनिर्देशित उम्मीदवारों को याने उन उम्मीदवारों को जिनके नामनिर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गये हैं, एक सूची अपने सूचना पट्ट पर सटवा देगा।

(iv) नामांकन पत्र की अस्वीकृति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील ऐसे निर्णय के सात दिनों के भीतर निदेशक या बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास की जाएगी जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

15. उम्मीदवारी की वापसी— (i) कोई उम्मीदवार नियम 8 के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशन की समीक्षा के लिए नियत तारीख के तीन दिनों के भीतर प्रारूप (फारम) 5 में लिखित रूप में और हस्ताक्षरित एक सूचना स्वयं या अपने प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को दे कर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा।

(ii) नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा पूरी हो जाने और उप नियम (i) के अधीन वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप (फारम) 6 में उन व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा जिनकी उम्मीदवारी कम 3 में हो और जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली हो, और उसे अपने कार्यालय तथा बाजार समिति के सूचना पट्ट पर निर्वाचन के लिए नियत तारीख के कम से कम-से-कम सात दिन पहले सटवा देगा।

16. प्रक्रिया और निर्वाचन— (i) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जो सम्यक् रूप से नामनिर्देशित हो। और जिन्होंने नियम 15 के उप-नियम (i) में विनिर्दिष्ट समय पर और रीति से अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली हो, भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक हो तो निर्वाचन मतदान द्वारा होगा।

(ii) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम हो, तो ऐसे सभी उम्मीदवार सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किए जायेंगे और निर्वाचन पदाधिकारी, यथास्थिति शेष रिक्तियों को नियम 8 के अधीन अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करेगा।

17. प्रतीकों (चुनाव चिन्ह) का दिया जाना— (i) हरेक सविरोध निर्वाचन की दशा में निर्वाचन पदाधिकारी हरेक उम्मीदवार को अनुसूची 1 के प्रतीकों में से यथासंभव उसकी इच्छानुसार फारम 7 में अलग-अलग प्रतीक आवंटित करेगा। इस संबंध में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ii) यदि निर्वाचन लड़ने वाले एक से अधिक उम्मीदवारों ने एक ही प्रतीक के लिए अपनी इच्छा जाहिर की हो तो निर्वाचन पदाधिकारी भाग्य-पत्रक (लॉट) द्वारा विनिश्चय करेगा।

18. मत-पत्र का प्रारूप (फारम)— मत-पत्र प्रारूप (फारम) 8 में मुद्रित किया जाएगा जिसमें वर्णानुक्रम से उम्मीदवारों के नाम और नियम 17 के अधीन हरेक उम्मीदवार को दिया गया प्रभेदक प्रतीक दिए रहेंगे।

19. निर्वाचन आदि कराने की व्यवस्था— निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन कराने, इसका पर्यवेक्षण कराने, मत-पत्रों की संवीक्षा करने तथा निर्वाचन के परिणाम-घोषणा के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, जो आवश्यक हो।

20. मतदान— हरेक मतदाता को एक मत होगा।

21. मतदान केन्द्रों पर अथवा उसके आसपास प्रसार का प्रतिषेध— (i) कोई भी व्यक्ति जिस तारीख को मतदान केन्द्र पर मतदान हो रहा हो, उसके भीतर या मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी के भीतर पड़ने वाले किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर निम्नलिखित कोई भी कार्य नहीं करेगा—

(क) मतों के लिए प्रचार;

(ख) मतदाता से मत की याचना;

(ग) किसी खास उम्मीदवार को मत नहीं देने के लिए किसी मतदाता को मनाना;

(घ) किसी मतदाता को निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए मनाना;

(ङ) निर्वाचन संबंधी कोई सूचना या चिन्ह को (सरकारी नोटिस के अलावा) प्रदर्शित करना; अथवा

(च) शोरगुल करना अथवा उच्छ्रंखल ढंग से कार्य करना ताकि मतदान केन्द्र पर मत देने के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को खीज हो अथवा मतदान केन्द्र पर कार्य करने वाले पदाधिकारी अथवा कर्तव्यस्थ अन्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप हो।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो उप नियम (i) का उल्लंघन करे या जानबूझकर उल्लंघन में सहायता दे अथवा उसके लिए उत्प्रेरित करे, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 100 रु0 तक जुर्माना से दण्डनीय होगा।

(iii) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई कि कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है तो वह किसी पुलिस पदाधिकारी को उसे गिरफ्तार करने के लिए लिखित निदेश देगा और तब पुलिस पदाधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा।

22. मतदान केन्द्र और पदाधिकारी— (i) निर्वाचन पदाधिकारी हरेक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और वह हरेक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी और एक या अधिक मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हो तो मतदाताओं को पहचान करने में मतदान पदाधिकारी की सहायता के लिए एक अथवा अधिक पदाधिकारी को नियुक्त करेगा। यदि कोई मतदान पदाधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो जाय तो पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(ii) पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निदेश दिए जाने पर मतदान पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी के सभी अथवा किसी कृत्य का संपादन करेगा।

(iii) यदि पीठासीन पदाधिकारी बीमारी अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो जाय तो उसके कृत्यों का संपादन वह मतदान पदाधिकारी करेगा जिसे निर्वाचन पदाधिकारी इसके लिए प्राधिकृत करें।

(iv) पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र के सभी प्रबंधों का पूर्ण प्रभारी रहेगा। वह सामान्यतः मतदान केन्द्र में व्यक्तियों के प्रवेश की रीति और मतदान केन्द्र अथवा उसके आसपास शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदेश निर्गत करेगा। मतदान पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्यों के संपादन में सहायता करे।

23. मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) की नियुक्ति— चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार फारम 9 में एक मतदान अभिकर्ता और दो ऐवजी अभिकर्ताओं की नियुक्ति करेगा। मतदान केन्द्र पर पेशी के लिए नियुक्ति विषयक आदेश मतदान अभिकर्ता को दिया जायेगा।

24. मतदान केन्द्र की सामग्रियों की आपूर्ति— निर्वाचन पदाधिकारी, हरेक मतदान केन्द्र के लिए आवश्यक संख्या में मतपेटियाँ, पर्याप्त संख्या में मत-पत्र, मतदाता सूची की तीन प्रतियाँ, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति, यथावश्यक अन्य कागज-पत्र, लेखन सामग्री और फारम देगा।

25. मतदान केन्द्रों में प्रवेश— पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्रों में किसी एक समय प्रवेश पाने वाले मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और निम्नलिखित को छोड़ सभी व्यक्तियों को वर्जित कर देगा—

(क) मतदान पदाधिकारी;

(ख) उम्मीदवार और उसके मतदान अभिकर्ता (एजेन्ट);

(ग) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(घ) मतदाता के साथ कोई बच्चा;

(च) ऐसे अंधे या अशक्त मतदाता के साथ आने वाला व्यक्ति जो बिना सहायता के चल नहीं सकता हो; और

(छ) ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी नियम 22 के उप-नियम (i) के अधीन नियोजित करे।

26. मतदान की व्यवस्था और मत अंकन का तरीका— (i) हरेक केन्द्र के बाहर सहज-दृश्य रूप में निम्नलिखित प्रदर्शित किए जायेंगे—

(क) उस मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार हैं, और

(ख) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति।

(ii) ऐसे मतदान केन्द्रों में एक या अधिक मतदान बूथ स्थापित किए जायेंगे जहाँ मतदाता पर्दे की आड़ में अपना मत अंकित कर सकेंगे ताकि कोई देख न सके।

(iii) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले पीठासीन पदाधिकारी उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं (एजेन्टों) या मतदान केन्द्र पर उपस्थित व्यक्तियों को यह दिखाएगा कि मत-पेटी खाली है और उसके बाद—

(क) मत-पेटी पर एक लेबुल चिपकाएगा जिसपर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम, मत-पेटी की क्रम संख्या और मतदान की तारीख लिखी रहेगी।

(ख) इसे बन्द कर देगा और अपनी मुहर से और उन उम्मीदवार या उनके अभिकर्ताओं (एजेन्टों) की मुहर से सील कर देगा जो उस समय उपस्थित हो। और सील लगाना चाहते हों। सील इस प्रकार लगाई जाय कि बिना तोड़े उसे खोलना संभव नहीं हो सके।

(ग) मुहरबन्द पेटी पीठासीन पदाधिकारी और उम्मीदवार के अभिकर्ताओं (एजेन्टों) की नजर के सामने रखी जायेगी।

(घ) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही पीठासीन पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी हर मतदाता के नाम और अन्य व्योरों की जाँच मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि के साथ करेगा।

(iv) किसी व्यक्ति का मत-पत्र प्राप्त करने का अधिकार विनिश्चित करने में यथास्थिति पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी मतदाता सूची की प्रविष्टि में केवल लेखन या मुद्रण संबंधी अशुद्धि की और ध्यान नहीं देगा बशर्ते कि उसका समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति और मतदाता जिसे संबंधित है एक ही है।

(v) मतदान वैयक्तिक रूप में मत-पत्र देकर किया जाएगा और कोई भी मत और कोई भी मत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) मतदान की इच्छा रखने वाले हरेक मतदाता को एक मत-पत्र दिया जायेगा और मत-पत्र देने के पहले मतदान पदाधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा—

(क) मत-पत्र की पीठ पर प्राक्षर;

(ख) मत-पत्र की अधकड़ी पर मतदाता सूची में मतदाता की संख्या लिखना; और

(ग) मतदाता-सूची में मतदाता के नाम के सामने अपना प्राक्षर करना।

(vii) मत-पत्र मिलते ही मतदाता सीधे मतदान मंडप में जायेगा। वहाँ जाने पर जिस उम्मीदवार को वह मत देना चाहता है, उसके सामने 'X' चिह्नित मुहर लगा देगा, मत-पत्र को मोड़ देगा और उसे मत-पेटी में डाल देगा।

(viii) यदि मतदाता अंधा या अशक्त हो अथवा मत-पत्र के प्रतीक को पहचानने में अथवा उसे चिह्नित करने में असमर्थ हो तो पीठासीन पदाधिकारी मतदाता की इच्छानुसार मत पत्र पर मत का अंकन करेगा और उसके अंगूठे की छाप लेकर अनुप्रमाणित करेगा।

(ix) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार महिला मतदाता को विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

27. पहचान के संबंध में आक्षेप (चुनौती)— (i) मतदान अभिकर्ता कोई खास मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में आक्षेप (चुनौती), हर एक ऐसे आक्षेप के लिए पहले पीठासीन पदाधिकारी के पास नगद दो रुपये निक्षिप्त (जमा) करके, कर सकेगा।

(ii) पीठासीन पदाधिकारी ऐसा निक्षेप (जमा) प्राप्त होने पर—

(क) आक्षिप्त व्यक्तियों को प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़ कर सुनायेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है या नहीं जो इस प्रविष्टि में निर्दिष्ट है;

(ग) उसका नाम और पता आक्षिप्त मतदाता-सूची प्रारूप (फारम) 10 में दर्ज करेगा; और

(घ) उक्त सूची में अपना हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

(iii) पीठासीन पदाधिकारी तत्पश्चात उस आक्षेप (चुनौती) के संबंध में संक्षिप्त जाँच करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह—

(क) आक्षेपकर्ता आक्षेप के सबूत में और आक्षिप्त व्यक्ति से अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) आक्षिप्त व्यक्ति की अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजनार्थ उससे आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा; और

(ग) आक्षिप्त व्यक्ति और साक्ष्य देने का प्रस्तावक करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।

(iv) यदि जाँच के बाद पीठासीन पदाधिकारी के विचार से आक्षेप सिद्ध नहीं हो तो वह आक्षिप्त व्यक्ति को मत देने की अनुज्ञा देगा और यदि उसके विचार से आक्षेप सिद्ध कर दिया गया हो तो वह आक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(v) यदि पीठासीन पदाधिकारी की राय हो कि आक्षेप तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं दिया गया है, तो वह निदेश देगा कि उप-नियम (i) के अधीन किया गया निक्षेप बोर्ड को समपहृत हो जायेगा और अन्य किसी दशा में वहाँ जाँच की समाप्ति के बाद उसे आक्षेपकर्ता को लौटा देगा।

28. निविदत्त (टेण्डर) मत— (i) यदि कोई व्यक्ति अपने को कोई खास मतदाता बताते हुए मत-पत्र के लिए आवेदन करे जबकि कोई अन्य व्यक्ति उस मतदाता के रूप में मतदान कर चुका हो तो अपनी अनन्यता के बारे में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान-प्रद उत्तर देने के पश्चात वह इस नियम के निम्नलिखित उपबंधों के अधधीन अन्य मतदाता के मत-पत्र (इसके पश्चात इन नियमों में निविदत्त मत-पत्र के रूप में निर्दिष्ट) चिह्नित करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसा हर व्यक्ति निविदत्त मत-पत्र दिए जाने के पहले अपना नाम प्रारूप (फारम) 11 की सूची में अपने से संबद्ध प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(iii) निविदत्त मत-पत्र वैसा ही होगा जैसा मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने वाले अन्य मत-पत्र होते हैं। सिवाय इसके कि—

(क) ऐसा निविदत्त मत-पत्र मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए निर्गत मत-पत्र के बंडल के क्रम में अन्तिम होगा, तथा

(ख) ऐसे मत-पत्र की पीठ पर पीठासीन पदाधिकारी अपने हाथ से 'निविदत्त मत-पत्र' शब्द पृष्ठांकित कर हस्ताक्षर करेगा।

(iv) मतदाता निविदत्त मत-पत्र चिन्हित करने और मोड़ने के बाद उसे मत-पेटी में डालने के बजाय पीठासीन पदाधिकारी को दे देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अपने समक्ष रखे लिफाफे में रखेगा।

29. खराब हुए तथा वापस किए गए मत-पत्र— (i) यदि किसी मतदाता के अनवधानतावश अपने मत-पत्र को ऐसी रीति से भरता हो कि वह मत-पत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो तो पीठासीन पदाधिकारी को वह मत-पत्र लौटा दिए जाने और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिए जाने पर उसे खराब मत-पत्र के बदले दूसरा मत-पत्र दिया जा सकेगा। इस प्रकार लौटाए गए मत-पत्र तथा मत-पत्र की अधकष्टी पर पीठासीन पदाधिकारी 'खराब रद्द किया' शब्द अंकित करेगा।

(ii) यदि कोई मतदाता मत-पत्र प्राप्त करने के बाद उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करे तो वह उसे पीठासीन पदाधिकारी को लौटा देगा। इस प्रकार लौटाए गए मत-पत्र पर पीठासीन पदाधिकारी 'लौटाया गया रद्द किया गया' शब्द अंकित करेगा।

(iii) उप-नियम (i) और (ii) के अधीन रद्द किए गए सभी मत-पत्र पृथक पैकेट में रखे जाएंगे।

30. मतदान का बन्द किया जाना— (i) पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र बन्द करने के लिए नियत समय पर उसे बन्द कर देगा। इसके बाद वह किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र में नहीं प्रवेश करने देगा।

परन्तु मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व केन्द्र पर उपस्थित सभी मतदाता अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जायेंगे।

(ii) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न पैदा हो कि कोई मतदाता मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व उपस्थित था या नहीं तो इसका विनिश्चय पीठासीन पदाधिकारी करेगा जो अन्तिम होगा।

(iii) यदि मतदान केन्द्र में अव्यवस्था के कारण नियत समय पर मतदान केन्द्र खोलना संभव न हो या किसी अन्य कारण के चलते थोड़े समय तक मतदान रोकना पड़े तो पीठासीन पदाधिकारी कारण अभिलिखित करने के बाद, और उसकी सूचना उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को देने के बाद मतदान केन्द्र को, यथास्थिति मतदान केन्द्र खोलने के लिए नियत समय और वस्तुतः खोले गए समय के बीच बीती अवधि के बराबर या जितने समय के लिए मतदान बन्द हुआ था उतने समय उसके बराबर आगे खुला रहेगा।

31. मतदान के बाद मत-पेटी का बन्द किया जाना— (i) पीठासीन पदाधिकारी मतदान बन्द होने के बाद यथाशीघ्र मत-पेटी का छेद बन्द कर देगा। जहाँ छेद बन्द करने की कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में नहीं हो, वहाँ उस समय छेद को मुहरबन्द करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को उसपर अपनी मुहर लगाने देगा।

(ii) इसके बाद मत-पेटी मुहरबन्द कर सुरक्षित कर दी जायेगी।

(iii) जहाँ पहली मत-पेटी के भर जाने के कारण दूसरी मत-पेटी को उपयोग में लाना आवश्यक हो वहाँ दूसरी मत-पेटी उपयोग में लाई जाने के पूर्व पहली मत-पेटी उप-नियम (i) में यथा उपबन्धित रूप में बन्द, मुहरबन्द और सुरक्षित कर दी जायेगी।

32. मत-पत्र लेखा— मतदान बन्द होने के बाद पीठासीन पदाधिकारी प्रारूप (फारम) 12 में मत-पत्र लेखा तैयार करेगा और उसे एक अलग लिफाफे में बन्द करेगा जिस पर 'मत-पत्र लेखा' लिखा रहेगा।

33. पैकेटों का मुहरबन्द किया जाना— (i) इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी निम्नलिखित के पृथक पैकेट बनाएगा—

(क) उपयोग में न लाए गये मत-पत्र;

(ख) खराब हुए मत-पत्र;

(ग) वापस किए गये मत-पत्र;

(घ) निविदत्त (टण्डर) मत-पत्र;

(ङ) निविदत्त (टण्डर) मतदाता सूची;

(च) आक्षिप्त मतों की सूची;

(छ) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियाँ;

(ज) मत-पत्र लेखा;

(झ) मत-पत्र की अधकष्टी; और

(ञ) अन्य कागज या वस्तुएं जिन्हें निर्वाचन पदाधिकारी ने बन्द पैकेट में रखने का निदेश दिया हो।

(ii) ऐसे हरेक पैकेट को पीठासीन पदाधिकारी और जो उम्मीदवार या अभिकर्ता मुहर लगाना चाहें उनकी मुहर लगा कर बन्द कर दिया जायेगा।

(iii) इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी मत-पेटी और एक विवरण के साथ उप-नियम (i) में विनिर्दिष्ट पैकेट निर्वाचन पदाधिकारी को देगा। हरेक पैकेट पर संख्या और अन्तर्वस्तु संबंधी एक टिप्पणी दी रहेगी।

34. मतदान के पहले उम्मीदवार की मृत्यु— यदि मतदान शुरू होने के पूर्व चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय और मृत्यु की रिपोर्ट मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मिल जाय, तो निर्वाचन पदाधिकारी, उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य से अपना समाधान हो जाने

पर मतदान के बारे में प्रत्यादेश देगा और निर्वाचन के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ हर प्रकार से नए सिरे से शुरू की जायेगी- मानो वह नया निर्वाचन हो;

परन्तु उस व्यक्ति की दशा में फिर से नामनिर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी जो मतदान प्रत्यादिष्ट होने (पूर्ववर्ती आदेश रद्द होने) के समय चुनाव लड़नेवाला उम्मीदवार हो;

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो मतदान प्रत्यादिष्ट होने के पहले नियम 15 के अधीन अपनी उम्मीदवारी की वापसी की सूचना दे चुका हो, ऐसा प्रत्यादेश होने के बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित होने का पात्र नहीं होगा।

35. अपात-स्थिति में मतदान का स्थगन— (i) यदि किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र पर बलवा या खुली हिंसा के कारण कार्यवाहियों में बिध्न-बाधा डाली जाय या निर्वाचन में किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण या अन्य प्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र में मतदान करना संभव नहीं हो, तो ऐसे मतदान केन्द्र का पीठासीन पदाधिकारी इसके बारे में लिखित रूप में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को सूचित करेगा और बाद में निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक मतदान को स्थगित कर देने के लिए आख्यापित (एनाउन्स) करेगा। जहाँ ऐसा स्थगन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया जाय, वहाँ वह संबद्ध निर्वाचन पदाधिकारी को उसकी तुरत सूचना दे देगा।

(ii) जब कभी उप-नियम (i) के अधीन मतदान स्थगित कर दिया जाय, पीठासीन पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबद्ध उम्मीदवारों को परिस्थितियों का लिखित प्रतिवेदन तुरत देगा और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी यथाशीघ्र पुनर्मतदान की तिथि नियत और मतदान केन्द्र निर्धारित करेगा जिस पर और जिस समय मतदान होगा और जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो जाय तब तक ऐसे निर्वाचन में डाले गए मतों की गणना नहीं करेगा।

(iii) यथा-पूर्वोक्त ऐसे हरेक मामले में निर्वाचन पदाधिकारी ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे उप-नियम (ii) के अधीन नियत मतदान की तारीख, स्थान और समय अधिसूचित करेगा।

36. मतदान स्थगन होने के बाद की प्रक्रिया— (i) यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदान नियम 35 के अधीन स्थगित हो जाय, तो यथाशीघ्र नियम 31 से 33 तक के उपबंध लागू होंगे, मानो मतदान नियम 8 के उप नियम (घ) के अधीन इस निमित्त निर्धारित समय पर बन्द हुआ हो।

(ii) जब नियम 35 के उप-नियम (ii) के अधीन स्थगित मतदान पुनः हो तब ऐसे स्थगित मतदान में मतदान दे चुके मतदाताओं को फिर से मतदान करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(iii) निर्वाचन पदाधिकारी उस मतदान केन्द्र के लिये, जहाँ स्थगित मतदान फिर से किया जाता है, पीठासीन पदाधिकारी को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति वाला मुहरबन्द पैकेट, मत-पत्र और नई मत-पेटी देगा।

(iv) पीठासीन पदाधिकारी बन्द पैकेट को उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में खोलेगा और स्थगित मतदान में मतदाताओं को निर्गत मत-पत्रों की क्रम संख्या अभिलिखित करने के लिए मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का उपयोग करेगा।

37. मतपेटियों के नष्ट होने की दशा में नये सिरे से मतदान— (i) यदि किसी निर्वाचन में (क) किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गयी कोई मत-पेटी पीठासीन पदाधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा से विधि विरुद्ध ले ली जाय, अथवा वह घटनावश नष्ट हो जाय या साशय नष्ट कर दी जाय या खो जाय अथवा इस सीमा तक नुकसान हो जाय या बिगाड़ दी जाय कि उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या (ख) किसी मतदान केन्द्र में मतदान को दूषित करने वाली प्रक्रिया, अन्य कोई गलती या अनियमितता की जाय तो पीठासीन पदाधिकारी तुरन्त वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी के पास करेगा।

(ii) तदुपरान्त, निर्वाचन पदाधिकारी सभी तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, या तो—

(क) उस मतदान केन्द्र का मतदान शून्य घोषित करेगा, नये सिरे से मतदान के लिए तारीख और समय निर्धारित करेगा तथा इस तरह जो तारीख निर्धारित हो, उसे ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा, जो वह उचित समझे, या

(ख) यदि उसका समाधान हो कि मतदान केन्द्र के नए सिरे से निर्वाचन के परिणाम से किसी भी हालत में निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं हो सकेगा या प्रक्रिया, अन्य गलती या अनियमितता तात्त्विक नहीं है तो वह उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को जानकारी देते हुए पीठासीन पदाधिकारी को ऐसा निदेश जारी करेगा, जैसा कि वह निर्वाचन को आगे संचालित या पूरा करने के लिए उचित समझे।

(iii) अधिनियम और इस नियमावली के उपबंध ऐसे हर नए निर्वाचन के साथ लागू होंगे, जैसे मूल मतदान में लागू होते हैं।

38. मतों की गणना— (i) मतों की गणना के लिए नियम 8 के खण्ड (ङ) के अधीन निर्धारित दिन, स्थान और समय पर उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(क) किसी गणना टेबुल पर किसी मत-पेटी के खोलने के पहले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ताओं का कागजी सील या अन्य सील जो उस पर लगाया गया हो जाँचने की अनुज्ञा दी जायेगी ताकि उनका समाधान हो जाय कि वह अविकल है;

(ख) निर्वाचन पदाधिकारी अपना समाधान करेगा कि कोई भी मत-पेटी बिगाड़ी नहीं गई है;

(ग) यदि निर्वाचन पदाधिकारी का समाधान हो कि मत-पेटी वस्तुतः बिगाड़ी गई है, तो वह उस मत-पेटी के मत-पत्रों की गणना नहीं करेगा तथा नियम 37 में बताई गई प्रक्रिया अपनायेगा; और

(घ) हरेक मतदान से संबंधित मत-पेटी पेटियाँ, मतदान मंडपों (बूथों) को दी गई संख्या के अनुसार, एक के बाद एक खोली जायेगी और निर्वाचन पदाधिकारी उसके मत-पत्रों को निकालेगा, उनकी गणना करेगा या गणना करवाएगा तथा प्रारूप (फारम) 23 में उसकी संख्या अभिलिखित करेगा।

(ii) निर्वाचन पदाधिकारी किसी मत-पत्र को अस्वीकृत करेगा, यदि—

(क) उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लिखावट हो जिसे मतदाता पहचाना जा सके, या

(ख) उस पर कोई मत अभिलिखित न हो, या

(ग) यदि जितने उम्मीदवार को मत देना है, उससे अधिक के पक्ष में मत दिया गया हो, या

(घ) मत-पत्र खोटा हो, या

(ङ) वह उस हद तक क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि असली मत-पत्र के रूप में उसकी पहचान न हो सकती हो, या

(च) वह विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए प्राधिकृत मत-पत्र की कम संख्या या नमूने (डिजाइन) से, यथास्थिति भिन्न कम संख्या या भिन्न नमूने का हो, या

(छ) उस पर पीठासीन पदाधिकारी का आद्यक्षर न हो;

परन्तु जहाँ निर्वाचन पदाधिकारी का समाधान हो कि खण्ड (च) या (छ) में उपस्थित कोई त्रुटि पीठासीन पदाधिकारी सा मतदान पदाधिकारी की किसी भूल-चूक के कारण हुई है वहाँ मत-पत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर ही अस्वीकृत नहीं किए जायेंगे;

परन्तु यह और कि कोई मत-पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत सूचित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक चिन्ह लगे हैं। बशर्ते कि विशिष्ट उम्मीदवार के पक्ष में मत का आशय मत-पत्र चिन्हित करने के ढंग से स्पष्ट प्रतीत होता है।

(iii) उप-नियम (ii) के अधीन कोई मत-पत्र अस्वीकृत करने के पहले निर्वाचन पदाधिकारी—

(क) उम्मीदवार या उसके उपस्थित अभिकर्ता को मत-पत्र की जाँच के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु वह या अन्य मत-पत्र छूने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी;

(ख) निर्वाचन पदाधिकारी हरेक मत-पत्र पर, जिसे वह अस्वीकृत करे, 'अस्वीकृत' शब्द अभिलिखित करेगा और संक्षेप में अस्वीकृति का कारण लिख देगा;

(ग) इस नियम के अधीन अस्वीकृत सभी मत-पत्र एक साथ बंडल में बांधे जाएंगे;

(घ) हरेक मत-पत्र पर अंकित मत, जो नियम (ii) के अधीन अस्वीकृत नहीं किया गया हो, गिना जायेगा;

(ङ) वैध मत-पत्र पर अंकित मत भी अस्वीकृत किया जायेगा यदि, उस मत-पत्र पर मत सूचक चिन्ह इस रीति से लगाया गया हो कि यह संदिग्ध हो जाय कि मत किस उम्मीदवार को दिया गया है।

39. मतों की लगातार गणना— निर्वाचन पदाधिकारी, यथासाध्य, मतों की गणना लगातार करेगा और किसी आवश्यक अन्तराल के दौरान, जब गणना निलंबित करनी पड़े मत-पत्र पैकेटों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागजात को अपनी सील या उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो सील लगाने चाहें, उनकी सील लगा कर रखेगा उक्त वस्तुओं की निरापद अभिरक्षा के लिए समुचित एहतियात वरतेगा।

40. उप-निर्वाचन— से नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित बाजार समिति की निर्वाचित पदों की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए किसी उप-निर्वाचन के साथ भी लागू होंगे।

41. परिणामों की घोषणा— (1) मतों की संवीक्षा और गणना करने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप (फारम) 14 में निर्वाचन के परिणामों की विवरणी तैयार करेगा और उस निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों की संख्या के बराबर उन उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिन्होंने अवरोही क्रम से अधिकतम संख्या में मत प्राप्त किए हों।

(2) किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट को आवेदन करने पर प्रारूप (फारम) 14 में विवरणी की प्रतिलिपि करने या उसका उद्धरण लेने दिया जायेगा।

42. मत बराबर होने पर निर्वाचन की प्रक्रिया— यदि मत गणना संपन्न होने पर दो उम्मीदवारों के बीच मत बराबर पाये जाएं, तो निर्वाचन पदाधिकारी भाग्य-पत्रक (लॉट) निकालेगा और उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करेगा जिसके पक्ष में भाग्य-पत्रक (लॉट) निकला हो।

43. निर्वाचन की विधिमान्यता का अवधारण— (i) नियम 41 के अधीन निर्वाचन का परिणाम प्रकाशित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर किसी समय कोई उम्मीदवार जो निर्वाचन में खड़ा हुआ हो या कोई व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतदान करने की अहर्ता रखता है, निर्वाचन में खड़े उम्मीदवारों को अपनी अर्जी में पक्षकार बनाते हुए, निर्वाचन की विधिमान्यता के अवधारण के लिए मुंसिफ के पास जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संबद्ध बाजार क्षेत्र का बाजार यार्ड अवस्थित हो, लागत खर्च के लिए प्रतिभूति के रूप में दो सौ रुपये निक्षेप के साथ निर्वाचन अर्जी देकर निर्वाचन को चुनौती दे सकेगा और निम्तलिखित राहतों में से किसी एक या दोनों के लिए दावा कर सकेगा—

- (क) ऐसी घोषणा कि किसी या सभी निर्वाचित उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य है;
(ख) ऐसी घोषणा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है।

(ii) मुंसिफ ऐसी जाँच के बाद जो वह आवश्यक समझे आदेश देगा कि

- (क) निर्वाचन अर्जी खारिज की जाती है, या
(ख) किसी या सभी उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है, अथवा
(ग) किसी या सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है और अर्जीदार या किन्हीं अन्य उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाता है।

(iii) उक्त जाँच के प्रयोजनार्थ मुंसिफ सिविल न्यायालय की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। वह लागत खर्च को भी, इस रीति से, जो वह उचित समझे अधिनिर्णीत कर सकेगा और ऐसा लागत खर्च इस प्रकार वसूलनीय होगा मानो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 9, 1908) के अधीन अधिनिर्णीत हो यदि उसके आदेश के फलस्वरूप किसी निर्वाचन के घोषित परिणाम में संशोधन हो या वह अपास्त हो जाए, तो, वह ऐसा आदेश, तुरत निर्वाची पदाधिकारी को संसूचित कर देगा। निर्वाचन अपास्त होने की दशा में निर्वाचन पदाधिकारी नया निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

यदि मुंसिफ की राय हो कि—

- (क) निर्वाचित, उम्मीदवार अपने निर्वाचन की तारीख का सीट भरने कि लिए चुने जाने को अर्हित नहीं था या निरर्हित था;
(ख) किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेन्ट की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है;
या

(ग) कोई नामनिर्देशन-पत्र अनुचित ढंग से नामंजुर किया गया है; या

(घ) निर्वाचन का परिणाम, जहाँ तक उसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है निम्नलिखित द्वारा सारतः प्रभावित हुआ है—

- (1) किसी नामनिर्देशन-पत्र की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या
(2) उस उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेन्ट या ऐसे उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेन्ट की सम्मति से कार्य करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा; या
(3) किसी मत की अनुचित प्राप्ति, इनकार या नामंजूरी या किसी ऐसे मत की नामंजूरी द्वारा जो कि शून्य हो, या
(4) नियम या उसके अधीन आदेशों के उपबंधों के किसी प्रकार के अनुपालन द्वारा।

(iv) मुंसिफ किसी या सभी निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने अर्जी दाखिल की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन का प्रश्न उठाने के अतिरिक्त ऐसी घोषणा या दावा किया हो कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है और मुंसिफ की राय हो कि—

(क) तथ्यतः अर्जीदार या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने बहुसंख्यक विधिमान्य मत प्राप्त किए हैं, या

(ख) यदि निर्वाचित उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण के लिए मत नहीं प्राप्त करता हो तो अर्जीदार या ऐसे अन्य उम्मीदवार को बहुसंख्यक विधिमान्य मत प्राप्त होता, मुंसिफ निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के बाद यथास्थिति, अर्जीदार या ऐसे अन्य उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(v) यदि मुंसिफ, नियम 53 के अधीन अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट आधार पर किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करे तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने इस नियम के अन्तर्गत कोई भ्रष्ट आचरण किया हो, चार वर्षों से अनधिक अवधि के लिए किसी बाजार समिति का सदस्य होने से निरर्हित घोषित कर सकेगा, बशर्ते कि वह (मुंसिफ) ऐसा करना उचित समझे :

परन्तु निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध में , ऐसे व्यक्ति को हेतुक दर्शाने का अवसर प्रदान किए बिना, कि ऐसी घोषणा क्यों नहीं की जाय, ऐसी घोषणा नहीं की जायेगी :

परन्तु और कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय इस निमित्त बोर्ड के आदेश द्वारा ऐसी निरर्हिता से मुक्त किया जा सकेगा।

(vi) इस नियमावली के उपबंधों के अधधीन वादों के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन लागू प्रक्रिया के अनुसार हरेक निर्वाचन अर्जी का मुंसिफ द्वारा यथाशीघ्र विचारण किया जायेगा।

4.4. मुंसिफ के आदेश के विरुद्ध अपील— (i) नियम 43 के अधीन मुंसिफ के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे जिला जज के पास विहित रीति से अपील करेगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में संबंध बाजार क्षेत्र का बाजार यार्ड अवस्थित हो। ऐसी अपील पर जिला जज का विनिश्चय अन्तिम और निर्णायक होगा। जिला जज अपने विनिश्चय या आदेश का परिणाम निर्वाचन पदाधिकारी को संसूचित करेगा जो निर्वाचित व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने अथवा नया निर्वाचन या नया निर्वाचन कराने के लिए कदम उठायेगा।

(ii) उप-नियम (i) में यथा उपबंधित अपील के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति, नियम 43 के उप-नियम (i) के लिए अधीन किए गए किसी निक्षेप रकम के अलावा मुंसिफ के न्यायालय में खर्च क मुंसिफ के लिए प्रतिभूतिस्वरूप चार

सौ रुपये जमा कर के नियम 43 के अधीन पारित मुंसिफ के आदेश से उद्भूत किसी परिणाम के संबंध में निरोधादेश (स्टे ऑर्डर) प्राप्त कर सकेगा। यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व जिला न्यायाधीश के यहाँ से आगे भी निरोधादेश प्राप्त नहीं हो या जिला न्यायाधीश के यहाँ से निरोधादेश प्राप्त हो किन्तु उसकी कालावधि समाप्त हो जाए, अथवा ऐसा निरोधादेश अन्तःरुद्ध कर दिया जाय, तो निक्षिप्त रकम या उसका वह अधिशेष जो ऐसी अपील में जिला न्यायाधीश अपने आदेश के जरिए अपील निरोधादेश का प्रतिवाद करने वाले पक्षकारों के हित में अधिनिर्णीत खर्च की रकम घटाने के बाद मुंसिफ द्वारा इसके निमित्त दिए गए आदेश के जरिए राज्य सरकार में समपहूत हो जायेगा, बशर्ते कि जिला न्यायाधीश ने यथास्थिति, उक्त निक्षेप रकम को या उस रकम के उक्त अधिशेष अथवा उसके किसी भाग की वापसी का आदेश, अपील में अथवा उसके बाद अपना विनिश्चय देते समय उस संबंध में पारित आदेश द्वारा न दे दिया हो और ऐसा आदेश मुंसिफ को संसूचित न कर दिया गया हो।

(ii) इस नियम के अधीन हरेक अपील का विनिश्चय यथाशीघ्र किया जायेगा और ऐसा प्रयास किया जायेगा कि उसका निपटाव जिला न्यायाधीश के पास अपील-ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर अन्तिम रूप से हो जाय। जिला न्यायाधीश वाद के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपबंधित प्रक्रिया का उस हद तक पालन करेगा, जिस हद तक वह किसी निर्वाचन-अर्जी या अपील के विचारण या निपटाव में लागू हो सकती है।

4.5. निर्वाचन के कागज-पत्र सहायक निदेशक को भेज दिये जायेंगे— (i) निर्वाचन पदाधिकारी पृथक मुहरबन्द पैकेट में सहायक निदेशक के पास निर्वाचन संबंधी सभी कागज-पत्र भेजेगा जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं—

- (क) मत-पत्र जिनकी गणना विधिमान्य मत-पत्र के रूप में की गयी हो,
- (ख) मत-पत्र जिसे विधिमान्य मत-पत्र के रूप में अस्वीकृत किया गया हो,
- (ग) अप्रयुक्त मत-पत्र,
- (घ) मत-पत्र की अधकष्टी,
- (ङ) खराब हुआ मत-पत्र,
- (च) निविदत्त मत-पत्र,
- (छ) वापस लौटा दिया मत-पत्र,
- (ज) निविदत्त मत देने वालों की सूची,
- (झ) मत-पत्र का लेखा,
- (ञ) आक्षिप्त मतों की सूची,
- (ट) निर्वाचन सूची की चिन्हित प्रति और
- (ठ) हरेक पैकेट के साथ इसकी विषय वस्तु के बारे में एक टिप्पणी रहेगी।

4.6. मतदान संबंधी कागज-पत्रों को नष्ट किया जाना— धारा 13 के अधीन बाजार समिति के निर्वाचित और नियुक्त सदस्यों के नामों की प्रकाशन की तारीख से तीन महीने व्यतीत होने पर या नियम 43 के अधीन आवेदन के निपटाव के एक महीना बाद, जो भी बाद में पड़े, मतदान संबंधी सभी कागज-पत्र बाजार समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या बाजार समिति के सचिव के समक्ष उस तारीख को नष्ट कर दिए जायेंगे जो सहायक निदेशक द्वारा नियत की जाय।

4.7. सहकारी बैंक के प्रतिनिधि के नाम के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी को सूचना— बाजार क्षेत्र का सहकारी बैंक, निर्वाचन पदाधिकारी को, धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (iv) के अधीन अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति के नाम की लिखित सूचना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस नियत तारख के पहले देगा;

परन्तु यदि बाजार क्षेत्र में एक से अधिक सहकारी बैंक हो, तो उक्त सहकारी बैंक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परिक्रम के अनुसार नियुक्त करेंगे।

4.8. निरर्हित व्यक्ति सदस्य न रहेगा— (i) कोई व्यक्ति बाजार समिति का सदस्य बना न रहेगा यदि वह, यथास्थिति अपनी नियुक्ति या निर्वाचन के बाद किसी समय धारा 10 या नियम 6 में उल्लिखित निरर्हित अयोग्यता में आ जाय। इसके बाद उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(ii) संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने से विवर्जित कर दिया जायेगा, यदि वह कृषकों, फर्म, निगम या सहकारी समिति का संगठन जिसका वह प्रतिनिधि हो, सदस्य न रह जाय।

4.9. बाजार समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन— (i) निदेशक या इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी नवगठित बाजार समिति के सदस्यों में से इसके उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए पहली सभा बुलाएगा। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी सभा का सभापतित्व करेगा किन्तु मतदान नहीं करेगा।

(ii) ऐसी सभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई सदस्य प्रस्तावक और दूसरा उसका समर्थन करेगा। प्रस्तावित और समर्थित सभी उम्मीदवारों के नाम सभा का सभापति पढ़ेगा।

- (iii) यदि उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्देशित उम्मीदवार केवल एक ही हो तो, वह निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
- (iv) यदि ऐसे उम्मीदवार दो या उससे अधिक हों तो, बैठक में उपस्थित सदस्यों के मत लिए जायेंगे।
- (v) मतदान के इच्छुक हरेक सदस्य को फारम 15 में एक मत-पत्र दिया जायेगा जिसपर उपाध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे रहेंगे। हरेक मत-पत्र की पीठ पर सभापति का हस्ताक्षर रहेगा।
- (vi) इसके बाद मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने चिन्ह लगायेगा जिसे वह मत देना चाहता है।
- (vii) इसके बाद सभापति मत-पेटी खोलेगा और सदस्यों की उपस्थिति में मतों की गणना करेगा तथा अधिकतम मत पाने वाले सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित करेगा। दो या अधिक उम्मीदवारों के बीच मत बराबर होने पर सभापति सदस्यों की उपस्थिति में भाग्य-पत्रक (लॉट) निकालेगा और उस सदस्य को निर्वाचित घोषित करेगा जिसका नाम पहले निकले।
- (viii) जिस मत-पत्र पर मतदाता का चिन्ह नहीं हो या जिसपर एक से अधिक नामों के आगे चिन्ह लगा रहे या जिसकी पीठ पर सभापति का हस्ताक्षर न हो वह अविधिमान्य हो जायेगा।
- (ix) सभा के तुरत बाद सभापति उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए व्यक्ति के नाम की घोषणा करते हुए प्रारूप (फारम) 16 में एक सूचना बाजार समिति के कार्यालय के किसी सहज-दृश्य स्थान पर चिपकायेगा।
- (x) सभापति मत-पत्रों को मुहरबन्द करेगा। वे सहायक निदेशक के कार्यालय की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे रहेंगे और निदेशक के आदेश के बिना इनका पैकेट न खोला और न नष्ट किया जायेगा।
- (xi) यदि उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय या अपनाई गई प्रक्रिया की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो बोर्ड के प्रबंध निदेशक या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम एवं निश्चायक होगा।
- (xii) नियम 49 (iv) के अधीन बाजार समिति के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी समय किसी व्यक्ति उम्मीदवार द्वारा ऐसी नियुक्ति को चुनौती देने वाली निर्वाचन-अर्जी बोर्ड के प्रबंध निदेशक के समक्ष पेश की जायेगी और प्रबंध निदेशक संबंधित पक्षकारों को सम्यक् सूचना देकर तथा सुनवाई कर इसके संबंध में विधिमान्यता अथवा अन्यथा पर निर्णय देगा। उसका निर्णय अन्तिम होगा और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

50. उपाध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति— उपाध्यक्ष के पद की अवधि समाप्त हो जाने पर या अवधि समाप्त होने से पहले निधन होने या पद त्याग करने या किसी कारणवश पद न धारण करने पर, निदेशक या इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी उपाध्यक्ष के रूप में दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित करने के लिए बाजार समिति की सभा बुलायेगा। निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसी सभा का सभापतित्व करेगा किन्तु मतदान नहीं करेगा। इस नियम के अधीन आकस्मिक रिक्ति, की पूर्ति के लिए निर्वाचित हरेक उपाध्यक्ष उतने समय तक वह उपाध्यक्ष, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है, रिक्ति न होने पर अपना पद धारण करता रहेगा।

51. उपाध्यक्ष सा सदस्य द्वारा पदत्याग— बाजार समिति का उपाध्यक्ष या कोई सदस्य बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पास लिखित आवेदन देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा यह उसके द्वारा जब तक स्वीकार न किया जाय तब तक वह प्रभावी नहीं होगा।

52. निर्वाचन के संबंध में या प्रसंग में हुआ व्यय— निर्वाचन पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गये ऐसे सभी व्ययों का जो बाजार समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में या प्रसंग में हुआ हो, बाजार समिति द्वारा वहन किया जायेगा, परन्तु यदि बाजार समिति के पास निर्वाचन मद्दे व्यय के लिए अपेक्षित पर्याप्त निधि न हो तो यह रकम बाजार समिति की और से बोर्ड या सरकार द्वारा खर्च की गई रकम अधिनियम की धारा 43 के अनुसार बाजार समिति से वसूलनीय होगी।

भ्रष्ट आचरण

53. निम्नलिखित, नियम 43 के प्रयाजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे— (1) रिश्वत अर्थात् किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई हो, किसी परितोषण की ऐसी प्रस्तावना या वचन जिसका प्रत्यक्षतः या परोक्षतः यह उद्देश्य हो कि—

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या उम्मीदवारी वापस लेने या न लेने के लिए, अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत होने के लिए उत्प्रेरित किया जाय, अथवा जो

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात के कि वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली या नहीं ले ली, अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा।

किसी हेतु या इनाम के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा कोई परितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए सहमत होना—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे जो कोई हो, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी उम्मीदवार को उम्मीदवारी वापस लेने या न लेने के लिए उत्प्रेरण का प्रयत्न करने के लिए।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए परितोषण पद का घन रूपी परितोषणों या धन प्राक्कनीय परितोषणों तक ही प्रतिबंधित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया प्रत्यक्षतः या परोक्षतः हस्तक्षेप का प्रयत्न :

परन्तु—

(क) इस खण्ड के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथा निर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की वावत जो—

(i) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक वहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुँचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसमें वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जायेगा या बना दिया जायेगा,

यह समझा जायेगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है।

(ख) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जायेगा।

(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक यथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई।

(4) किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के लिए धर्म, मूलवंश (रेस), जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएँ संप्रवर्तित करना या करने का प्रयास करना।

(5) किसी उम्मीदवार के वैयक्तिक शील या आचरण या किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस लेने के संबंध में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्य का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है और जो उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त से प्रकल्पित कथन है।

(6) स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्यों या उसके एजेन्ट से भिन्न किसी मतदाता को किसी मतदान केन्द्र में ले जाने या वहाँ से ले आने के लिए, किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट द्वारा या उम्मीदवार या उसके एजेन्ट की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मतदान के लिए उपबंधित किसी यान या जलयान को भाड़े पर लेने या भुगतान पर या अन्यथा अभिप्राप्ति करना या किसी मतदाता को मुफ्त सवारी के लिए ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना :

परन्तु किसी मतदाता द्वारा या विभिन्न मतदाताओं द्वारा अपने संयुक्त खर्च पर ऐसे किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान तक या वहाँ से आने के लिए किसी यान या जलयान का भाड़े पर लिया जाना इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण ही समझा जायेगा, बशर्ते कि इस प्रकार भाड़े पर लिया गया यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित यान, जलयान हो :

परन्तु और कि किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर ऐसे किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने या वहाँ से आने के लिए किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी रेलगाड़ी का उपयोग इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड में, यान शब्द से अभिप्रेत है सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया या लाये जाने योग्य कोई यान, जो चाहे यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यान खींचने के लिए या अन्यथा काम में लाया गया हो।

(7) किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या उम्मीदवार या उसके एजेन्ट की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता को अग्रसर करने के लिए सरकारी, विपणन बोर्ड, बाजार समिति की सेवा में लगे किसी व्यक्ति से मतदान से भिन्न कोई सहायता प्राप्त करना या अधिप्राप्त करना अथवा प्राप्त या अधिप्राप्त करने की दुष्प्रेरणा देना या प्रयास करना।

स्पष्टीकरण— (i) इस नियम में एजेन्ट शब्द से अभिप्रेत है मतदान एजेन्ट और या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में ऐसा माना जाय कि उसने उम्मीदवार की सम्मति से निर्वाचन के सिलसिले में एजेन्ट के रूप में कार्य किया है।

(i) खण्ड (7) के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता को अग्रसर करने में सहायता करने वाला समझा जायेगा यदि वह उस उम्मीदवार के एजेन्ट के रूप में कार्य करता हो।

भाग 3

बाजार समिति- इसके अध्यक्ष, पदाधिकारी और सेवक तथा विवाद उपसमिति कृत्य और शक्तियाँ

54. अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियाँ- अध्यक्ष बाजार समिति का नियंत्रण और पर्यवेक्षण पदाधिकारी होगा तथा बाजार समिति के सभी पदाधिकारी और सेवक इस नियमावली और बाजार समिति द्वारा दिए गए निदेशों अध्यक्षीन इसके नियंत्रणाधीन होंगे।

अध्यक्ष बाजार समिति की बैठक का सभापतित्व करेगा।

55. बाजार समिति की बैठक- (i) बाजार समिति की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में उस अवसर पर बैठक का सभापतित्व सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य करेगा।

(ii) अध्यक्ष बैठक में सभी प्रश्नों पर बोलने और मत देने का हकदार होगा।

(iii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या बैठक का सभापतित्व करने वाले सदस्य को उस बैठक के लिए या उस अवधि के दौरान जिसमें वह सभापतित्व करता है, अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होंगी।

(iv) ऐसे सभी प्रश्न जो किसी बैठक में बाजार समिति के समक्ष उठेंगे बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर के हर मामलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले सदस्य को एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा जिसका वह प्रयोग करेगा।

56. कार्यवृत्त बही का रखा जाना- बाजार समिति का सचिव कार्यवृत्त पंजी रखेगा जिसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य की देख-रेख में सचिव हर बैठक की कार्यवाही का अभिलेख अंकित करेगा। इस पर सचिव और अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर होंगे। कार्यवृत्त पंजी स्थाई तौर पर सुरक्षित रखी जायेगी। यह पंजी सभी युक्तियुक्त समयों में बाजार समिति के सदस्यों तथा बोर्ड के प्रबंध निदेशक, निदेशक विपणन, सहायक निदेशक अथवा इस निमित्त बोर्ड के प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। बाजार समिति की कार्यवाही का अभिलेख लोक-दस्तावेज नहीं माना जायेगा और जब तक किसी न्यायालय या बोर्ड के प्रबंध निदेशक के आदेशों द्वारा उसकी नकल देने की अपेक्षा न की जाय तब तक नकल नहीं दी जायेगी।

57. बाजार समिति के दस्तावेजों या बहियों की प्रविष्टियों की प्रतियाँ जिसके द्वारा अभिप्रमाणित की जा सकेंगी- सचिव बाजार समिति के दस्तावेजों या बहियों की प्रविष्टियों की प्रतियों की, प्रति फोलियो 1.00 रु0 भुगतान करने पर, बाजार समिति की मुहर लगाकर सच्ची प्रतियों के रूप में प्रमाणित करेगा।

58. दस्तावेजों का निरीक्षण- बाजार समिति के सदस्य या जनता बाजार समिति के कार्यालय में उपविधियों का निरीक्षण कर सकेंगी और प्रति फोलियो 50 पैसे का भुगतान कर के और पुस्तक रूप में, उपविधियों की प्रमाणित प्रतियाँ बाजार समिति द्वारा यथा नियत कीमत पर प्राप्त कर सकेंगी।

59. बैठक में सम्मिलित होने के हकदार व्यक्ति- सहायक निदेशक अथवा बोर्ड के प्रबंध निदेशक, प्राधिकृत कोई भी पदाधिकारी बाजार समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने का हकदार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा। प्रत्येक बैठक बुलाने की सूचना की एक प्रति सहायक निदेशक और बोर्ड अथवा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

60. बैठक की कार्यवाही की प्रति- बाजार समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति सहायक निदेशक और निदेशक विपणन अथवा उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के पास भेजी जायेगी।

61. बाजार समिति कतिपय अन्य बातों का उपबन्ध करेगी- (i) सरकार और/या बोर्ड को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद बाजार समिति जहाँ तक उसके पास निधि हो सके वहाँ तक, किन्तु अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्ध के अध्यक्षीन, निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगी-

(क) किसी ऐसे अहाते या भवन का अनुरक्षण और विकास, जो बाजार का अंग हो,

(ख) ऐसे भवनों, यार्डों और अन्य परिनिर्माणों की संरचना और मरम्मत, जो बाजार के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सुविधा और सुरक्षा, जो बाजार का उपयोग करते हों या वहाँ आते हों।

(ii) उप-नियम (i) के अधीन किए गए भुगतान और व्यय इस निमित्त किए गए किसी विशेष संविदा के अध्यक्षीन होंगे।

62. विवादों का निपटारा- (i) बाजार समिति, विवाद-उप समिति नामक एक उप समिति नियुक्त कर सकेंगी? जिसमें उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(क) उपाध्यक्ष;

(ख) कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य;

(ग) व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य; और

(घ) सचिव।

(ii) उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उप-समिति का कोई सदस्य बैठक का सभापतित्व करेगा।

(iii) प्रत्येक विवाद पहले सचिव को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विवाद को निपटाने का प्रयास करेगा। यदि किसी पक्षकार को सचिव का विनिश्चय ग्राह्य नहीं हो तो वह विवाद बाजार समिति के आदेश से नियत फीस का भुगतान करने पर विवाद उप-समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) उप-समिति में तीन सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

(v) वे सभी प्रश्न जो विवाद उप-समिति के समक्ष उपस्थित होंगे बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे। मतों की बराबरी के प्रत्येक मामले में अध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले सदस्य का अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा जिसका वह प्रयोग करेगा।

(vi) विवाद उप-समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील सहायक निदेशक या इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास की जायेगी और सहायक निदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी का विनिश्चय विवाद के पक्षकारों के लिए अन्तिम और बाध्यकारी होगा, बशर्ते कि, ऐसी अपील सहायक निदेशक या प्राधिकृत पदाधिकारी के पास विवाद उप-समिति के द्वारा दिए गये विनिश्चय की तारीख से सात दिनों के भीतर की जाय।

63. उप-समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन— (i) बाजार समिति एक या अधिक उप-समितियों नियुक्त कर सकेगी। इनमें अधिक-से-अधिक तीन सदस्य होंगे जो किसी विषय पर रिपोर्ट या राय देंगे। यह ऐसे निबंधन या शर्तों के अध्यक्षीन जो उप-समिति में विनिर्दिष्ट हों ऐसी किसी उप-समिति को ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगी जो यह ठीक समझे।

(ii) बाजार समिति अपने दैनिकी कार्य संचालन हेतु या यथास्थिति हरेक या किसी बाजार यार्ड के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए इधिक-से-अधिक तीन सदस्यों की एक उप-समिति या उप-समितियाँ गठित कर सकेगी और ऐसी उप समिति या उपसमितियों को अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(iii) हरेक उप-समिति अपनी कार्यवाहियों की एक कार्यवृत्त-बही रखेगी और सचिव इसमें सदस्य के रूप में भाग लेगा तथा उप-समिति की कार्यवाहियाँ लिखने के जिम्मेदार होगा।

64. बाजार समिति के सचिव और स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें— (i) (क) जहाँ सचिव सरकार या बोर्ड का पदाधिकारी हो वहाँ वह उसी सेवा के वेतनमान में वेतन लेगा जिसे वह संबद्ध है।

(ख) सचिव की अन्य सेवा शर्तें अथवा पेन्शन, छुट्टी, उपादान, यात्रा आदि उस सेवा की नियमावली द्वारा शासित होंगे जिसे वह संबद्ध है।

(ग) कोई भी व्यक्ति धारा 20 की उप धारा (i) के अधीन पणन सचिव के रूप में नियुक्त नहीं होगा जब तक वह—

(क) कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक न हो;

(ख) पूर्वोक्त शक्तियों का 25 प्रतिशत जिसपर अब से सीधी नियुक्ति होगी वैसे कृषि स्नातकों के लिए जिन्हें डिग्री स्तर पर कृषि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि विपणन प्रबंधन/व्यापार प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा धारण करते हों, के लिए आरक्षित रहेगा।

(ii) बोर्ड ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों को, जो बाजार समिति के सुचारु एवं कुशल कार्य संचालन के लिए आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगा।

65. प्रतिभूति— बाजार समिति अपने स्टाफ से उप-विधि में यथाविहित पर्याप्त प्रतिभूति लेगी जिसे नगद लेने-देने का कार्य सौंपा गया है।

66. सचिव की शक्तियाँ और कृत्य— (i) सचिव बाजार समिति का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा जो बाजार समिति के प्रस्तावों को कृत्यान्वित करेगा;

(ii) समिति के सभी कर्मचारी तथा समिति में प्रतिनियुक्त पर्सन के सभी कर्मचारी उसके नियंत्रण में होंगे। वह उनके कार्यों को इस शक्ति से निदेशित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि बाजार समिति की सुचारु और दक्षतापूर्ण क्रिया विधि सुनिश्चित की जा सके;

(iii) बाजार समिति तथा पर्सन के, बाजार समिति में पदस्थापित, पदाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनकी उपेक्षा, कदाचार, अनुशासनहीनता आदि के लिए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कारवाई करेगा;

(iv) वह बाजार समिति द्वारा पारित सभी आदेशों के उचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा;

(v) वह बाजार समिति द्वारा संधारित (रखी गई) स्थापना का प्रधान होगा;

(vi) बाजार समिति को अध्यक्ष के नियंत्रण के अध्यक्षीन सचिव बाजार समिति के लिए या उसकी और से प्राप्त या खर्च किए गए धन का ठीक लेखा रखने के लिए जिम्मेदार होगा;

(vii) सचिव सरकार के अधीनस्थ कार्यालय या बोर्ड से पत्राचार किया करेगा;

(viii) वह ऐसे सभी विवादों का पूर्ण अभिलेख रखने के लिए भी जिम्मेवार होगा जो उसके और विवाद उप-समिति के समक्ष निश्चय किए जायेंगे;

(ix) बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के बिक्रय और कृय से संबद्ध सभी विषयों के संबंध में लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर सचिव जाँच करेगा और उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को ऐसी कार्यवाही करने के लिए देगा जो वह अधिनियम, नियमावली और उप-विधि के उपबंधों के अनुसार आवश्यक समझे। सचिव का यह कर्तव्य होगा कि जाँच करे कि बिक्रेताओं को बाजार क्षेत्र में उचित भुगतान मिल रहा है और बाजार क्षेत्र में कृषि उपज की तौल में कोई अनियमितता नहीं बरती जाती है;

(x) वह बाजार समिति की बैठक बुलायेगा। उसके पदेन सदस्य सचिव के रूप में उसके या उप समिति की किसी भी सभा में बोलने, मतदान करने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। वह अधिनियम, नियमावली और उप-विधि के उपबंधों, बाजार समिति के पूर्व विनिश्चयों तथा राज्य सरकार और बोर्ड के निदेशों के आलोक में बाजार समिति और उसके अध्यक्ष को सलाह देगा;

(xi) उसे बाजार समिति तथा समिति में पदस्थापित पर्सदीय कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी तथा उपाजित छुट्टी मंजूर करने की शक्ति होगी;

(xii) सचिव बाजार समिति तथा समिति में पदस्थापित पर्सदीय कर्मचारियों के कार्य का वार्षिक निर्धारण करेगा;

(xiii) सचिव बाजार समिति के कर्मचारियों के कार्य का वार्षिक निर्धारण करेगा। इसे अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो कर्मचारियों के कार्य का अन्तिम निर्धारण करते समय इस निर्धारण को ध्यान में रखेगा;

(xiv) वह बाजार समिति की ओर से चलाये जाने वाले अभियोजनों के संबंध में परिवाद करेगा और बाजार समिति की ओर से सिविल या दण्ड न्यायालयों और अधिकरण या किसी प्राधिकार के समक्ष कार्यवाहियों का संचालन करेगा;

(xv) वह अधिनियम, नियमावली उप-विधि तथा बोर्ड और बाजार समिति के आदेश से डाले गए किसी अन्य कर्तव्य का भी पालन करेगा; और

(xvi) सचिव अपना एवं बोर्ड और बाजार समिति के पदाधिकारियों एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगा।

67. सचिव की शक्तियाँ और कृत्य— बाजार समिति वैसी सभी जानकारी देगा जिसकी अपेक्षा बोर्ड या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी ने की हो। अधिनियम, नियमावली और उसकी उप-विधियों द्वारा विहित कर्तव्यों के अलावे, बाजार समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेवार होगी—

(i) इसके पदाधिकारियों द्वारा सभी प्राप्तियों और भुगतानों पर उचित नियंत्रण रखना;

(ii) बाजार समिति-निधि पर प्रभार्य सभी निर्माणों का उचित निष्पादन;

(iii) अधिनियम, नियमावली और उसके अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओं तथा इसकी उपविधियों की प्रति कार्यालय में मुफ्त निरीक्षण के लिए सदा तैयार रखना;

(iv) इसकी कार्यवाहियों की एक कार्य-बही रखना;

(v) बाजार में लाई गयी हरेक गाड़ी या बोझ का लेखा रखना;

(vi) तहसीली गयी फीस का रजिस्टर रखना;

(vii) अपने पदाधिकारियों और सेवकों से प्रतिभूति लेना;

(viii) फीस तहसीलने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों को रोकड़-बक्स और अधकट्टी वाली रसीद देना;

(ix) तौलने वाले और सेवकों को बैज देना;

(x) निर्माण कार्य के लिए नक्शा और प्राक्कलन तैयार करना;

(xi) यथाविहित प्रारूप (फारम) में लेखा रखना;

(xii) आस्तियों और दायित्वों का विवरण प्रकाशित करना;

(xiii) आमद-खर्च पर नियंत्रण रखना;

(xiv) बजट के अनुसार खर्च विनियमित करना;

(xv) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार और अंगीकृत करना;

(xvi) विपणन (मार्केटिंग) की जानकारी देना;

(xvii) अधिसूचित कृषि उपज के स्थायी भंडारण या स्टैक रखने की व्यवस्था करना;

(xviii) बाजार फीस का अपवंचन रोकने के लिए जाँच चौकी, फाटक (गेट) या अन्य फिक्सचर खड़ा करना तथा इनके संबंध में अन्य उपाय करना; और

(xix) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम, नियमावली और उप-विधि के अधीन बताई गई तथा बोर्ड द्वारा निदेशित हो।

भाग 4

बाजार निधि व्यय एवं लेखा

68. बाजार समिति निधि— (i) बाजार समिति द्वारा प्राप्त सभी धन बाजार निधि नाम की एक निधि में आकलित कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति को छोड़कर जहाँ सरकार या बोर्ड स्वप्रेरणा से बाजार समिति द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर अन्यथा निदेश दे, बाजार समिति निधि में डाले जाने वाले सभी धन सप्ताह में कम-से-कम एक बार स्टेट बैंक या इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप में अनुमोदित किसी बैंक में पूर्णतः आकलित कर दिये जायेंगे और प्रबंध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को, राशि आकलित की जाने के तीन दिनों के भीतर भेज दी जायेगी। निधि की सभी शेष राशि ऐसे बैंक में रखी जायेगी और निकासी इस नियमावली के अनुसार ही, न कि अन्यथा की जायेगी।

(ii) (क) प्रत्येक बाजार समिति अपनी निधि में से बोर्ड को कार्यालय स्थापना व्यय और सामान्यतः बाजार समिति के हित में इसके द्वारा किये गये अन्य व्यय चुकाने के लिए बोर्ड को अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत अंशदान, के रूप में चुकायेगी, जो विनिर्दिष्ट है। वह अधिसूचित बाजार क्षेत्र में अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नियोजित स्टाफ का व्यय भी चुकायेगी।

(1) यदि बाजार समिति की आय 10,000 रु० से अधिक नहीं हो— 10 प्रतिशत।

(2) यदि बाजार समिति की आय 10,000 रु० से अधिक हो तो प्रथम 10,000 रु० पर 10 प्रतिशत।

(3) अगले 5,000 0 या उसके किसी भाग पर 15 प्रतिशत।

(2) बाकी आय पर 25 प्रतिशत।

(ख) बोर्ड बाजार समितियों के प्रयोजनार्थ ओर हित में अपने द्वारा नियोजित ऐसे स्टाफ का व्यय अवधारित करेगा। बाजार समिति द्वारा देय रकम के संबंध में अवधारित करने वाला बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा।

69. व्यय— (i) 500 रु० से अधिक के सभी भुगतान बाजार समिति की ओर से काटे गये चेक के द्वारा ही किया जायेगा।

(ii) सचिव द्वारा जाँचे और पारित किए गये बिल पर अथवा अग्रदाय के निर्गम या प्रतिपूर्ति पर काटे गये चेक के सिवाय बाजार समिति की ओर से कोई चेक नहीं जायेगा और सचिव, निम्नांकितों को छोड़, भुगतान के लिए कोई भी बिल बाजार समिति की पूर्व मंजूरी के बिना पारित नहीं करेगा—

(क) बाजार समिति के सचिव, बोर्ड या बाजार समिति के पदाधिकारी और स्टाफ के वेतन एवं भत्ता का भुगतान।

(ख) ऐसे निर्माण और मरम्मतों के लिए भुगतान, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने सम्यक रूप से मंजूर किया हो; और

(ग) ऐसे व्यय की पूर्ति, जिसके लिए बजट उपबंध है अथवा जो 5,000 रु० से अधिक नहीं है।

(ii) पणन सचिव अगले महीने के पहले सप्ताह के अन्त में प्रबंध निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विगत माह के मासिक खर्च का लेखा-जोखा प्रबंध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को भेजेगा।

70. चेकों पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी— (i) बाजार समिति की ओर से काटे गये दो हजार रुपये के मूल्य या इससे कम या यथास्थिति झारखण्ड राज्य कृषि विपणन र्षद द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत राशि के चेक पर सचिव का हस्ताक्षर होगा तथा बाजार समिति की ओर से काटे गये अन्य सभी चेकों पर सचिव का हस्ताक्षर तथा अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का प्रतिहस्ताक्षर होगा।

लेकिन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ता और वैधानिक दायित्व से संबंधित किसी भी राशि के भुगतान के चेक पर मात्र सचिव का हस्ताक्षर होगा।

(ii) बाजार समिति की ओर से काटे जाने के लिए तात्पर्यित किसी चेक पर बैंक से तब तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक कि वह, यथास्थिति, हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित नहीं हो।

(iii) पणन सचिव अगले महीने के प्रथम सप्ताह के अन्त में प्रबंध निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विगत माह के मासिक खर्च का लेखा-जोखा प्रबंध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को भेजेगा।

71. बैंक को विप्रेषण— बैंक को किए गये सभी विप्रेषणों के साथ निक्षेप पर्ची की दो प्रतियाँ लगी रहेंगी। बैंक द्वारा प्रस्तुत मासिक या आवधिक लेखा विवरण नियमित रूप से एक संचिका में रखा जायेगा तथा लेखा की जाँच और संपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

72. पासबुक— आरम्भिक लेखा रखने वाले बैंक महीने में कम-से-कम एक बार पासबुक अद्यतन कर देगा।

73. बजट उपस्थापन— (i) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ और 31 मार्च को समाप्त समझा जायेगा।

(ii) बाजार समिति हरेक वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में लेखा प्रक्रिया के अधीन विहित फारम में आगामी वर्ष के आय-व्यय का बजट तैयार करने के लिए अपनी बैठक करेगी। बजट 15 जनवरी तक सहायक निदेशक को पेश किया जायेगा और पिछले वर्ष के आय-लाभ का सारांश भी उसके पास 30 अप्रैल तक पेश कर दिया जायेगा तथा दोनों की प्रतियाँ बोर्ड को भेज दी जायेंगी। सहायक निदेशक बाजार समिति को मंजूरी भेजते समय उसकी एक प्रति बोर्ड को पृष्ठांकित करेगा।

(iii) ऐसा कोई भी खर्च तबतक नहीं किया जायेगा जिसके लिए बजट में उपबंध न हो, जबतक वह अन्य शीर्षकों के अधीन बचत विनियोग से या उपलब्ध राजस्व से अनुपूरक अनुदान द्वारा पूरा न किया जा सके जिसकी मंजूरी बाजार समिति की बैठक में मिलनी चाहिए। इस आशय की रिपोर्ट सहायक निदेशक को तथा उसकी प्रति बोर्ड को तुरन्त भेजी जाय।

(iv) उप-नियम (ii) में किसी बात के होने पर भी बोर्ड लिखित कारण बताते हुए किसी बाजार समिति के बजट को संशोधित या पुनरीक्षित कर सकेगा।

74. बजट में शामिल किए जाने वाले निर्माण— 10,000 रु0 तक का हरेक निर्माण बाजार समिति से और 10,000 रु0 से अधिक का हरेक निर्माण बोर्ड से अनुमोदित कराना होगा।

75. मंजूरी का साक्ष्य— 30,000रुपये (तीस हजार रुपया मात्र) तक प्राक्कलित खर्च वाले निर्माणों का नक्शा और प्राक्कलनों को किसी स्थानीय अभियंता से प्रवीकृत कराना होगा और तीस हजार रुपये से अधिक प्राक्कलित राशि खर्च वाले निर्माणों की दशा में प्रबंध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पर्सन के अभियंता की मंजूरी प्राप्त करनी होगी किन्तु नक्शा और प्राक्कलन को खण्डों में बांटना अनुज्ञेय नहीं होगा।

76. निर्माण-कार्य का पर्यवेक्षण— निर्माण कार्य सचिव या पर्सन द्वारा यथानिर्देशित रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

77. स्थायी निधि— (i) हरेक वर्ष के अन्त में बाजार समिति-निधि के अधिशेष की रकम, वर्ष के अन्त के तीन महीनों के भीतर बाजार समिति की स्थायी निधि में आकलित कर दी जायेगी और उसका उपयोग केवल स्थायी रूप के खर्चों जैसे भवन निर्माण, स्थलों के अर्जन या खरीद में अथवा ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, किया जायेगा।

(ii) बाजार समिति अपनी निधि का विनिधान निम्नलिखित मदों में कर सकेगी—

(क) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में;

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (सं0 2, 1882) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में किन्तु स्थावर सम्पत्ति के बंधक पर कोई विनिधान नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी बैंक से, इस तरह विनिहित कोई रकम और उसका ब्याज बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ही निकाला जा सकेगा।

78. वार्षिक रिपोर्ट— हरेक वर्ष के अन्त में बाजार समिति फारम सं0 17 में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसकी प्रतियाँ बोर्ड और उसके द्वारा यथानिर्देशित अन्य पदाधिकारियों के पास उपस्थापित करेगी।

79. लेखा और संपरीक्षा— (i) बाजार समिति का लेखा और अभिलेख बोर्ड, यथानिर्देशित रूप से रखा जायेगा।

(ii) बाजार समिति के लेखे की धरा 50 के अधीन संपरीक्षा की जायेगी।

(iii) संपरीक्षा के समय सचिव अथवा अध्यक्ष की ओर से इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ऐसा हरेक लेखा, रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य संगत कागज-पत्र पेश करायेगा, जो संपरीक्षा के प्रयोजनार्थ संपरीक्षा पदाधिकारी मांगे। किसी विसंगति के समाधान के लिए संपरीक्षा पदाधिकारी जो भी मांगे वह भी उसे तुरन्त प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) अंकेक्षण-ज्ञापन बाजार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा और इसका उत्तर यथास्थिति विचारार्थ अथवा कार्रवाई के लिए बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पास उपस्थापित किया जायेगा।

(v) किसी भार अथवा अधिभार से व्यथित कोई व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के पास अपील कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसा निरीक्षण जो वह आवश्यक समझे करने के बाद यथोचित आदेश देगा—

(क) 100 रु0 तक अधिभार के विरुद्ध अपील— सहायक निदेशक;

(ख) 500 रु0 तक अधिभार के विरुद्ध अपील— निदेशक;

500 रु0 से अधिक अधिभार के विरुद्ध अपील बोर्ड के प्रबंध निदेशक के समक्ष।

(vi) ऐसी अपील का निपटारा होने तक भार सर्टिफिकेट संबंधी सभी कार्यवाहियाँ रोक रखी जायेंगी।

(vii) बोर्ड अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बाजार समिति के लेखा की आन्तरिक संपरीक्षा करा सकेगा।

भाग 5

बाजार, बाजार यार्ड और उप-यार्ड

80. बाजारों की स्थापना— (i) धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने तथा धारा 9 के अधीन बाजार समिति की स्थापना के बाद

राज्य सरकार बाजार की स्थापना के लिए बाजार समिति को निदेश देगी।

(ii) उप-नियम (i) के अधीन ऐसा करने का निदेश मिलने के बाद बाजार समिति उस बाजार क्षेत्र में एक बाजार की स्थापना करेगी, जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है।

(iii) बाजार समिति द्वारा बाजार की स्थापना के बाद राज्य सरकार धारा 5 के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगी।

(iv) विशेष मंडी/विशेष जिन्स बाजार के लिए बाजार का गठन—

(क) राज्य सरकार अथवा निदेशक/प्रबंध निदेशक धारा 4 के तहत किसी बाजार को विशेष बाजार/विशेष जिन्स बाजार घोषित कर सकते हैं, बशर्ते कि वह बाजार:

(ख) एक ही जिन्स अथवा जिन्स के एक समूह का लगभग पूरी तरह से प्रबंध करता हो;

(ग) अपने आवक की अधिकांश मात्रा की आपूर्ति, खद्य प्रसंस्करण उद्योगों अथवा बिक्रेता अथवा निर्यात व्यापार अर्थात् टर्मिनल बाजार को करता हो;

(घ) आवक अथवा जावक अथवा दोनों बड़ा भाग राज्य के बाहर से संबंधित हो; तथा

(ङ) आवक और जावक इस प्रकार की गुणवत्ता अथवा प्रकृति का हो कि इसे विशेष दर्जे की आवश्यकता हो।

81. बाजार यार्ड का नियंत्रण और सफाई— (i) बाजार समिति एक या अधिक बाजार यार्ड बनायेगी और इस नियमावली तथा सरकार अथवा बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष आदेशों अथवा किसी अन्य विधि द्वारा नियंत्रण के अधधीन उस पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी। बाजार समिति कृषि उपज के व्यापार की सुविधाओं और उस प्रयोजन को ध्यान में रख कर जिसके लिए बाजार समिति को नियंत्रण दिया गया हो व्यापार के हित में बाजार यार्डों की व्यवस्था करेगी। बाजार यार्ड व्यापार के लिए उस समय खुले रहेंगे जैसा बाजार समिति समय-समय पर निर्धारित करे।

(ii) बाजार समिति अधिनियम, नियमावली और उप-विधि के उपबंधों के अनुसार बाजार क्षेत्र में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी जो बाजार पर सुविधापूर्वक नियंत्रण रखने के लिए, बाजार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को सुविधा तथा आराम पहुँचाने के लिए तथा फीस तहसीलने के लिए आवश्यक हो।

(iii) बाजार समिति बाजार क्षेत्र के भीतर अवस्थित किसी औद्योगिक समुत्थान के स्वामी या प्रबंधन से, ऐसी कृषि उपज के संबंध में, जिसके लिए बाजार की स्थापना की गई हो और जिसका कारखाना या उपयोग वह औद्योगिक समुत्थान करता हो, ऐसी जानकारी देने की अन्वेषण कर सकेगी जिसे बाजार समिति बाजार के नियंत्रण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे।

भाग 6

फीस— लगान (लेवी) और वसूली

82. बाजार फीस— (i) (क) बाजार समिति बाजार क्षेत्र में खरीदी, बेची या प्रसंस्करण हेतु लाई गई प्रत्येक 100 रुपये के अधिसूचित कृषि उपज पर एक रुपया की दर से बाजार शुल्क उद्ग्रहित करेगी, बशर्ते राज्य के अन्दर किसी अन्य बाजार समिति में बाजार शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो।

(ख) बाजार समिति अधिसूचित कृषि उपज पर धारा 27 की उप-धारा 1 के अन्तर्गत लगाये गये बाजार शुल्क का भुगतान यदि राज्य के अन्दर एक बाजार समिति को कर दिया गया हो और जब प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, निर्यात के फलस्वरूप कोई बिक्री हुई हो, तो ऐसे मामलों में बाजार शुल्क के भुगतान से संबंधित प्रबंध निदेशक द्वारा अधिसूचित अनुज्ञा-पत्र (परमिट) प्रारूप (फारम)- 18 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अन्य बाजार समिति द्वारा दुबारा राज्य के अन्दर बाजार शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा।

(ग) बाजार समिति अधिसूचित कृषि उपज पर धारा 27 की उप-धारा 1 के अन्तर्गत लगाये गये बाजार शुल्क का भुगतान यदि राज्य के अन्दर पंजीकृत व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले वाणिज्यिक संव्यवहार/लेन-देन राज्य के किसी एक बाजार क्षेत्र में कय की गई कृषि उपज पर प्रबंध निदेशक द्वारा अधिसूचित फार्म 18(क) में प्रमाण प्रस्तुत करने पर राज्य के दूसरे बाजार क्षेत्र में उसकी बिक्री या पुनर्बिक्री पर बाजार फीस देय नहीं होगी।

(ii) यदि बिक्रेता लाइसेंसधारी हो तो वह बाजार फीस प्रत्येक माह के अन्त के बाद 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर बाजार समिति के पास जमा कर देगा।

(iii) यदि बिक्रेता लाइसेंसधारी हो और केता लाइसेंसधारी नहीं हो तो बिक्रेता, केता से बाजार फीस की वसूली कर प्रत्येक माह के अन्त के बाद 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर बाजार समिति के पास जमा कर देगा।

(iv) यदि केता और बिक्रेता दोनों अनुज्ञापितधारी हो तो बिक्रेता, केता से बाजार फीस की वसूली कर प्रत्येक माह के अन्त के बाद 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर बाजार समिति के पास जमा कर देगा।

केता अनुज्ञापितधारी इस आशय का विवरण धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन दी जाने वाली विवरणी के साथ देगा।

(v) बाजार समिति सीधे केता अथवा उसके एजेन्ट से बाजार फीस वसूलने के लिए अपने किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा

किसी तहसील अभिकर्ता, जिसकी नियुक्ति प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, को प्राधिकृत कर सकेगी।

(vi) बाजार, समिति बाजार क्षेत्र के क्रियाशील व्यापारियों, दलालों, तौलकों, मापकों, भंडारागारियों तथा अन्य व्यक्तियों को नियम 98 और 100 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लाइसेंस फीस लगायेगी और वसूल करेगी।

(vii) यदि कोई कृषि उपज बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण अथवा निर्यात के लिए लाई जाती है तो यथास्थिति प्रसंस्करण अथवा निर्यात के लिए ऐसी उपज लानेवाला व्यापारी फारम 18 में घोषणा करेगा और यदि आवश्यक हो तो बाजार समिति से छूट लेने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त करेगा।

(viii) यदि कोई कृषि उपज जिसके संबंध में उप-नियम (vii) के अधीन घोषणा की गयी हो, धारा 27 की उप-धारा (i) के अधीन बाजार फीस लगाने लायक हो तो ऐसा व्यक्ति कृषि उपज के मूल्य के प्रति 100 रु0 पर 1 रु0 की दर से बाजार फीस जमा करेगा जिसकी (मूल्य की) गणना उस दिन की औसत बाजार दर पर की जायेगी जिस दिन फीस देय हो गई हो।

(ix) हरेक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, धारा 27क की उप-धारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के पहले उप-नियम (ii) या (iii) के अनुसार बाजार समिति को यथास्थिति भुगतये या वसूली गई बाजार फीस बाजार समिति के पास जमा करेगा और उससे दो प्रतियों में उस जमा की रसीद प्राप्त करेगा, तथा उसकी एक प्रति उस विवरणी के साथ अनुलग्न करेगा।

(x) ऐसे लाइसेंसधारी व्यापारी को जिसने उप-नियम (ix) के अधीन विहित रकम का भुगतान कर दिया है धारा 27 की उप-धारा (i) के अधीन भुगतये बाजार फीस की रकम के 1 प्रतिशत की दर से छूट दी जायेगी और ऐसा लाइसेंसधारी व्यापारी ऐसी रकम इस नियम के अधीन अनुमान्य फीस से काट सकेगा।

(xi) यदि कोई लाइसेंसधारी व्यापारी धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन दी गई विवरणी तथा उसके अनुसार देय बाजार फीस की रकम जमा नहीं करे तो 27 की उप-धारा (2) के अधीन विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात 200/रु0 (दो सौ रुपया) तक देय बाजार शुल्क की राशि पर प्रति दिन 10/रु0 (दस रुपया) की दर से 200/रु0 (दो सौ रुपया) से 5000/ रुपया तक की देय राशि पर 30/ रुपया (तास रुपया) प्रति दिन की दर से तथा 5000/ रुपया से अधिक देय राशि पर 50/ रुपया (पचास रुपया) प्रति दिन की दर से शास्ति का भुगतान करेगा। परन्तु सचिव किसी खास व्यापारी के संबंध में और उल्लिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे भुगतान की तारीख अधिक-से-अधिक 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए बढ़ा सकेगा और व्यापारी को देय फीस तथा शास्ति यदि कोई हो तो बढ़ाई गयी तारीख तक देने की अनुमति प्रदान कर सकेगा। परन्तु यदि बाजार समिति का अभिलिखित कारणों से समाधान हो जाय तो बाजार समिति प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर इस नियम के अधीन लगाई गयी शास्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः छोड़ सकती है।

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन देय धारा 27क की उप-धारा (8) के अधीन लगाई गई शास्ति मिला कर लगायी गई फीस अथवा ऐसे व्यापारी द्वारा देय फीस के तीन गुणा से अधिक नहीं होगा।

(xii) यदि शास्ति के साथ फीस की रकम अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेश के फलस्वरूप कम कर दी जाय तो व्यापारी उस रकम से जो उसके द्वारा दिये जाने के लिए अन्तिम रूप से अवधारित की गयी हो, अधिक चुकाई गयी रकम बाजार समिति नकद भुगतान द्वारा या किसी अन्य अवधि के लिए व्यापारी द्वारा देय रकम में अधि भुगतान समंजन करके वापस कर देगी, परन्तु ऐसी वापसी का दावा तबतक ग्रहण नहीं किया जायेगा जबतक कि वह ऐसी रकम के लिए व्यापारी को सूचना तामील कराने की तारीख से 90 दिनों के भीतर न किया जाय।

(xiii) (क) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे बाजार समिति के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी या अन्य व्यक्ति ने बाजार फीस सीधे वसूल की हो उसके द्वारा देय फीस के बारे में प्रतिवाद करे तो हव बाजार समिति की निर्धारण उप-समिति के समक्ष एक आवेदन दे सकेगा जिसमें सभी तथ्यों और इप्सित अनुतोष का पूर्ण विवरण रहेगा और उप-समिति आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद आवश्यक आदेश देगी।

(ख) इस नियम के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी और उस पर धारा 27-ख के उपबंध लागू होंगे।

83. फीस की वसूली— (i) नियम 82 के अधीन कृषि उपज पर वसूलनीय फीस उसी समय देय हो जायेगी जब वह बाजार क्षेत्र में किसी जगह खरीदी या बेची जाय।

(ii) अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) फीस का अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) के आवेदन के साथ भुगतान किया जायेगा किन्तु यदि बाजार समिति अनुज्ञप्ति देने से इनकार करे तो वसूली गयी फीस आवेदक को वापस कर दी जायेगी।

84. रसीद पावती— (i) बाजार समिति की ओर से प्राप्त सभी रकमों के लिए हरेक व्यक्ति को इस नियमावली या उप-विधियों के अधीन उससे ली गयी फीस के संबंध में सचिव या इस निमित्त बाजार समिति द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी, सेवक या

किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित रसीद तीन प्रतियों में दी जायेगी। रसीद की एक प्रति कार्यालय अभिलेख के लिए कार्यालय में रख ली जायेगी।

(ii) फीस तहसील करने के लिए प्राधिकृत हरेक व्यक्ति फीस देने वाले को रसीद देगा और दी गई रसीद का प्रतिपुर्ण रखेगा तथा साधारणतया सभी रसीदों का लेखा दिन में एक बार सचिव को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को देगा।

85. स्टाफ बिल्ला (बैज) लगायेंगे— फीस तहसील करने के लिए प्राधिकृत बाजार समिति का पदाधिकारी या स्टाफ बाजार समिति द्वारा दिया गया बिल्ला (बैज) लगायेगा और वैसा पहचान पत्र भी रखेगा जैसा उप-विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

86. फीस का भुगतान होने तक कृषि उपज के हटाने पर प्रतिबंध— कोई भी व्यक्ति प्रमुख बाजार यार्ड या उप बाजार यार्ड या बाजार क्षेत्र से तबतक अपनी कृषि उपज या किसी अन्य व्यक्ति की कृषि उपज नहीं हटायेगा अथवा हटाने का प्रयत्न करेगा, जबतक कि अधिनियम और/या उसके नियमों और/या उप-विधियों के अधीन उस पर देय फीस या चार्ज का भुगतान न कर दिया जाये।

87. जाँच चौकी— (i) समिति धारा 31-क के अधीन बाजार के प्रवेश और निर्गम स्थानों पर जाँच चौकी या बाजार गेट या और कोई जुड़नार (फिक्सचर) स्थापित और कायम करेगी।

(ii) कोई भी कृषि उपज बाजार समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कमशः प्रारूप (फारम) 21 और 21-क में दिये गये गेट पास पर ही बाजार में लाय या इससे बाहर ले जाने दी जायेगी, अन्यथा नहीं।

(iii) (क) बाजार में अधिसूचित कृषि उपज ले जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रारूप (फारम) 21 में गेट पास निःशुल्क दिया जायेगा।

(ख) बाजार से या बाजार होकर अधिसूचित कृषि एचज ले जाने के इच्छुक किसी व्यक्ति को प्रारूप 21-क में गेट पास दिया जायेगा बशर्ते कि वह अधिनियम, नियमावली या उप-विधि के अधीन देय प्रभार (चार्ज) चुकाये।

भाग 7

फीस निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण आदि

88. बाजार फीस का निर्धारण— (i) धारा 27-क की उप-धारा (i) के अधीन गठित निर्धारण उप समिति में दो सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी;

परन्तु दो सदस्यों वाली उप-समिति स्वविवेकानुसार मामले को सभी सदस्यों वाली उप समिति की बेंच को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(ii) जब कोई निर्धारण, उप-समिति के सभी तीनों सदस्यों द्वारा किया जाय और किसी प्रश्न या प्रश्नों पर सदस्यों की राय बँट जाय, तब ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत के अनुसार किया जायेगा, परन्तु यदि ऐसा निर्धारण केवल दो सदस्यों की बेंच द्वारा किया गया हो तो ऐसे प्रश्न तृतीय व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जायेगा और विनिश्चय बहुमत के अनुसार किया जायेगा।

89. अपील का ज्ञापन— (i) धारा 27-ख के अधीन निर्दिष्ट कोई अपील आवेदक या उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा ज्ञापन के रूप में अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ज्ञापन में सुसंगत तथ्यों का स्पष्ट विवरण रहेगा और उसमें प्रार्थित मुक्ति ठीक-ठीक बतायी रहेगी।

(ii) अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में दायर किया जायेगा। नियम 93 के अधीन देय फीस के साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील किया जाता है, उसकी प्रमाणित प्रति तथा और मांग की सूचना लगायी जायेगी। यदि अपील धारा 27-क की उप-धारा (7) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध हो तो निधारित पूरी रकम बाजार समिति के नाम में निक्षिप्त जमा दिखाने वाली रसीद तथा यदि धारा 27-क की उप-धारा (8) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध हो तो शारित के उद्ग्रहण का 20 प्रतिशत बाजार समिति के नाम निक्षिप्त दिखाने वाली रसीद संलग्न रहेगी।

(iii) धारा 28-ख के अधीन अपील दायर करने की अवधि सीमा की संगणना में आदेश की प्राप्ति होने व्यतीत अवधि शामिल नहीं होगी।

(iv) किसी अपील का विनिश्चय अपीलार्थी और सम्बद्ध बाजार समिति या उसके प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए बिना तथा आगे की वैसी जाँच किए बिना, जो अपीली प्राधिकारी उचित समझे, नहीं किया जायेगा।

(v) अपील के विनिश्चय की बोर्ड और बाजार समिति को मुफ्त तथा अपीलार्थी को नियम 92 के अधीन विहित फीस का भुगतान करने पर भेजी जायेगी।

90. पुनरीक्षण का आवेदन— (i) धारा 27-ग के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन—

(क) यह नियम 93 के अधीन भुगतयेय फीस के साथ तीन प्रतियों में पेश किया जायेगा;

(ख) आवेदक या उसके अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा अथवा डाक द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा;

(ग) इसमें तथ्यों का स्पष्ट विवरण रहेगा और सुसंगत बातें ठीक-ठीक रहेंगी;

(घ) इसके साथ आदेश की प्रमाणित प्रति, जिसका पुनरीक्षण अपेक्षित है और मूल स्तर पर निर्धारण आदेश की प्रतियाँ संलग्न रहेंगी।

(ii) जहाँ बोर्ड की राय हो कि अपील में पारित कोई आदेश बाजार राजस्व के हित के विरुद्ध है वहाँ धारा 27-ग की उप-धारा (1) के अधीन बाजार समिति के सचिव को पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

91. अपील या पुनरीक्षण का निपटारा— (i) यदि अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण हेतु आवेदन में यथास्थिति, अधिनियम या नियमावली के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं हुआ हो तो अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी इसे संक्षेपतः अस्वीकृत कर सकेगा; परन्तु इस उप-नियम के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई अपील संक्षेपतः तबतक अस्वीकृत नहीं होगी जबतक कि यथास्थिति अपीलार्थी या आवेदक को ज्ञापन या आवेदन को संशोधन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

(ii) अपील या पुनरीक्षण का आवेदन अन्य युक्तियुक्त कारणों पर भी अपीलार्थी या आवेदक को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, संक्षेपतः अस्वीकृत किया जा सकेगा।

(iii) जहाँ कोई अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत किया जाय, वहाँ अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी संबद्ध पक्षकार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के बाद यदि सुनवाई की तारीख पर आदेश पारित न कर सके तो यथास्थिति उस अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर अन्तिम आदेश पारित करने के लिए तारीख नियत कर सकेगा।

(iv) यथास्थिति, अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील या पुनरीक्षण का निपटारा करने में निर्धारण आदेश या अपील की पुष्टि कर सकेगा, उसे बातिल कर सकेगा, उसमें कमी या वृद्धि कर सकेगा, उसे अन्यथा रूपांतरित कर सकेगा अथवा निर्धारण या शास्ति या दोनों के संबंध में आगे की जाँच के बाद संबद्ध प्राधिकारी को नया आदेश पारित करने का निदेश कर सकेगा।

92. प्रतियों का प्रदान किया जाना— (i) यदि कोई व्यापारी अपने द्वारा दायर किये गये दस्तावेजों की प्रति की या इस अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित अपने से संबंधित किसी आदेश की प्रति की अपेक्षा करे, तो संबद्ध प्राधिकारी के पक्ष में 4 रु0 के पोस्टल ऑर्डर के साथ संबद्ध प्राधिकारी के पास आवेदन करेगा।

(ii) प्रतियों के लिए निम्नलिखित प्रभार (चार्ज) देय होंगे—

(क) आवेदन के 24 घंटे के भीतर अपेक्षित प्रतियों के लिए 2 रु0 अतिरिक्त फीस देय होगी, और

(ख) अभिप्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र के लिए 1 रु0।

93. अपील और पुनरीक्षण के लिए फीस— (i) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही अथवा उससे अनुसंगिक या प्रासंगिक अन्य मामले के संबंध में निम्नलिखित फीस देय होगी—

(क) अपील के ज्ञापन तक, विवादास्पद रकम का 1 प्रतिशत, जो न्यूनतम 10 रु0 और अधिकतम 25 रु0 होगा, और

(ख) पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर, रकम का 5 प्रतिशत, जो न्यूनतम 25 रु0 और अधिकतम 50 रु0 होगा।

(ii) देय फीस संबद्ध प्राधिकारी के पक्ष में लेखा अदाता (एकाउण्ट पेयी) पोस्टल ऑर्डर के रूप में चुकायी जायेगी।

भाग 8

बाजार में बिक्री और व्यापारी

94. कृषि उपज की बिक्री— (i) कृषि उपज की उतनी मात्रा छोड़ कर जो नियमावली की अनुसूची-2 के अनुसार खुदरा बिक्री या उपभोग के लिए अनुमत है या उस प्रकार की कृषि उपज को छोड़ कर जिसे बोर्ड द्वारा धारा 15 के अधीन छूट दी गयी है, बाजार क्षेत्र में लाई गयी या उत्पादित या प्रसंस्कृत सभी प्रकार की कृषि उपज अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत स्थापित बाजार यार्डों/ उप बाजार यार्डों/ निजी बाजार यार्ड/ निजी उप बाजार यार्ड, किसान/ उपभोक्ता मंडी से हो कर ही गुजरेगी और बाजार क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर बेची या खरीदी नहीं जायेगी और न ही भंडारित की जायेगी।

बशर्ते कि बाजार समिति, बाजार प्रांगण या उप बाजार प्रांगण या प्रांगणों के अन्तर्गत भंडारण की उचित सुविधा प्रदान करने की स्थिति में न हो तो कृषि उपज, बाजार प्रांगण या उप बाजार प्रांगण या प्रांगणों में सूचना देकर एवं पणन सचिव का प्रमाण पत्र लेने के पश्चात किसी अन्य भंडार में भी रखी जा सकती है।

(ii) उप विधियों के उपबंधों के अनुसार बाजार क्षेत्र में पुनः बेची या पुनः खरीदी गयी कृषि उपज का ऐसा विवरण बाजार समिति को भेजा जायेगा।

(iii) प्रमुख बाजार यार्ड या उप बाजार यार्ड में बिक्री के लिए आशयित कृषि उपज की कीमत खुले नीलाम या निविदा पद्धति द्वारा न कि अन्यथा तय की जायेगी और उप विधियों में विहित किसी प्राधिकृत व्यापारिक छूट के सिवाय उपज की तय पायी गयी कीमत से कोई कटौती नहीं की जायेगी।

95. खरीद-बिक्री का लेखा रखा जायेगा— बाजार समिति एक अभिलेख रखेगी, जिसमें बाजार क्षेत्र में खरीदी तथा बेची गयी कृषि उपजों का नियमित और उचित लेखा, विवरणी और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर रखा जायेगा।

96. केता (खरीददार) और बिक्रेता के बीच करार का निष्पादन— (i) कृषि उपज का हरेक खरीददार, संव्यवहार पूरा होते ही बिक्रेता के पक्ष में फारम 22 में तीन प्रतियों में हस्ताक्षर करेगा। यह करार समिति के प्राधिकृत कर्मचारी की देख-रेख में होगा। प्रारूप पर समिति के कर्मचारी और बिक्रेता का भी हस्ताक्षर होगा। करार की एक प्रति केता को और दूसरी प्रति बिक्रेता को दी जायेगी और तीसरी प्रति कर्मचारी द्वारा कार्यालय में विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(ii) यदि केता अनुज्ञप्तिधारी, तथा बिक्रेता अनुज्ञप्तिधारी नहीं हो तो केता बिक्रेता को फारम 24 में 'कय-लेखा' निर्गत करेगा। यह तीन प्रतियों में होगा। पहली प्रति बिक्रेता को देगा तथा दूसरी प्रति धारा 27-क की उप-धारा (2) के अधीन दायर किए गए विवरणी के साथ बाजार समिति को प्रस्तुत करेगा।

(iii) यदि केता अनुज्ञप्तिधारी नहीं हो, और बिक्रेता अनुज्ञप्तिधारी हो तो बिक्रेता फारम 25 में 'बिकय-लेखा' निर्गत करेगा। यह तीन प्रतियों में होगा। पहली प्रति केता को देगा, जो अपने वाहन के साथ रखेगा तथा दूसरी प्रति धारा 27-क की उप-धारा (2) के अधीन दायर किए गए विवरणी के साथ बाजार समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

फारम 24 एवं 25 की मुद्रित किताब बाजार समिति के सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के आदेश पर नियत कीमत पर आपूर्ति की जायेगी।

97. कीमतों का प्रकाशन— बाजार समिति यथासाध्य, बाजार का उपयोग करने वाले को राज्य के संबद्ध बाजारों में मुख्य कृषि उपज की कीमतों संबंधी बातों की जानकारी देगी। जानकारी इस रीति से प्रकाशित की जायेगी जिसे यह बाजार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को तुरन्त मिल सके।

98. अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त व्यापारी— (i) कोई भी व्यक्ति बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के व्यापारी के रूप में बाजार समिति द्वारा इस निमित्त प्रारूप (फारम) 23 में दी गई अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) के निबंधन और शर्तों के अधीन और अनुसार ही कारबार कर सकेगा अन्यथा नहीं।

(ii) जो कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति लेना चाहे वह बाजार समिति के पास फारम 19 में आवेदन करेगा और उप-नियम (v) में विनिर्दिष्ट लाइसेंस फीस का भुगतान करेगा।

(iii) इस नियम के अधीन किसी व्यापारी के लिए निर्गत, पुनर्निर्गत या नवीकृत हरेक अनुज्ञप्ति उप-नियम (i) के अधीन विहित प्रारूप (फारम) में होगा।

(iv) इस नियम के अधीन दी गयी हरेक अनुज्ञप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की तिमाही के लिए विधिमान्य होगी और एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी। यदि अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) नवीकृत की जाय तो ऐसा नवीकरण, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति पर या उसकी दूसरी प्रति पर पृष्ठांकित किया जायेगा।

(v) (क) व्यापारी को अनुज्ञप्ति देने की फीस- 50 रुपया;

(ख) व्यापारी के अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस- 20 रुपया;

(ग) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति देने की फीस- 10 रुपया।

(vi) उप-नियम (iv) में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी बाजार समिति, किसी आकरिमक व्यापारी द्वारा आवेदन करने पर तिमाही के लिए 20 रुपया फीस भुगतान करने पर तथा बाजार समिति द्वारा आवश्यक प्रतिभूति लेने के बाद तिमाही अनुज्ञप्ति दे सकेगी।

स्पष्टीकरण— तिमाही अनुज्ञप्ति का धारक व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होने का पात्र नहीं होगा।

(vii) व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त आवेदन पर सचिव समिति के किसी कर्मचारी से आवेदन में वर्णित तथ्यों की जाँच कराने के पश्चात, उसे अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। बशर्ते कि—

(क) यह समाधान हो जाय कि आवेदक शोधनाक्षम है, दिवालिया नहीं है।

(ख) नकद प्रतिभूति (जमानत) अथवा बैंक या तीसरे व्यक्ति की प्रत्याभूति (गारण्टी) दी जाय, और

(ग) यह समाधान हो जाय कि आवेदक एक बांछनीय व्यक्ति है जिसे अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।

(viii) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फारम 19 में आवेदन किया जायेगा। वैसी दशा में सचिव उप-नियम (vii) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा निम्नलिखित बातों पर भी विचार करेगा—

(क) गत वर्ष (पूर्व के वर्ष) में व्यापारी द्वारा किया गया व्यापार संतोषप्रद हो;

(ख) व्यापारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्व वर्ष में पूर्ण रूप से पालन किया गया हो;

(क) अधिनियम, नियमावली एवं उप-विधि की शर्तों तथा समय-समय पर समिति की ओर से दिये गये निदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया हो।

(ix) इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) उसमें अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर और इस नियमावली और उप-विधियों के अनुकूल तथा अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उप-विधियों के अनुसार बाजार समिति द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों के अनुसार होगी।

(x) ऐसे सभी व्यापारियों के नाम इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

(xi) अधिनियम के उपबंध किसी व्यापारी पर तबतक लागू नहीं होंगे जबतक उसकी दैनिक कुल बिक्री 1,000/- रुपया (एक हजार रुपया) से अथवा वार्षिक कुल बिक्री 50,000/- रुपया (पचास हजार रुपया) से अधिक इनमें जो भी पहले हो, न हो, अर्थात् यदि दैनिक बिक्री 1,000/- रुपया (एक हजार रुपया) से अथवा वार्षिक कुल बिक्री वर्ष के दौरान किसी समय 50,000/- रुपया (पचास हजार रुपया) से अधिक हो जाय तो इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(xi) यदि कोई व्यापारी जिसपर यह अधिनियम लागू होता हो, बाजार समिति द्वारा निर्गत विधिमाम्य अनुज्ञप्ति के बिना बाजार क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करेगा, तो इसके लिए अधिनियम की धारा 48 के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई के अतिरिक्त वह अपने द्वारा देय लाइसेंस और बाजार फीस के साथ-साथ उप-नियम (i) की अपेक्षानुसार लाइसेंस न लेने की अपनी चूक (व्यतिक्रम) की अवधि पर प्रति दिन 30/- (तीस) रुपये की दर से अधिभार (सरचार्ज) चुकाने का भी भागी होगा।

99. व्यापारियों को प्रदत्त अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) निलम्बित या रद्द करने की बाजार समिति की शक्तियाँ— यदि कोई व्यापारी अनुज्ञप्ति, अधिनियम, नियमावली या उप-विधियों की शर्तों का उल्लंघन करे या वह दिवालिया हो जाय या माफी योग्य किसी कारण के बिना बाजार क्षेत्र में व्यापार नहीं करे या बाजार समिति के हित के विरुद्ध कार्य करे या किया हो अथवा बाजार क्षेत्र में उसके बने रहने से बाजार के दक्षतापूर्वक काम-काज में बाधा होने की संभावना हो, तो सचिव उस व्यापारी की अनुज्ञप्ति तीन महीने के लिए निलम्बित कर सकता है। बाजार समिति संकल्प पारित कर अधिक-से-अधिक 6 महीने के लिए अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकती है।

निदेशक या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सचिव व्यापारी की अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा।

सचिव का विनिश्चय अपील के लम्बित रहने की अवधि में प्रवृत्त रहेगा।

100. निदेशक द्वारा यथा अवधारित अनुज्ञप्त दलाल, तौलक, मापक, सर्वेक्षक, मालगोदाम कर्मचारी और अन्य प्रचालक— (i) कोई व्यक्ति इस नियम के अधीन बाजार समिति द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना बाजार क्षेत्र में दलाल, तौलक (तौलने वाला), मापक, मालगोदाम कर्मचारी या किसी अन्य प्रचालक (ऑपरेटर) के रूप में काम नहीं करेगा।

(ii) ऐसा लाइसेन्स धारण करने का इच्छुक व्यक्ति बाजार समिति को लिखित आवेदन देगा और नीचे विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करेगा—

प्रचालक	प्रथम लाइसेन्स फीस वार्षिक	लाइसेन्स नवीकरण फीस वार्षिक	लाइसेन्स की दूसरी प्रति देने की फीस
	रुपया	रुपया	रुपया
दलाल	25.00	10.00	5.00
तौलक	10.00	5.00	2.00
पल्लादार	5.00	2.00	2.00
मापक	10.00	5.00	2.00
भंडारागारिक	100.00	50.00	25.00
मोटर, ट्रक अथवा विद्युत चालित कोई गाड़ी	40.00	20.00	5.00
बाजार क्षेत्र में कार्यरत अन्य कोई व्यक्ति	25.00	10.00	5.00

स्पष्टीकरण- किसी शक्ति चालित गाड़ी के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के बदले बाजार क्षेत्र के बाहर या भीतर अधिसूचित कृषि उपज को ढोने के लिए प्रति खेप 5/- रुपये भुगतान करना होगा।

(iii) ऐसे आवेदन और फीस की उचित रकम प्राप्त होने पर समिति उसे आवेदित अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाय कि आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसे अनुज्ञप्ति दी जा सकती है।

(iv) बाजार समिति उस व्यक्ति को अपने मामले के संबंध में सुनवाई का अवसर दे सकेगी और उन कारणों को भी अभिलिखित कर सकेगी जिनके चलते अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत से इनकार किया गया हो।

101. अनुज्ञप्ति की नामंजूरी, रद्दीकरण या निलम्बन के विरुद्ध अपील- (i) जहाँ तक नियम 100 के उप-नियम (ii) में विनिर्दिष्ट बाजार कृत्यकारियों की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने का संबंध है नियम 99 के अधीन किए गए उपबंध उन पर भी लागू होंगे।

(ii) (क) कोई अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत करने से इनकार करने संबंधित सचिव के विनिश्चय से, और

(ख) अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित करने से संबंधित बाजार समिति या सचिव के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति निदेशक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

(ii) अपील पर निदेशक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

102. अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित का विनिश्चय करने के पहले बाजार समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया- (i) अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित करने का विनिश्चय किये जाने के पहले सचिव सर्वप्रथम तथ्य की जाँच करेगा,

(ii) इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप तामील करवायेगा और आरोप तामील किये जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा तथा सचिव उसके द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करेगा।

103. दलाली करने, तौलने, मापने और सर्वेक्षण करने के लिए प्रभार- किसी अनुज्ञप्त दलाल, तौलक (तौलने वाला),

मापक या

सर्वेक्षक को उसकी सेवाओं के लिए देय प्रभार वही होगा जो उप-विधि में विनिर्दिष्ट है।

104. व्यापारियों दलालों, तौलक (तौलने वाला), मापकों और सर्वेक्षकों लेख बहियों का रखा जाना- हरेक व्यापारी, दलाल तौलक (तौलने वाला), मापक और सर्वेक्षक तथा निदेशक द्वारा यथा अवधारित प्रचालक (ऑपरेटर) जिन्हें इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति दी गयी हो, ऐसी कालिक विवरणी ऐसे समय और प्रारूप में देंगे जैसे उस विधि में विहित हो और जैसा बाजार समिति समय-समय पर निदेश दे तथा इस नियमावली के अधीन देय फीस के संग्रहण में और उसे अपबंचित होने से रोकने में नियमावली और उस विधि के उल्लंघन किए जाने से रोकने में ऐसी सहायता करेगा जो बाजार समिति द्वारा अपेक्षित हो।

105. तौलने वाले, मापने वाले और सर्वेक्षक के लिए उपस्कर- प्रत्येक तौलने वाला, मापक और सर्वेक्षक अपने पास वही उपस्कर रखेगा जो उप-विधि में अधिकथित है।

106. कमीशन एजेन्ट, दलाल या सर्वेक्षक नियुक्त करना- कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्त करार के बिना किसी संव्यवहार में दलाल या कमीशन एजेन्ट या सर्वेक्षक नियोजित करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न किसी संव्यवहार में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियोजित या अनियोजित किसी दलाल या कमीशन एजेन्ट या सर्वेक्षक को भुगतान करने की उससे अपेक्षा की जायेगी।

107. केता (खरीददार) और बिक्रेता दोनों की ओर से काम करने के लिए दलाल को प्रतिषेध- (i) कोई भी अनुज्ञप्त दलाल किसी संव्यवहार में कृषि उपज के केता और बिक्रेता दोनों की ओर से काम नहीं करेगा।

(ii) यदि कोई अनुज्ञप्त दलाल इस नियम के उपबंधों को भंग करता हो तो यह समझा जायेगा कि उसने अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण किया है।

108. अनुज्ञप्त तौलक (तौलने वाला) या मापक द्वारा बैज पहनना- प्रत्येक अनुज्ञप्त तौलक या मापक काम करते समय बाजार समिति द्वारा दिये गये उपयुक्त ढंग का एक विशिष्ट बैज पहनेगा। प्रत्येक अनुज्ञप्त तौलक या मापक को बैज पर होने वाली लागत की पूर्ति के लिए बाजार समिति के पास कम-से-कम एक रुपया और अधिक-से-अधिक पाँच रुपया जमा करना होगा।

109. कमीशन एजेन्ट अपनी सेवाओं के लिए नियत चार्ज के अलावा कोई अन्य चार्ज नहीं लेगा- कोई अनुज्ञप्त व्यापारी जो कमीशन एजेन्ट के रूप में काम कर रहा हो उप-विधि में अपनी सेवाओं के लिए नियत चार्ज के अलावा किसी अन्य चार्ज की याचना या प्राप्ति नहीं करेगा।

110. कमीशन एजेन्ट या उसका सेवक दलाली के लिए अथवा तौलने मापने या सर्वेक्षण करने के लिए किसी चार्ज की याचना नहीं करेगा- यदि कोई कमीशन एजेन्ट या उसका सेवक या एजेन्ट दलाली के लिए अथवा तौलने, मापने या सर्वेक्षण करने के लिए फीस की याचना करे तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

111. अनुज्ञप्त तौलक या मापक द्वारा तौलना-मापना- कृषि उपज की बिक्री या खरीद या भंडारण की दशा में तौलने या मापने का काम अनुज्ञप्त तौलक (तौलने वाला) या मापक द्वारा कराया जायेगा।

112. अनुज्ञप्त व्यापारी, दलाल, सर्वेक्षक, तौलक और मापक को नियमावली या उप-विधि द्वारा अप्राधिकृत कोई रकम मांगने या प्राप्त करने पर शास्ति— कोई अनुज्ञप्त व्यापारी, दलाल, तौलक, मापक और सर्वेक्षक अपनी सेवा के लिए फीस मद्दे या फीस के रूप में देय कोई ऐसी रकम जो नियमावली और उप-विधि के अधीन मान्य नहीं हो, न मांगेगा, न प्राप्त करेगा, न रखेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को मांगने, प्राप्त करने या रखने देगा, वह उस रकम से अधिक रकम भी नहीं मांगेगा, न प्राप्त करेगा और न रखेगा जो इस नियमावली या उप-विधियों के अधीन देय है। साथ ही वह ऐसे व्यक्ति से कोई रकम नहीं मांगेगा जो इस नियमावली और उप-विधियों के अधीन उसे चुकाने का भागी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्त व्यापारी, दलाल, तौलक, मापक या सर्वेक्षक नहीं है न तो उक्त रकम मांगेगा, न प्राप्त करेगा, न रखेगा और न उसका मांगा जाना या रखा जाना सुकर बनायेगा।

113. अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा तौलने या मापने के लिए उपस्कर का उपबंध किया जाना— (i) लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी मानक वाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित सभी आवश्यक मानक वाट और माप का उपबंध करेगा अथवा उपबंधित करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) कोई भी लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी मानक वाट और माप अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित मानक वाट एवं माप से भिन्न वाट एवं माप अथवा तौलने एवं मापने के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

(iii) यदि कोई अनुज्ञप्त व्यापारी इस नियम के उपबंधों को भंग करे तो यह समझा जायेगा कि उसने अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण किया है।

114. तुला वाट और माप की जाँच— बाजार समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और प्रत्येक सदस्य तथा इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत बाजार समिति के प्रत्येक कर्मचारी को हक होगा कि युक्तियुक्त समय में बाजार क्षेत्र के भीतर लाइसेन्सधारी व्यापारी, तौलक या मापक द्वारा किसी स्थान में उपयोग में लाए, रखे गये या कब्जाधीन वाटों एवं मापों और तौलने एवं मापने वाले उपकरणों की जाँच और मिलान करे।

115. वाट, माप और तौलने एवं मापने के औजारों की परीक्षा— हरेक अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेन्स प्राप्त) व्यापारी, दलाल, तौलने वाला या मापक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी या स्टाफ द्वारा लिखित अधिपेक्षा की जाने पर अपने या अपने प्राधिकार या नियंत्रणाधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये गये या रखे गये या कब्जे के सभी वाटों, मापों, तौलने या मापने के औजारों की परीक्षा के लिए तुरन्त उपस्थापित करेगा और उन्हें इनकी परीक्षा करने देगा।

116. बाजार समिति मानक वाटों और मापों तथा तौलने एवं मापने के उपकरणों का एक सेट रखेगी— बाजार समिति कम-से-कम ऐसे वाटों और मापों तथा तौलने एवं मापने वाले उपकरणों का एक सेट रखेगी जो वाट एवं माप अधिनियम 2000 और तत्संबंधी संशोधनों के अधीन मानक वाट और माप तथा तौलने एवं मापने वाले उपकरण हैं, वाट और माप तथा तौलने और मापने वाले मानक उपकरण जनता के मिलान के निमित्त उपलब्ध रहेंगे।

117. तौल में प्रतिसंतुलन (पंसगा)— तुला के जिस पलड़े पर कृषि उपज को रखा जाता है उस पर उसे बण्डल के रूप में बांध कर रखने के लिए यदि किसी रस्सी, बोरी या किसी अन्य पदार्थ का उपयोग किया जाय, उस रस्सी, बोरी या किसी अन्य पदार्थ के वजन के बराबर कोई चीज उस पलड़े पर रखी जायेगी जिस पलड़े पर वाट रखा रहेगा, ताकि बण्डल को बांधने के लिए उपयोगित रस्सी, बोरी या किसी अन्य पदार्थ के वजन को प्रतिसंतुलित किया जा सके।

118. तौल सेतु पर तौलना— यदि बाजार समिति के पास निधि हो और बोर्ड ऐसा करने के लिए निदेश दे तो बाजार समिति बाजार में एक या एक से अधिक तौल सेतु (वे-ब्रिज) खड़ा कर सकेगी और उसे समुचित कार्य-चालन स्थिति में रखने के लिए उत्तरदायी होगी। कोई क्रेता या बिक्रेता अपनी इच्छा से बाजार समिति द्वारा नियत आवश्यक चार्ज के भुगतान पर अपनी उपज को तौलवा सकेगा।

119. तौलने या मापने का स्थान और रीति— बाजार में कय अथवा बिकय की जाने वाली कृषि उपज की तौल या माप ऐसी रीति से और ऐसे स्थान या स्थानों पर की जायेगी जो इस निमित्त उप-विधि में उपबंधित है।

120. अप्राधिकृत वाटों और मापों तथा तौलने एवं मापने के उपकरणों के संबंध में रिपोर्ट— यदि वाट माप लीगल मेट्रोलोजी निरीक्षक की अनुपस्थिति में कोई वाट और माप अथवा तौलने या मापने वाला उपकरण जाँच करने पर अप्राधिकृत पाया जाय अथवा उसके अप्राधिकृत होने का संदेह हो अथवा कृषि उपज के तौलने और मापने में कोई अनियमितता पायी जाय तो सचिव तुरत उस क्षेत्र के वाट माप निरीक्षक के पास लिखित रिपोर्ट भेजेगा, जो झारखण्ड मानक वाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

121. कृषि उपज का जमा किया जाना— बाजार क्षेत्र में लाई गयी कृषि उपज उप-विधि में यथाविनिर्दिष्ट स्थान पर जमा की जायेगी। जबतक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तबतक कृषि उपज के न बिकने पर इसे अनुज्ञप्त व्यापारी और भंडारागारिक (वेयर हाउसमैन) के निजी या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ भाड़े पर लिए गये हाते, गोदाम और भंडारागार (वेयर हाउस) में जमा किया जायेगा। इस प्रकार जमा की गयी कृषि उपज जमा करते समय बिक्रेता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तौला जायेगा और अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी और भंडारागारिक जमा करने वाले को एक पावती देगा जिसमें कृषि उपज की किस्म और वजन का उल्लेख रहेगा। कृषि उपज का इस

प्रकार जमा किया जाना ऐसे स्टोरेज चार्ज के भुगतान और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगा जो उप-विधि में विनिर्दिष्ट हो।

122. कृषकों के लिए अग्रिम का विनियम- अनुज्ञप्त व्यापारी कृषकों को नकद या वस्तुरूप से अग्रिम दे सकेगा। ऐसा अग्रिम निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जायेगा-

(क) यदि उधार देने और लेने वाले के बीच कोई लिखित करार हो तो, देने वाले को अपने द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित करार की एक प्रति देगा।

(ख) यदि अग्रिम समय-समय पर दिए जायें तो दिए गये अग्रिम और किए गये भुगतानों की लेखा-बही उप-विधि में अधिकथित रूप से रखी जायेगी। उधार देने वाला उधार लेनेवाले को ऐसी लेखा-बही की एक प्रति देगा और इस प्रकार दी गयी लेखा-बही की प्रति में उधार और वसूली का हरेक अलग-अलग संव्यवहार दर्ज करेगा।

123. कृषि उपज में अपमिश्रण का निवारण- (i) बाजार समिति का कर्तव्य होगा कि वह बाजार क्षेत्र में कृषि उपज में अपमिश्रण के निवारण की सभी संभव कार्रवाई करे और बाजार क्षेत्र का कोई भी व्यापारी कृषि उपज में अपमिश्रण नहीं करेगा और न करायेगा।

(ii) बोर्ड बाजार क्षेत्र में श्रेणी मानकों द्वारा कृषि उपज का अनिवार्य श्रेणीकरण आरम्भ करेगा, और

(iii) बोर्ड कृषि उपज का श्रेणी मानक विहित करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ कृषि उपज के अपमिश्रण में निकृष्ट सामग्री का उत्कृष्ट उत्पादन के साथ मिश्रण, विभिन्न क्वालिटी, विभिन्न किस्मों का मिश्रण, कृषि उपज के साथ उसके चलने का मिश्रण और किसी कृषि उपज के साथ मिट्टी, धूल, कंकड़ या किसी अन्य बाहरी वस्तु का मिश्रण जिसे कृषि उपज की क्वालिटी या मानक प्रभावित हो, शामिल है।

124. मूल्य सूची रखना- बाजार समिति बाजार में कृषि उपज के प्रचलित मूल्य की दैनिक सूची रखेगी और दैनिक मूल्य-सूची पणन सचिव (बाजार समिति) के कार्यालय में सुगोचर स्थान/सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

125. बाजार समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए सशक्त प्राधिकारी- बाजार समिति कम-से-कम आधे सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की जाने पर या विषय की आवश्यकता के बारे में समाधान होने पर स्वप्रस्ताव से सहायक निदेशक या बोर्ड द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई पदाधिकारी बाजार से संबंधित तात्कालिक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने के लिए बाजार समिति की विशेष बैठक बुलायेगा।

126. निरीक्षण की शक्ति- बोर्ड का प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई पदाधिकारी धारा 35 की उप-धारा (1) और (2) में दी गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और विनियम तथा क्षेत्रीकरण अथवा उसके साथ सशक्त किसी भी मामला के कार्य संचालन का निरीक्षण करेगा।

127. व्यापारिक कटौतियाँ- कोई भी व्यक्ति किसी भी बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गयी कृषि उपज संबंधी संव्यवहार में उप-विधियों में विहित कटौतियों के सिवाय कोई कटौती न तो देगा और न वसूलेगा और कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे संव्यवहार से उत्पन्न किसी वाद या कार्यवाही में उन व्यापारिक कटौतियों पर जो इस प्रकार विहित नहीं है, ध्यान नहीं देगा या उन्हें मान्यता नहीं देगा।

स्पष्टीकरण- यदि खरीद नमूना द्वारा की जाये तो नमूने से भिन्नता के मद में, या पात्र के वास्तविक वजन और मानक वजन के बीच भिन्नता का मद अथवा बाहरी वस्तुओं के मिश्रण के मद में कटौती को छोड़ कर हरेक कटौती को इस नियम के प्रयोजनार्थ व्यापारिक कटौती समझी जायेगी।

128. उप-विधि बनाने की शक्ति- बाजार समिति निदेशक की पूर्व मंजूरी से अधिनियम और नियमावली के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के लिए धारा 53 के अधीन उप-विधि बना सकेगी।

129. हाट, बाजार, मेला लगाने के लिए अनुज्ञप्ति- (i) कोई भी व्यक्ति या प्राधिकार बाजार क्षेत्र के भीतर या धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित दूरी के भीतर बाजार समिति द्वारा इस निमित्त निर्गत प्रारूप 20 में अनुज्ञप्ति के बंधेजों और शर्तों के अधीन और अनुसार ही अधिसूचित कृषि उपज की खरीद-बिक्री हेतु हाट, बाजार, मेला लगायेगा या स्थापित कर सकेगा अन्यथा नहीं।

(ii) अनुज्ञप्ति रखने का इच्छुक व्यक्ति या प्राधिकार बाजार समिति के सचिव के पास फारम 26 में आवेदन करेगा और 50/ रु0 (पचास रुपया) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा। इस नियम के अधीन, अनुज्ञप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। लेकिन मेला की अवस्था में विधिमान्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जितनी अवधि तक मेला लगा है।

(iii) उप-नियम (ii) के अधीन विहित फीस की रकम के साथ आवेदन प्राप्त होने पर सचिव आवेदित अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा, बशर्ते कि-

(क) उसका समाधान हो जाय कि आवेदक दिवालिया नहीं है;

(ख) यथापेक्षित बैंक प्रत्याभूति (गारण्टी) या नकद प्रतिभूति दे दी जाय;

(ग) उसका समाधान हो जाय कि आवेदक बांछनीय व्यक्ति है, जिसे अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकती है; और

(घ) उसका समाधान हो जाय कि कृषि उपज के लिए हाट/बाजार/मेला लगाने या उसकी स्थापना करने की जरूरत है और उस व्यक्ति या प्राधिकार ने पहले कभी कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण या प्रसंस्करण के लिए ऐसा हाट या बाजार या मेला लगाया

है या उसकी स्थापना की है।

(iv) सचिव अनुज्ञप्ति के किन्हीं बंधनों और शर्तों के भंग होने पर एक माह के लिए तथा अध्यक्ष के अनुमोदन पर तीन माह के लिए अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकेगा। यदि ऐसा भंग दुवारा किया जाय तो सचिव निदेशक विपणन से अनुमोदन प्राप्त कर अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा, किन्तु ऐसा आदेश देने के पहले अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(v) सचिव या अध्यक्ष के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या प्राधिकार असंतुष्ट होने पर ऐसे आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पास अपील कर सकेगा तथा उसके द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

(vi) बाजार समिति चाहे तो किसी हाट-बाजार, मेला में अनुज्ञप्तिधारी से बाजार शुल्क वसूली करा सकती है या उसी हाट में बाजार शुल्क की वसूली हेतु तहसीलकर्ता नियुक्त कर सकती है। तहसीलकर्ता की नियुक्ति समिति न्यूनतम गारण्टी की राशि प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्धारित कर सकती है।

130. विहित प्रारूप (फारम) का रखा जाना और उसकी पेशी तथा लेखाबही का नाश- व्यापारी से संबंधित अधिनियम, नियमावली और उप-विधि के अधीन फारमों की अधकट्टियां फाइल निर्गत होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित की जायेंगी। व्यापारी विहित रजिस्ट्रों को उस तारीख से, जिस तारीख को उस रजिस्ट्र में अन्तिम प्रविष्टि की गयी थी, दो वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखेगा।

131. अभिलेखों का परिरक्षण- बाजार समिति के अभिलेख, नियमावली की अनुसूची 3 में हरेक के सामने वर्धित अवधि के लिए परिरक्षित रखे जायेंगे।

132. अभियोजन मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी- कोई भी न्यायालय बाजार समिति के सचिव या सहायक निदेशक या निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम, नियमावली या उप-विधि या उसके अधीन बाजार समिति द्वारा दिये गये आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन का संज्ञान नहीं करेगा।

133. बाजार समिति के सदस्यों का भत्ता- (i) बाजार समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य विनिर्दिष्ट दर से भत्ता लेंगे-

(क) अध्यक्ष का भत्ता बाजार समिति उपसमितियों की हरेक बैठक में भाग लेने के लिए 150/ रु0 (एक सौ पचास) रुपया देय होगा।

(ख) अन्य सदस्यों का भत्ता बाजार समिति उपसमितियों की हरेक बैठक में भाग लेने के लिए 150/ रु0 (एक सौ पचास) रुपया देय होगा।

(ii) बाजार समिति द्वारा प्रतिनियुक्त होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्य द्वारा की गयी यात्राओं के लिए उन्हें राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दर से अथवा बोर्ड अपने पदाधिकारियों के लिए नियत खर्चा भत्ता की दर से यात्रा भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- जिले के बाहर की जाने वाली यात्रा की अवस्था में सचिव के मामले को छोड़ कर बोर्ड के प्रबंध निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(iii) बोर्ड का प्रबंध निदेशक, सचिव को मुख्यालय से 8 कि० मी० के भीतर की स्थानीय यात्राओं के लिए बाजार समिति से नियत मासिक सवारी भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दे सकेगा।

(iv) यदि बोर्ड की राय में बाजार समिति की वित्तीय स्थिति के कारण ऊपर विहित मान के अनुसार भत्ते का भुगतान उचित न हो तो बोर्ड का प्रबंध निदेशक जैसा वह उचित समझे उस बाजार समिति के संबंध में भत्ते का वैसा नियम कर सकेगा।

134. निरसन और व्यावृत्ति- (i) बिहार कृषि उपज बाजार नियमावली 1962 इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(ii) ऐसा निरसन होने पर भी उक्त नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो जिस तारीख को उक्त कार्य या कार्यवाही की गयी थी उस तारीख को यह नियमावली प्रवृत्त थी।

135. (1) कोई भी अधिसूचित कृषि उपज बाजार क्षेत्र, से बाहर तब तक न हटायी जायेगी जब तक कि प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया फारम 18 में अनुज्ञा पत्र संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

बशर्ते यह कि बिक्रेता द्वारा जारी किया गया बिल/ बिक्रय-लेखा, कृषि उपज के प्रसंस्कृत उत्पादन के परिवहन के समय साथ में रखना होगा।

बशर्ते यह भी कि कृषि उपज का उत्पादक स्वयं बिना अनुज्ञा पत्र के कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकेगा, जब तक कि प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अन्यथा आदेश पारित न किया जाय

(2) किसी भी अधिसूचित कृषि उपज को वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन मंडी क्षेत्र में एक सीन से दूसरे स्थान तक ले जाया

सकेगा।

जा

बशर्ते कि बाजार समिति बाजार फीस के भुगतान के मामले में संतुष्ट हो जाय और जो प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुरूप हो।

136. (1) संविदा कृषि प्रायोजकों का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण— (1) जैसा कि धारा 55 (1) (i) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है स्वयं पंजीकरण कराने अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए संविदा कृषि प्रायोजक समिति /परिषदीय स्त्राते में

बैंक

ड्राफ्ट द्वारा देय प्रति जिला प्रति वर्ष 500/ रु0 (पाँच सौ रुपये) मात्र के शुल्क के साथ फारम 27 में, निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न करके प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति को संबोधित करते हुए, लिखित आवेदन करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पत्र की जाँच करने पर और पंजीकरण के लिए आवश्यक भुगतान सुनिश्चित करने के बाद संबंधित प्रायोजक पंजीकरण प्राधिकारी फारम 28 में, रखे जाने वाले रजिस्टर में ऐसे आवेदन से संबंधित रेकॉर्ड को रखेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर इसका निस्तारण करेगा और फॉर्म 29 के अनुसार पंजीकरण कर दिया जायेगा।

137. (1) संविदा कृषि उत्पादक और संविदा कृषि प्रायोजक के मध्य संविदा कृषि करार— (1) संविदा कृषि उत्पादक और संविदा कृषि प्रायोजक के मध्य संविदा कृषि करार झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (यथा संशोधित 2007) के

परिशिष्ट-II

के अनुसार होगा। तथापि, संविदा कृषि करार के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने के लिए परस्पर स्वतंत्र होंगे। वे नियम एवं शर्तें अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होंगी।

(2) संविदा कृषि करार संपादित होने से पन्द्रह दिनों के अन्दर सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति को, जो कि करार दर्ज कराने वाले प्राधिकारी के नाम से जाना जायेगा, संविदा कृषि उत्पादक के साथ होने वाले संविदा कृषि करार की मूल प्रति प्रस्तुत करेगा, जो कि इसकी पावती देगा और फॉर्म 30 में बनाये गये रजिस्टर में दर्ज करेगा।

138. संविदा कृषि का विवाद समाधान प्राधिकारी— संविदा कृषि करार के किसी भी विवाद के समाधान के लिए विवाद समाधान प्राधिकारी- सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति को विवाद समाधान के उद्देश्य के लिए 20/ रु0 (बीस रुपये) मात्र के कोर्ट फीस स्टाम्प के साथ एक लिखित आवेदन देना होगा। विवाद समाधान प्राधिकारी, दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद संबंधित पार्टियों को सुने जाने का अवसर दिये जाने के पश्चात 30 दिनों के अन्दर अपना निर्णय देगा। अभिलेख फॉर्म-31 में संधारित किया जायेगा।

139. विवाद समाधान प्राधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील— नियम 138 के अन्तर्गत विवाद समाधान प्राधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णय की तारीख से तीस दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दर्ज कर सकता है। इसके साथ 50/ रु0 (पचास /रुपये) मात्र कोर्ट फीस बैंक ड्राफ्ट के द्वारा और उस निर्णय की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, संलग्न होने चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी, संबंधित पार्टियों को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात और संबंधित रिकार्ड और दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात उस अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर अपील पर निर्णय देगा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा। अभिलेख फॉर्म-31 में संधारित किया जायेगा।

140. संविदा कृषि करार के अन्तर्गत कृषि उपज की खरीद— संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि करार के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर कृषि उपज की खरीद की जा सकती है और उस उपज पर बाजार समिति कोई बाजार शुल्क नहीं लगायेगी। यदि संविदा कृषि प्रायोजक ने उपज की खरीद, निर्यात अथवा प्रसंस्करण की नीयत से की है तब वह पंजीकरण प्राधिकारी को इसकी सूचना फारम-32 में देगा। संविदा कृषि प्रायोजक, पंजीकरण पदाधिकारी को एक घोषणा-पत्र देगा कि वह खरीद की तारीख से नब्बे दिनों के अन्दर उपज का निर्यात अथवा प्रसंस्करण कर रहा है।

141. संविदा कृषि प्रायोजकों को संविदा कृषि उत्पादकों की भूमि पर स्थायी निर्माण करने से रोकना— संविदा कृषि करार में निहित किसी बात के होने के बावजूद भी संविदा कृषि प्रायोजक को संविदा कृषि उत्पादक की भूमि पर किसी भी प्रकार की स्थायी आधारीक संरचना सृजित करने अथवा किसी भी प्रकार के पट्टे का अधिकार अथवा हक नहीं होगा।

142. संविदा कृषि करार का उद्देश्य— संविदा कृषि करार संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि उत्पादक से कृषि उपज की खरीद के लिए किया जायेगा और इसका अर्थ केवल ऐसे सभी उद्देश्यों के लिए होगा।

143. संविदा कृषि करार की अवधि— संविदा कृषि करार की न्यूनतम अवधि एक फसल सीजन के लिए होगी और अधिकतम अवधि प्रायोजक और उत्पादक द्वारा पारस्परिक सहमति से निर्धारित की जायेगी।

144. संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा संविदा कृषि उत्पादक को दिए गये अग्रिमों और ऋणों की वसूली— संविदा कृषि प्रायोजकों द्वारा संविदा कृषि उत्पादक को दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली केवल कृषि उपज की बिक्री से की जायेगी और किसी भी दशा में संविदा कृषि करार से संबंधित भूमि की बिक्री नहीं की जायेगी।

145. संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाना— संविदा कृषि प्रायोजक फॉर्म-33 में प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले, पिछले वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा किए गये सभी लेन-देन के संबंध में कृषि विपणन के विनियमन के अनुसरण में सचिव,

बाजार समिति के पास वार्षिक लेखा जमा करेगा।

निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार /निजी ई-बाजार / उपभोक्ता /कृषक बाजार की स्थापना और संचालन तथा प्रत्यक्ष खरीद

146. अधिनियम की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन और प्रभार्य शुल्क— (1) अधिनियम की धारा 5 (3) एवं (4) के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति जो (i) एक अथवा अधिक बाजार क्षेत्र में निजी ई-बाजार सहित निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार स्थापित करना चाहता है; अथवा

(ii) धारा 4 के अन्तर्गत उल्लिखित अथवा उनमें से किसी उद्देश्य के लिए कृषि उपज खरीदने के लिए प्रत्यक्ष खरीद सुविधाओं की स्थापना अथवा

(iii) किसी भी बाजार क्षेत्र में उपभोक्ता /कृषक बाजार की स्थापना करना चाहता है, वह निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार अथवा उपभोक्ता / कृषक बाजार के लिए प्रपत्र में विहित दस्तावेजों सहित फार्म 34 में और निजी ई-बाजार के लिए 34-क में और कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए फार्म 35 में प्रबंध निदेशक /पदनामित प्राधिकारी को दो प्रतियों में आवेदन करेगा और साथ में, निम्न तालिका में दिखाये गये स्केल के अनुसार अपेक्षित शुल्क राशि की कीमत का बैंक ड्राफ्ट की प्रति भी संलग्न करेगा।

तालिका

(i)	निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार की स्थापना अथवा प्रत्यक्ष खरीद सुविधाएँ (एक बाजार के लिए)	10,000/- रु0 प्रति वर्ष
(ii)	उपभोक्ता /कृषक बाजार की स्थापना	2,000/- रु0 प्रति वर्ष
(iii)	निजी ई-बाजार की स्थापना	50,000/- रु0 प्रति वर्ष

(2) निजी ई-बाजार और उपभोक्ता /कृषक बाजार सहित निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार की स्थापना के लिए लाइसेन्स जारी करना—1. प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए—

(i) आवेदक के वित्तीय स्तर को दर्शाती विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसके साथ पिछले तीन निर्धारण वर्षों का आयकर रिटर्न अथवा स्थायी संपत्ति के सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य को दर्शाने वाला विवरण दिया जायेगा।

(ii) निजी बाजार अथवा उपभोक्ता /कृषक बाजार की स्थापना हेतु लाइसेन्स के आवेदन के लिए, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित बैंक गारण्टी प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी के पास जमा कराई जायेगी। तथापि सरकारी संगठन और स्थानीय प्राधिकरण इस उप-नियम से मुक्त रहेंगे।

(iii) निजी बाजार की रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी जैसे बाजार स्थापना के लिए प्रस्तावित सुनिश्चित स्थान और भूविस्तार, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकिंग, भंडारण आदि सहित अधिसूचित कृषि उपज की खरीद /बिक्रय, भंडारण और मूल्यवर्धन द्वारा कृषि उपज के बिक्रय /निर्यात के लिए सुविधाओं की स्थापना के लिए खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि और सुविधाएं जैसे निजी बाजार में उपज लाने वाले उत्पादकों के लिए आवास, भोजन व्यवस्था, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य संरक्षक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण के बाद कृषि उपज की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना हेतु निर्धारित किए गये परिव्यय की जानकारी होनी चाहिए।

(iv) उपभोक्ता /कृषक बाजार रिपोर्ट में सुनिश्चित स्थान और भूविस्तार जिसमें बाजार की स्थापना प्रस्तावित है, नीलामी हॉल, शेड्स, पेयजल सुविधाएं, शौचालय, आन्तरिक सड़क आदि आधारभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित परिव्यय आदि के विस्तृत व्यौरे होने चाहिए।

(v) कहीं और दी गयी किन्हीं बातों के बावजूद निजी ई-बाजार की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा और लाइसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा विचारित होगा बशर्ते आवेदक के पास ऑनलाइन व्यापार, निपुण निकासी और व्यवस्थापन और गारण्टी प्रणाली है। यह वेयरहाउस रसीद प्रणाली द्वारा समर्थित भंडारित कृषि उपज की सुपुर्दगी की भी व्यवस्था करेगी। इसके पास सुसंगठित और पूंजीगत आदती हाउस प्रणाली भी होनी चाहिए, जहाँ पर्याप्त पूंजी के साथ सदस्य /आदती भाग ले सके। ई-बाजार ऑनलाइन तात्क्षणिक कीमत और व्यापार सूचना प्रसार की भी व्यवस्था करेगी। व्यापार से संबंधित कोई भी सूचना बाजार के साथ ऑनलाइन

शेयर की जायेगी। संचालन और निर्णय लेने में पारदर्शिता बरती जायेगी। निजी ई-बाजार चलाने वाला प्रबंधन विश्वसनीय, प्रभावी और निष्पक्ष होगा तथा ऐसे वस्तु मंडियों के संचालन का अनुभव भी होगा। निजी ई-बाजार का स्वामित्व /प्रबंधन और सदस्य /आढ़ती पृथक-पृथक व्यक्ति /निकाय होंगे।

परन्तु यह भी कि निजी ई-बाजार कृषकों को अधिसूचित कृषि उपज के बिक्रय और खरीद के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा—

- (क) यह प्रमुख स्थानों पर ऑनलाइन व्यापार के लिए बाजार क्षेत्र में व्यापार टर्मिनल स्थापित करेगा, जो कृषकों की पहुँच में हो।
- (ख) यह यथासंभव बाजार क्षेत्र, जिला, झारखण्ड राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित कृषि उपज पर तात्क्षणिक कीमत और व्यापार संबंधी सूचना प्रदान करेगी और बाजार समिति याई के संचालन क्षेत्र में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कीमत डिस्प्ले बोर्ड भी लगायेगा।
- (ग) यह वेयरहाउसिंग, तुलाई, श्रेणीकरण और प्रमाणन तथा स्वास्थ्य एवं पादप संरक्षण उपाय के लिए प्रबंध करेगा।
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि कृषकों द्वारा बेची गयी कृषि उपज की सुपुर्दगी क्रेताओं द्वारा पूर्ण भुगतान किए जाने के बाद ही हो।
- (ङ) निजी ई-बाजार को उस आधारिक संरचना के निर्माण से छूट होगी जो निजी मंडियों के लिए आवश्यक है। तथापि, इस नियम में यथा निर्देशित सुविधाएं लाइसेन्सी द्वारा प्रदान की जायेंगी।
- (च) निजी ई-बाजार का लाइसेन्सी कृषकों को छोड़कर शेष बाजार कार्यकर्ताओं से, सदस्यता शुल्क, सिक्योरिटी राशि, वार्षिक अंशदान, सीमान्त राशि आदि प्रभार लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (छ) कृषक पृथक रूप से अथवा निजी ई-बाजार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित वेयरहाउस रसीद के माध्यम से सुपुर्दगी करेगा।
- (ज) निजी ई-बाजार उसमें किए गये सभी व्यापारों पर भुगतान की गारण्टी देगा अथवा इस उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थापन गारण्टी निधि रखेगा। कृषक-बिक्रेता क्रेता की तरफ से किसी भी प्रकार की त्रुटि के बावजूद, सुपुर्दगी पर तीन दिनों के अन्दर पूर्ण भुगतान प्राप्त करेगा।
- (झ) क्रेता द्वारा बताई गयी कीमत शुद्ध रूप में कृषक को प्रदान की जायेगी जिसमें बाजार शुल्क, आढ़ती प्रभार आदि शामिल होंगे। परिवहन लागत और वेयरहाउसों पर दिये जाने वाले अन्य प्रभार क्रेता को देने होंगे और क्रेता कृषक को शुद्ध भुगतान कीमत ही बतायेगा।
- (ञ) सदस्यता सभी को आसानी से उपलब्ध होगी जिसमें कृषक अथवा उसके समूह /सहकारिताएं /कम्पनियां शामिल हैं। कृषकों के लिए सदस्यता शुल्क प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा।
- (ट) निजी ई-बाजार अपने मंच से किए गये सभी कार्यों के निष्पादन की गारण्टी देगा। इस उद्देश्य के लिए, निजी ई-बाजार एक व्यवस्थापन गारण्टी निधि रखेगा। बिक्रेता निर्धारित समय सूची के अनुसार समय पर भुगतान प्राप्त करेगा। क्रेता की किसी तरह की त्रुटि के बावजूद लाइसेन्सी ई-बाजार कृषकों को समय सूची के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।
- (vi) आवेदन प्राप्त होने पर छान-बीन, प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी और संतुष्ट होने पर वह इसकी प्रविष्टि यथाशीघ्र प्रपत्र-36 (36-क) के अनुसार रखे गये रजिस्टर में, इसकी प्राप्ति के अधिक-से-अधिक तीस दिनों के अन्दर करेगा।
- (vii) प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन अथवा राज्य सरकार द्वारा पदनामित कोई अन्य अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और आवेदन प्राप्त करने की तारीख के 60 दिनों के भीतर मूल्यांकन के आधार पर परियोजना के शुरु करने के लिए आशय पत्र जारी करेगा।
- (viii) (क) परियोजना के पूरा होने पर, आवेदक प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी को सूचित करेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी निरीक्षण हेतु एक पदाधिकारी को प्राधिकृत करेगा जो परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ परियोजना पूरी होने के बारे में स्वयं संतुष्ट होने पर रिपोर्ट प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी को सौंपेगा। स्वीकृति पत्र में उल्लिखित या बढ़ई गयी अवधि, जो आशय पत्र के जारी होने से तीन वर्ष तक से अधिक नहीं हो, के अन्दर परियोजना को कार्यान्वित करने में आवेदक के विफल होने पर, प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी, लाइसेन्स देने से मना कर सकता है और जिसके कारण आवेदक को सूचित कर दिये जायेंगे। आवेदन रद्द करने के मामले में, आवेदन के साथ जमा की गयी राशि आवेदक को प्रक्रिया लागत का 5 प्रतिशत रख कर वापस कर दी जायेगी।
- (ख) परियोजना का कार्यान्वयन कार्य पूरा होने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी प्रपत्र 37 (37-क) में ऐसी विशिष्ट शर्तों पर 10 वर्षों की अवधि के लिए लाइसेन्स जारी कर सकता है। लाइसेन्स का नवीकरण 10 वर्षों के बाद, हर बार के आवेदन पर अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर किया जायेगा।
- (ix) लाइसेन्सी, लाइसेन्स प्राप्त होने पर ही लाइसेन्स में जैसा भी मामला हो, विनिर्धारित क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के कृषक उत्पादनों

के साथ व्यापार अथवा खरीदारी प्रारम्भ कर सकता है। तथापि, परियोजना लागू करने में विफल होने की वजह से लाइसेन्स रद्द होने पर, लाइसेन्सी, लाइसेन्स के तहत खरीदारी करना नुरन्त बन्द कर देगा।

(x) प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति जिसका स्तर विपणन निदेशक के पद से कम नहीं होगा, को निजी बाजार यार्ड और उपभोक्ता /कृषि बाजार का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(xi) लाइसेन्सी, कृषि उत्पादकों से की गयी खरीदारी का बाजार क्षेत्र-वार मासिक विवरण संबंधित बाजार समिति को प्रस्तुत करेगा और प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित पदाधिकारी को समेकित विवरण भी प्रस्तुत करेगा तथा संबंधित बाजार समिति को उप नियमों में यथा निर्धारित बाजार शुल्क का भुगतान आगामी माह की 15 तारीख तक करेगा। वह प्रसंस्कृत वस्तुओं से संबंधित बिक्री विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

परन्तु, झारखण्ड राज्य के किसी भी बाजार में उस अधिसूचित कृषि उपज पर दूसरी बार कोई भी शुल्क नहीं लगाया जायेगा जिनपर निजी ई-बाजार सहित निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार में निर्धारित दर पर बाजार शुल्क लगाया और एकत्र किया जा चुका है।

परन्तु, निजी ई-बाजार से इतर लाइसेन्सी निजी बाजार यार्ड, कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार और उसे विनियमित करने के लिए अपने कार्य-कलापों के विकास एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से एकत्रित बाजार शुल्क का 20 प्रतिशत अपने पास रखेगा।

परन्तु, उपभोक्ता /कृषक बाजार में बिक्री और खरीद पर कोई बाजार शुल्क नहीं लगाया जायेगा।

(xii) लाइसेन्सी, नियम 96 के अनुसार बिक्री दिवस पर बिक्री-पर्ची जारी करके कृषकों को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा और केवल ऐसे भत्ते और छूट की अनुमति देगा जिनकी अनुमति नियमों के अन्दर प्रदान की गयी है। वह अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लागू बाजार प्रभार एकत्र करेगा, रजिस्टर रखेगा और इस प्रकार के सभी विवरण प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी अथवा ऐसे ही अन्य अधिकारी को भेजेगा।

(xiii) उपभोक्ता /कृषक बाजार में कृषकों को एक ही उपभोक्ता को दस किलो ग्राम फल एवं सब्जियां अथवा अन्य नाशवान कृषि उपज बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. निजी ई-बाजार अथवा उपभोक्ता /कृषक बाजार लाइसेन्सी निजी बाजार यार्ड से इतर लाइसेन्सी निजी बाजार यार्ड/ निजी बाजार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित आधारिक संरचना का भी विकास करेगा—

(i) निजी बाजार का मालिक बाजार का उपयोग करने वाले उत्पादकों और व्यक्तियों के हित और सुविधाओं के लिए यार्ड में नीलामी मंच, दुकानें, गोदाम, कैन्टीन, पीने का पानी, शौचालय, युरिनल, कम्पास्ट पिट्स, स्ट्रीट लाइट इत्यादि न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ii) उपर्युक्त उप-नियम (i) में उल्लिखित आधारिक संरचना के अतिरिक्त, निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार का मालिक ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है जिनमें वेयरहाउस, पूर्वशीतन, शीतागार (जिसमें नियंत्रित वातावरण शीतागार शामिल है) उपभोक्ताओं की फल पकाने संबंधी आवश्यकताएं, ग्रेडिंग लाइन वाले पैक हाउस, किसान चैम्बर्स, किसानों के स्वास्थ्य एवं पादप स्वास्थ्य संरक्षक उपाय को निर्धारित करने के लिए, प्रसंस्करण के बाद उपज की गुणवत्ता के मूल्यांकन और निर्धारण के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित करना, ग्रेडिंग लाइन वाले पैक हाउस, किसान भवन, ढुलाई एवं उतराई के स्थान, ई-नीलामी, विभिन्न कृषि उपज की बाजार दरों का डिस्प्ले जैसी मॉडर्न बाजार की सुविधाएं होंगी।

(iii) उपभोक्ता /कृषक बाजार ऐसी न्यूनतम आधारिक संरचना का निर्माण करेगा जो सामान्यतः अपना बाजार, किसान हाट अथवा रायतू बाजार में प्रदान की जाती है जिनमें कृषकों के लिए स्टॉल और बीज, खाद, फूट एवं वेजिटेबल, मिल्क, फल एवं सब्जी बूथ, आदि सहायक सेवा भी शामिल हैं।

3. कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाइसेन्स जारी करना— (i) लाइसेन्स के लिए आवेदन करते समय, आवेदक, आवेदन के साथ प्रापण के लिए खोले जाने वाले केन्द्रों के ब्यौरे भी भेजेगा। वह प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन को ऐसे नए केन्द्रों के नाम प्रस्तुत करेगा जिन्हें वह अपने व्यवसाय के दौरान खोलेगा और इसकी सूचना इनके खुलने के तीन दिनों के अन्दर देगा।

(ii) प्रत्यक्ष खरीद का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय बोर्ड के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गयी बैंक प्रतिभूति प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी के पास जमा की जायेगी तथापि, झारखण्ड राज्य के संगठन और स्थानीय प्राधिकरणों को इस उप-नियम से छूट होगी।

(iii) नियम 80 के अन्तर्गत किए गये आवेदन की जाँच करने पर, प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति का रिकार्ड बनाये गये रजिस्टर में प्रपत्र 36 में रखेगा। आवेदन की जाँच और यह सुनिश्चित होने पर कि आवश्यक लाइसेन्स शुल्क जमा किया जा चुका है, प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों का अवधि के अन्दर प्रपत्र 37 में इन शर्तों के साथ लाइसेन्स जारी करेगा कि लाइसेन्स 10 वर्ष से अधिक की अवधि के

लिए नहीं होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण हर बार आवेदन करने और अपेक्षित भुगतान करने पर किया जायेगा। आवेदन को रद्द करने के मामले में, आवेदन के साथ जमा की गयी राशि का 5 प्रतिशत प्रक्रिया संबंधी लागत के रूप में रख कर शेष राशि वापस कर दी जायेगी।

(iv) निजी ई-बाजार अथवा उपभोक्ता /कृषक बाजार सहित निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष खरीद लाइसेन्सधारी को कोई लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा।

(v) लाइसेन्सी, लाइसेन्स की रसीद की प्राप्ति के बाद ही लाइसेन्स में निर्धारित क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में कृषि उत्पादकों से व्यापार अथवा खरीदारी जो भी मामला हो, कर सकता है। तथापि, परियोजना का कार्यान्वयन असफल होने की वजह से लाइसेन्स के रद्द होने पर लाइसेन्सी लाइसेन्स के अन्तर्गत खरीदारी करना तत्काल बन्द कर देगा।

(vi) प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी, जो बोर्ड के उप निदेशक विपणन के पद से कम का नहीं होगा, को लाइसेन्सी के परिसर /खरीद केन्द्र के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(vii) लाइसेन्सी, कृषि उत्पादकों से की गयी खरीदारी का बाजार क्षेत्र-वार मासिक विवरण संबंधित बाजार समिति को प्रस्तुत करेगा और प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी को समेकित विवरण भी प्रस्तुत करेगा तथा संबंधित बाजार समिति को नियमों में यथानिर्धारित बाजार शुल्क का भुगतान आगामी माह की 15 तारीख तक करेगा। वह लागू प्रसंस्कृत वस्तुओं से संबंधित बिक्री विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

परन्तु, झारखण्ड राज्य के किसी भी बाजार में उस अधिसूचित कृषि उपज पर दूसरी बार कोई भी शुल्क नहीं लगाया जायेगा जिसपर निजी ई-बाजार सहित निजी बाजार यार्ड /निजी बाजार में निर्धारित दर पर बाजार शुल्क लगाया और एकत्र किया जा चुका है।

(viii) लाइसेन्सी, बिक्री दिवस पर बिक्री-पूर्वी जारी करके कृषकों को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा और केवल ऐसे भत्ते और छूट की अनुमति देगा जिनकी अनुमति नियमों के अन्दर प्रदान की गयी है, वह अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लागू बाजार प्रभार एकत्र करेगा, रजिस्टर रखेगा और इस प्रकार के सभी विवरण प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी अथवा उनके निदेशानुसार ऐसे अन्य अधिकारी को भेजेगा

4. विवादों का निपटारा- (1) प्रत्यक्ष खरीद लाइसेन्स होल्डर, निजी बाजार लाइसेन्स होल्डर, उपभोक्ता /कृषक बाजार लाइसेन्स होल्डर और बाजार समिति, कृषक, व्यापारी, उपभोक्ता के बीच होने वाले किसी भी विवाद को शिकायतकर्ता स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लिखित में प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों और 20 रुपये मात्र की कोर्ट फीस सहित विवाद होने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर दे सकता है।

(2) प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर संबंधित पक्षों की राय सुनकर और आवश्यक जाँच करके अपना निर्णय देंगे।

प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन /पदनामित प्राधिकारी अपनी ओर से भी ऐसे विवादों पर विचार कर सकता है और तीस दिनों के अन्दर अपना निर्णय दे सकता है।

(3) विवादों में शामिल है-

(क) प्रत्यक्ष खरीद अथवा निजी बाजार अथवा उपभोक्ता कृषक मंडियों में लेन-देन करते समय कृषक से कृषि उपज की खरीदारी के लिए कृषकों को किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में विवाद;

(ख) क्षेत्राधिकार (संचालन क्षेत्र) के संबंध में विवाद;

(ग) कृषि उपज के वनज, कीमत, प्रभार, शुल्क, कर आदि के संबंध में विवाद; और

(घ) अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों के तहत आने वाले विवाद।

5. लाइसेन्स का नवीकरण- (1) अधिनियम की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत प्रदान किया गया लाइसेन्स उस अवधि के लिए वैध होगा जिसके लिए यह जारी किया गया है और नियम 146 में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर इसके जारी करने वाले प्राधिकरण को प्रपत्र 38(38-क) में आवेदन किये जाने पर इसका नवीकरण किया जायेगा।

(2) लाइसेन्स समाप्त होने की तारीख से कम-से-कम तीस दिनों के अन्दर लाइसेन्स के नवीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा।

परन्तु लाइसेन्स का नवीकरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आवेदक द्वारा 5000/- रु0 (पाँच हजार रुपये मात्र) के जुर्माने के भुगतान पर लाइसेन्स खत्म होने के बाद तीन माह की अवधि के अन्दर लाइसेन्स के नवीकरण हेतु आवेदन पर विचार कर सकता है।

टिप्पणी- इस नियम के अधीन प्रदान किए गये लाइसेन्स का प्रत्येक नवीकरण, लाइसेन्स /पंजीकरण की वैधता समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से प्रभावी होगा।

6. लाइसेन्सी की सदस्यता, नाम और शैली में परिवर्तन— (i) लाइसेन्सी फर्म, कम्पनी अथवा संघ अथवा व्यक्ति समूहों, निगमित या गैर निगमित, अन्यथा विरासत में प्राप्त होने की स्थिति को छोड़कर सदस्यता में कोई परिवर्तन, एक नये फर्म के सृजन के समान होगा और जिसके लिए एक नया लाइसेन्स लिए जाने की आवश्यकता होगी।

परन्तु, हिन्दू संयुक्त परिवार के मामले में, एक नये सदस्य के जन्म के कारण सदस्यता में हुई वृद्धि को सदस्यता में परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

(ii) लाइसेन्सी फर्म अथवा कम्पनी की मूल सदस्यता में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद उप-नियम (i) के परन्तुक के तहत परिस्थितियों को छोड़कर जब सदस्यता, अथवा नाम में अथवा शैली में परिवर्तन होता है तो, इस तथ्य को पन्द्रह दिनों के भीतर संबंधित बाजार समिति के सचिव के ध्यान में लाया जायेगा। आवेदन में लिखे तथ्यों की परिशुद्धता से स्वयं संतुष्ट होने पर सचिव इसे मूल रूप में, टिप्पणी के साथ प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन को विचारार्थ अग्रेसित करेगा।

(iii) आवेदन स्वीकृत होने पर प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन मूल लाइसेन्स में पृष्ठांकन करेगा तथा बाजार समिति और बोर्ड द्वारा रखे गये संगत रजिस्ट्रों में भी परिवर्तनों को दर्ज किया जायेगा।

(iv) निर्धारित समय सीमा के अन्दर, उपर्युक्त उप-नियम (ii) के अनुसार रिपोर्ट दर्ज न होने पर विद्यमान लाइसेन्स को समाप्त माना जायेगा।

7. लाइसेन्स का निलम्बन तथा रद्दीकरण— (1) निरीक्षण पदाधिकारी अथवा ले,॥ परीक्षक अथवा किसी अन्य से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन संतुष्ट हैं कि लाइसेन्सी प्रत्यक्षतः ऐसी किसी शर्त का उल्लंघन करता है जिसके अध्यक्षीन लाइसेन्स प्रदान किया है अथवा नवीकृत किया गया है अथवा अधिनियम की धारा 48 के अण्ड में दिये गये किसी भी आधार पर उसमें कमी दिखाई देती है तो वह चूककर्ता लाइसेन्सधारी को 15 दिन का समय देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि उनको दिया गया अथवा उनके नाम नवीकृत किया गया क्यों निलम्बित अथवा रद्द न कर दिया जाय।

(2) लाइसेन्सी को सुनवाई का विवेकपूर्ण अवसर देने के बाद यदि प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन, संतुष्ट होता है कि आरोप का कोई आधार नहीं है तो वह कार्यवाही को रोक सकता है, अन्यथा वह लाइसेन्स को निलम्बित या रद्द कर सकता है।

7. धारा 4,5 या नियम 80 के अन्तर्गत पारित आदेशों के खिलाफ अपील— (i) पार्षदीय कोष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा 50/- रु० (पचास रुपया मात्र) के शुल्क के भुगतान सहित, अधिनियम की धारा 4 अथवा 5 अथवा नियम 80 के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध की गयी अपील, अपील के आधारों को ज्ञापन के रूप में यथार्थ और संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए पार्षद को प्रस्तुत की जायेगी जो अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। प्रतिवाद आदेश की एक प्रामाणिक प्रति अनिवार्य रूप से अपील ज्ञापन के साथ संलग्न की जायेगी।

(ii) इस नियम के अन्तर्गत की गयी किसी भी अपील पर तभी विचार किया जायेगा जब वह अपीलकर्ता द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने के तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की गयी हो।

(iii) मामलों के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकार्ड का ध्यान रखते हुए और संबंधित आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियों पर विचार करके और ऐसी छान-बीन करने के बाद, जो वह उचित समझे अपील प्राधिकारी खरा आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद संबंधित आदेश की पुष्टि में अथवा उसे एक तरफ करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है।

147. विशेष मंडी /विशेष जिन्स मंडी के लिए बाजार समिति का गठन— झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 की धारा 9 के तहत गठित बाजार समिति ही विशेष मंडी /विशेष जिन्स मंडी के लिए बाजार समिति के रूप में कार्य करेगी।

148. अप्रत्यादेय राशियों को बड़े खाते डालने के लिए शक्तियों का प्रयोग— अप्रत्यादेय राशियों को बड़े खाते में डालने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, अपनी संतुष्टि के लिए बाजार समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगी और सहमत होगी कि उस व्यक्ति को तलाश न कर सकने अथवा उसके दिवालिया हो जाने के कारण अथवा ऐसी राशि एकत्र करने वाले अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट दिये जाने पर कि वसूली किया जाना नामुमकिन है, की वजह से उक्त राशि की वसूली नहीं की जा सकती।

149. अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य कोटेशन की इकाई— अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य कोटेशन की इकाई मीट्रिक भार या मीट्रिक माप में होगी।

150. खरीदार द्वारा शेष सामग्री खरीदा जाना— किसी लॉट के किसी भाग के पहले घोषित मूल्य पर उसके शेष को खरीदने से कोई खरीदार मना नहीं करेगा और उसकी कीमत को, प्रत्येक निद के लेन-देन के बाद बिक्रेता को अविलम्ब भुगतान करेगा।

अनुसूची-1

(देखें नियम- 17)

(1) हवाई जहाज, (2) आलमारी, (3) टोकरी, (4) नाव, (5) किताब, (6) बक्सा, (7) बाल्टी, (8) बैलगाड़ी (9) बिल्ली, (10) ऊंट, (11) चक्र, (12) चरखी, (13) कुर्सी, (14) दीवार घड़ी, (15) गाय, (16) हल-धर, (17) कुत्ता, (18) डेल, (19) हाथी, (20) पंखा, (21) मछली, (22) बकरी, (23) उंगलियों सहित हाथ, (24) घोड़ा, (25) हुक्का, (26) कलम-दवात, (27) पतंग, (28) सीढ़ी, (29) लालटेन, (30) सिंह, (31) कमल का फूल, (32) ताला, (33) लौटा, (34) पगड़ी (35) मोटर गाड़ी, (36) बन्दर, (37) ओखली, (38) ताड़ का पेड़, (39) डाकिया, (40) रेल इंजन, (41) रेल गाड़ी, (42) रिक्शा, (43) सुराही, (44) कैंची, (45) तराजू, (46) साँप, (47) कबूतर, (48) घड़ा, (49) धान का पौधा (50) सूर्य, (51) सूत कातती हुई औरत (52) तारा, (53) ट्रैक्टर, (54) टंकन यंत्र, (55) तबला, (56) थाली, (57) छाता, (58) औरत, (59) कुआँ।

अनुसूची-2

(देखें नियम-94)

1	सभी खाद्यान्न	50 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
2	सभी दलहन	40 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
3	सभी तेलहन	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
4	सभी वनस्पति तेल	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
5	सभी फल	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
6	सभी साग सब्जी	30 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
7	सभी रेशेदार वस्तुएँ	50 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
8	पशु और पशु पालन से प्राप्त चीजें	
	(i) कुक्कुटादि	10 अर्द या 1000 रु. जो भी कम हो
	(ii) अण्डा	12 दर्जन या 1000 रु. जो भी कम हो
	(iii) मवेशी	1 मवेशी या 1000 रु. जो भी कम हो
	(iv) भेड़	1 या 1000 रु. जो भी कम हो
	(v) बकरी	1 या 1000 रु. जो भी कम हो
	(vi) ऊन	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(vii) मकखन	5 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(viii) घी	5 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(ix) दूध	20 लीटर या 1000 रु. जो भी कम हो
	(x) खाल और चमड़े	5 खण्ड या 1000 रु. जो भी कम हो

झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2013)

	(xi)	हड्डियाँ	100 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xii)	कतरा हुआ उन (फलीस)	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xiii)	बकरी और भेड़ का माँस	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xiv)	मछली	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xv)	सूअर के बाल (ब्रिस्टल)	2 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xvi)	मलाई	8 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xvii)	छेना	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xviii)	सूअर का माँस	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
9		सभी प्रकार के मिर्च और अन्य वस्तुएँ	5 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
10		सभी प्रकार के घास और चारे	400 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
11		नाकॉटिक्स	5 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
12		प्रकीर्ण :-	
	(i)	गन्ना	100 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(ii)	गुड़	30 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(iii)	चीनी	30 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(iv)	XXX	30 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(v)	खल्ली	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(vi)	पटसन बीज	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(vii)	मेसता बीज	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(viii)	सफगोल	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(ix)	मखाना	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(x)	महुआ का फूल	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xi)	आँवला	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xii)	राव	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
	(xiii)	बीड़ी के पत्ते	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो

झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2013)

(xiv)	बाँस	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xv)	लकड़ी	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xvi)	धूप की लकड़ी	5 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xvii)	मिसरी	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xviii)	आम का अचार	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xix)	हर्रे	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xx)	बहेड़ा	20 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xxi)	मधु	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xxii)	ताड़ी	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xxiii)	गोंद	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xxiv)	कथ	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xxv)	खंडसारी	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो
(xxvi)	छोवा	10 किलोग्राम या 1000 रु. जो भी कम हो

अनुसूची-3
(दिखें नियम- 131)

क्रम सं०	विवरण	अवधि
1	2	3
1	बजट	5 वर्ष
2	रोकड़ बही	स्थायी रूप से
3	स्थापना बही	35 वर्ष
4	सामान्य बिल	3 वर्ष
5	तुलन पत्र (बिलेन्स शीट)	10 वर्ष
6	निकोपी रजिस्टर	स्थायी रूप से
7	खाता बही (लेजर)	10 वर्ष
8	आवेदन का फारम	स्थायी रूप से
9	दैनिक खरीद बिक्री का पास	संपरीक्षा के बाद 1 वर्ष

संशोधन 2013 के अनुरूप संशोधित अंश **तिरछे** अक्षरों में

10	रसीद	3 वर्ष
11	कृषि उपज की खरीद बिक्री का पास रजिस्टर	10 वर्ष
12	अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) रजिस्टर	10 वर्ष
13	भविष्य निधि रजिस्टर	10 वर्ष (यदि इससे संबंधित सभी लेखे बन्द हो जाय तो)
14	कर्मचारियों की सेवा पुस्त	सेवा निवृत्ति या मृत्यु के 5 वर्ष बाद
15	अन्य सभी लेखा बही ओर रसीदें	10 वर्ष

प्रारूप (फारम) संख्या 1(क)

कृषक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची

[देखें नियम 5(ii)]

बाजार समिति..... का निर्वाचन

कृषक निर्वाचन क्षेत्र..... ग्राम का नाम..... थाना संख्या निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....
पंचायत..... अंचल

क्रम सं०	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की जाति	उम्र	स्त्री/पुरुष I
1	2	3	4	5	6

प्रारूप (फारम) संख्या 1(ख)

कृषक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची

[देखें नियम 5(ii)]

बाजार समिति..... का निर्वाचन

व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र..... निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....

क्रम सं०	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	स्त्री/पुरुष I	अनुज्ञप्तिधारी फर्म /व्यापारी का नाम
1	2	3	4	5	6

प्रारूप (फारम) संख्या 1(ग)

कृषक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची

[देखें नियम 5(ii)]

बाजार समिति..... का निर्वाचन

क्रय-बिक्रय सहकारी सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र..... निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....

क्रम सं०	क्रय-बिक्रय सहकारी सोसाइटी का नाम	मतदाता का नाम	उम्र	स्त्री/पुरुष
1	2	3	4	5

झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2013)

प्रारूप (फारम) संख्या 1(घ)

कृषक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची

[देखें नियम 5(ii)]

बाजार समिति..... का निर्वाचन

स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र..... नगर निगम/नगरपालिका/ग्राम पंचायत.....

क्रम सं०	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र -	स्त्री/पुरुष
1	2	3	4	5

प्रारूप (फारम) 2

(देखें नियम 9)

बाजार समिति निर्वाचन क्षेत्र

नामनिर्देशन पत्र

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम—
2. उम्मीदवार का पूरा नाम—
3. मतदाता सूची में उम्मीदवार की क्रम संख्या—
4. पिता/पति का नाम—
5. उम्र—
6. स्त्री/पुरुष—
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जाति—
8. पेशा और पता—
9. प्रस्तावक का पूरा नाम—
10. मतदाता सूची में प्रस्तावक की क्रम संख्या—
11. प्रस्तावक का हस्ताक्षर—

उम्मीदवार की घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निर्वाचन में खड़ा होने का इच्छुक हूँ

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

निर्वाचन पदाधिकारी का प्रमाण पत्र

क्रम संख्या—

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे श्री.....(व्यक्ति) द्वारा (तारीख और समय) पर दिया गया

निर्वाचन पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम) 3

(देखें नियम 12)

बाजार समिति..... का निर्वाचन

.....निर्वाचन क्षेत्र सं०..... के लिए प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की सूची

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	स्त्री/पुरुष I	अनुसूचित जाति /जनजाति	पेशा	प्रस्तावक का नाम
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पणी- नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा तारीख..... को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में(स्थान) पर की जायेगी।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

संशोधन 2013 के अनुरूप संशोधित अंश **तिरछे** अक्षरों में

प्रारूप (फारम) 4

[देखें नियम 14(iii)]

विधिमान्य नामनिर्देशन पत्रों की सूची

बाजार समिति..... के लिए निर्वाचन क्षेत्र सं0..... से निर्वाचन

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	स्त्री/पुरुष	अनुसूचित जाति /जनजाति	पता
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी- मतदान पूर्व अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर.....बजे पूर्वाह्न सेबजे अपराह्न तक होगा।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम) 5

[देखें नियम 15(i)]

वपसी की सूचना

..... बाजार समिति का निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र सं0.....

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,
बाजार समिति,
.....

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित मैं..... इसके द्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

स्थान.....

तारीख.....

यह सूचना मुझे अपने कार्यालय में तारीख को.....बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक/निर्वाचन अभिकर्ता श्री..... (नाम) ने दी।

तारीख.....

निर्वाचन पदाधिकारी,
बाजार समिति.
.....

प्रारूप (फारम) 6

[देखें नियम 15(ii)]

निर्वाचन लड़नेवाले उम्मीदवारों की सूची

.....बाजार समिति का निर्वाचन

.....निर्वाचन क्षेत्र सं0.....

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	पता
1	2	3

स्थान.....
तारीख.....

निर्वाचन पदाधिकारी
बाजार समिति
.....

प्रारूप (फारम) 7
दिखें नियम 17)

.....बाजार समिति का निर्वाचन
निर्वाचन लड़नेवाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	पता
1	2		3

स्थान.....
तारीख.....

निर्वाचन पदाधिकारी
बाजार समिति
.....

प्रारूप (फारम) 8
दिखें नियम 18)

.....बाजार समिति केनिर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए मतपत्र प्रतिपत्र (अधकष्टी) मतदान पत्र संख्या.....बाजार समिति केनिर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए मतपत्र पर्ण मतदान पत्र संख्या.....			
	क्र०सं 0	उम्मीदवार का नाम	चुनाव चिन्ह	मतदान का निशान
	1			
	2			
	3			
	4			
मतदाता का हस्ताक्षर या निशान	5			
	6			

प्रारूप (फारम) 9

(दिखें नियम 23)

मतदान अभिकर्ता (एजेन्ट) का नियुक्ति पत्र

.....बाजार समिति के * का उम्मीदवार मैं, इसके द्वारा श्री.....
ग्राम..... को मतदान केन्द्र के लिए मतदान अभिकर्ता (एजेन्ट) नियुक्ति करता हूँ।

स्थान.....
तारीख.....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता का घोषणा पत्र जिस पर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किया जायेगा।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा निषिद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं ने उन्हें पढ़ लिया है या मुझे पढ़ कर सुना दी गयी है।

तारीख.....

.....
मतदान अभिकर्ता (एजेन्ट)का हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

तारीख.....

.....
पीठासीन पदाधिकारी

मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर प्रस्तुत करने के लिए मतदान अभिकर्ता (एजेन्ट) को दिया जायेगा

* यहाँ निम्नलिखित में से जो उपयुक्त हो उसे भरें—

कृषक निर्वाचन क्षेत्र और संख्या /व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र और संख्या /सहयोग समिति निर्वाचन क्षेत्र और संख्या /स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र।

प्रारूप (फारम) 10

[दिखें नियम 27(ii)(ग)]

चुनौतीकृत मतदाताओं की सूची

.....निर्वाचन क्षेत्र सं०..... के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....

क्र०सं०	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में क्र०सं०	उक्त सूची में निर्वाचक का नाम	चुनौतीकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर या निशान	चुनौतीकृत व्यक्ति का नाम	पहचानकर्ता का नाम यदि कोई हो	चुनौतीकर्ता का नाम	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस पाने के बाद चुनौतीकर्ता का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

तारीख.....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रारूप (फारम) 11

[दिखें नियम 27(ii)(ग)]

निविदत्त (टैंडर) मतों की सूची

.....निर्वाचन क्षेत्र सं०..... के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....

क्रम सं० और निर्वाचक का नाम	निर्वाचक का पता	निविदत्त मत पत्र की क्रम संख्या	मतदान कर चुके व्यक्तियों को दिये गये मत पत्र की क्रम संख्या	निविदत्त मत देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या निशान

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

तारीख.....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रारूप (फारम) 12

(देखें नियम 32)

मत पत्र लेखा

.....निर्वाचन क्षेत्र सं०..... के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....

विवरण	कम संख्या	कुल संख्या
1 प्राप्त मत पत्र--
2 उपयोग में नहीं लाये गये मत पत्र--
3 मतदाताओं निर्गत मत पत्र--
4 रद्द मत पत्र--
5 मतदान केन्द्र पर दिये गये निविदत्त मतों की संख्या--

तारीख.....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रारूप (फारम) 13

[देखें नियम 38(i)(घ)]

मतपेटी के मतों का अभिलेख

.....निर्वाचन क्षेत्र सं०..... के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम.....

मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम	मतपेटी की संख्या	पेटी में मत पत्रों की संख्या
1	2	3

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम) 14

[दिखें नियम 38(i)(घ)]

बाजार समिति की सीट के लिए निर्वाचन के परिणाम का द्योतक विवरण

.....निर्वाचन क्षेत्र सं०..... के लिए निर्वाचन

उम्मीदवारों के नाम	विधिमान्य मतों की संख्या
1	2
(क)	
(ख)	
(ग)	
(घ)	
(ङ)	
कुल विधिमान्य मतों की संख्या-----	
कुल अविधिमान्य मतों की संख्या-----	

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि उम्मीदवार श्री.....बाजार समिति के
.....निर्वाचन क्षेत्र से सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम) 15

[दिखें नियम 49(v)]

.....बाजार समिति के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतपत्रबाजार समिति के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतपत्र		
प्रतिपर्ण (अधकष्टी) मतदान पत्र संख्या.....	पर्ण मतदान पत्र संख्या.....		
	उम्मीदवार की क०सं०	उम्मीदवार का नाम	मतदाता का निशान
	1		
मतदाता का हस्ताक्षर या निशान	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

प्रारूप (फारम) 16
[देखें नियम 49(ix)]

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
अस्वीकृत मतों की कुल संख्या

मैं घोषित करता हूँ कि श्री..... पता.....बाजार समिति,
..... के उपाध्यक्ष पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।
स्थान.....
तारीख.....

.....
पीठासीन पदाधिकारी

प्रारूप (फारम) 17
(देखें नियम 78)
बाजार समिति की वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावना-
2. बाजार क्षेत्र, विनियमित वस्तुएँ-
3. वर्षा और खेती के अधीन क्षेत्र-
4. लाइसेन्स प्रचालक (ऑपरेटर) लाइसेन्स फीस (5 वर्ष)-
5. आमद और मूल्य, महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के मासिक आंकड़े (5 वर्ष)-
6. मासिक कुल बिक्री (5 वर्ष)-
7. बाजार फीस से आय (5 वर्ष)-
8. बाजार मूल्य मासिक- सबसे अधिक प्रचलित मूल्य-
9. तेल मिलें और पसंस्करण प्रतिष्ठान तथा उनकी कुल वार्षिक बिक्री-
10. सहकारी सोसाइटी के मार्फत बिक्री-कुल बिक्री के साथ इसका अनुपात-
11. विपणन (मार्केटिंग) खर्च-
12. माल का आवागमन-
13. निर्यात-
14. बिक्री की पद्धति-
15. करार-
16. विनियमित की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुएँ-
17. बाजार क्षेत्र का विस्तार-
18. बिक्री यार्ड-
19. आगमन और उप यार्ड में बिक्री-
20. ग्राम बिक्री और प्रचार-
21. प्रदर्शन और स्टॉल-
22. न्यायालय मामले-
23. अनुज्ञापतियों (लाइसेन्सों) का रद्दीकरण-
24. विवाद-
25. उप-विधियों का संशोधन-

26. सभा-
27. निर्वाचन-
28. लेखों की संपरीक्षा-
29. विशिष्ट परिदर्शक (विजिटर)-
30. निष्कर्ष-

प्रारूप (फारम)-18

अनुज्ञा-पत्र (परमिट)

{ धारा-27(3) एवं धारा 54 द्रष्टव्य }

(बाजार समिति के कार्यालय में सत्यापन हेतु तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा सत्यापन के उपरान्त लौटायी गयी दो प्रतियाँ में से एक धारक को दी जायेगी तथा एक प्रति निर्गतकर्ता के पास रहेगी।)

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या.....

बाजार क्षेत्र का नाम.....

नीलाम/बिक्री की तिथि.....

व्यापारी/कमीषन एजेंट/निबंधित निजी

निबंधन/लाइसेन्स संख्या...../(वर्ष).....

बाजार प्रांगण/निबंधित संविदा कृषि

कारक का नाम.....

बिक्रेता का नाम..... पता.....

प्रसंस्कर्ता का नाम..... पता..... लाइसेन्स संख्या...../(वर्ष).....

कृषि उपज	अदद	वजन	दर	मूल्य	बाजार फीस	अभ्युक्ति

घोषणा की जाती है कि बाजार फीस की कुल राशि.....(षब्दों में).....रूपये मात्र का भुगतान मेरे/हमारे/.....के बिक्रय-लेखा संख्या..... दिनांक.....द्वारा बाजार समिति.....की ओर से प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त उपज प्रसंस्करण के निमित्त उल्लेखित प्रसंस्कर्ता को वाहित किया गया।

कार्यालय उपयोग के लिए

(उस बाजार समिति द्वारा सत्यापित किया जायेगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में प्रथम बिन्दु पर बाजार शुल्क का भुगतान हुआ)

भुगतान सत्यापित

सचिव/प्राधिकृत कर्मी

का हस्ताक्षर एवं तिथि

बाजार समिति की मुहर

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन बाजार समिति,

.....

चूँकि, उक्त कृषि उपज पर बाजार शुल्क का भुगतान कर दिया गया है अतः उक्त उपज के प्रसंस्कृत उपज.....जिसकी मात्रा..... क्वींटल/लीटर है, पर बाजार फीस की अदेयता सत्यापित करने की कृपा की जाए।

.....
प्रसंस्कर्ता का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

(उस बाजार समिति द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में प्रसंस्करण किया गया)

प्रसंस्कृत कृषि उपज.....मात्रा.....क्वींटल/लीटर पर बाजार फीस देय नहीं है।

सचिव/प्राधिकृत कर्मी का
हस्ताक्षर एवं तिथि

बाजार समिति की मुहर

फार्म-18(क)

प्रथम बिन्दु पर बाजार फीस भुगतान का प्रमाण-पत्र

{धारा-27 (2) द्रष्टव्य}

(बाजार समिति के कार्यालय में सत्यापन हेतु तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा सत्यापन के उपरान्त लौटायी गयी दो प्रतियाँ में से एक धारक को दी जायेगी तथा एक प्रति निर्गतकर्ता के पास रहेगी।)

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या.....

बाजार क्षेत्र का नाम.....

नीलाम/बिक्री की तिथि.....

व्यापारी/कमीशन एजेंट/निबंधित निजी

निबंधन/लाइसेन्स संख्या...../(वर्ष).....

बाजार प्रांगण/निबंधित संविदा कृषि

कारक का नाम.....

बिक्रेता का नाम..... पता.....

केता का नाम..... पता..... लाइसेन्स संख्या...../(वर्ष).....

कृषि उपज	अदद	वजन	दर	मूल्य	बाजार फीस	अभ्युक्ति

घोषणा की जाती है कि बाजार फीस की कुल राशि.....(षब्दों में).....रुपये मात्र का भुगतान मेरे/हमारे/.....
.....के बिक्रय-लेखा संख्या.....दिनांक.....द्वारा बाजार समिति.....की ओर से प्राप्त कर लिया गया है।

.....
केता का हस्ताक्षर

व्यापारी/कमीशन एजेंट/निबंधित निजी
बाजार प्रांगण/निबंधित संविदा कृषिकारक
का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

(उस बाजार समिति द्वारा सत्यापित किया जायेगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में प्रथम बिन्दु पर बाजार शुल्क का भुगतान हुआ)

भुगतान सत्यापित

बाजार समिति की मुहर

सचिव/प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर
एवं तिथि बाजार समिति.....

कृषि उत्पादन बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम) 19

कम सं०-

व्यापारी अनुज्ञापित के लिए आवेदन

[देखें नियम 98(iii)]

1. आवेदक के फर्म का नाम-
2. फर्म में आवेदक की हैसियत-
3. फर्म के कारबार का प्रकार
अधिसूचित पदार्थों की नामावली
जिसमें कार बार कर रहा है या
करना चाहता है

स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबंधक
व्यापारी/कमीशन एजेन्ट/प्रसंस्कारक (प्रोसेसर)

4. प्रमुख बाजार यार्ड/उप बाजार
यार्ड/बाजार क्षेत्र के बारे में
विशिष्टियों सहित आवेदक के
कारवार स्थान की अवस्थिति-

कारबार स्थान के परिसर की सीमा-
उत्तर-
दक्षिण-
पूरब-
पश्चिम-

- 1 ग्राम या नगर का नाम-
- 2 प्रमुख/उप बाजार यार्ड-
बाजार क्षेत्र का नाम-
- 3 मुहल्ला/वार्ड नं०-
- 4 सर्वे प्लॉट या मकान नं०-
- 5 डाकघर--
- 6 तारघर-
- 7 पुलिस थाना-
- 8 जिला-
- 9 टेलीफोन/मोवाइल नं०-

5. अधिसूचित कृषि उपज के व्यापारी के
रूप में व्यापारी कब से कारबार कर रहा है-
6. क्या आवेदक किसी पूर्व अवसर पर व्यापारी
अनुज्ञापित धारण करता था, यदि हाँ तो उसके
निलम्बन और रद्दीकरण सहित विशिष्टियाँ-

7. स्वत्वधारी/भागीदार का नाम (पूर्ण पता सहित)		पिता/पति का नाम	उम्र	स्थानीय पता			
क							
ख							
ग							
घ							
ङ							
कृषि उपज के भंडार का स्थान	भंडारकरण का स्थान	चौहद्दी					
		संख्या	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	क्षमता निजी या भाड़े पर

(संख्या एवं चौहद्दी सहित)								

मैंने सावधानीपूर्वक अनुज्ञप्ति से उपाबद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों को पढ़ा है और मैं उनका पालन करने को करार करता हूँ तथा मैं अनुज्ञप्ति के बंधनों का भंग होने पर बाजार समिति के अधिनियम या नियमावली या उप-विधि के अधीन निलम्बन, रद्दीकरण और अन्य कार्रवाई का भी भागी होऊंगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण हैं।

(क) मैंने अधिसूचित कृषि उपज के व्यापारी का कारोबार करने के लिए बाजार समिति..... के पास इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए पूर्व में आवेदन नहीं किया था।

(ख) मैंने इस बाजार समिति..... के पास इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया था और दिनांक..... को (वर्षके लिए) अनुज्ञप्ति सं० प्रदान की गयी/नहीं की गयी है।

(अनुपयुक्त खण्डों को काट दें)

स्थान.....

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

यदि आवेदक किन्हीं अन्य विभागों की अनुज्ञप्ति धारण करता हो तो उनके विवरण-

	संख्या	तिथि		संख्या	तिथि
1. आपूर्ति विभाग की अनुज्ञप्ति			3. फैक्ट्री पंजीयन		
			4. केन्द्रीय उत्पाद		
2. सेल्स टैक्स पंजीयन (टिन)			5. अन्य कोई अनुज्ञप्ति यदि कोई हो		

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय के लिए

जाँच प्रतिवेदन-

जाँच करने वाले पदाधिकारी का
हस्ताक्षर/पदनाम

कृषि उत्पादन बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम) 19 (क)

कम सं०-

व्यापारी अनुज्ञापति के नवीकरण लिए आवेदन

[देखें नियम 98(viii)]

1. आवेदक के फर्म का नाम-
2. फर्म में आवेदक की हैसियत-
3. फर्म के कारबार का प्रकार अधिसूचित पदार्थों की नामावली जिसमें कार बार कर रहा है या करना चाहता है

स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबंधक
व्यापारी/कमीशन एजेन्ट/प्रसंस्कारक (प्रोसेसर)

4. प्रमुख बाजार यार्ड/उप बाजार यार्ड/बाजार क्षेत्र के बारे में विशिष्टियों सहित आवेदक के कारवार स्थान की अवस्थिति- कारबार स्थान के परिसर की सीमा- उत्तर- दक्षिण- पूरब- पश्चिम-	1 ग्राम या नगर का नाम-							
	2 प्रमुख/उप बाजार यार्ड- बाजार क्षेत्र का नाम-							
	3 मुहल्ला/वार्ड नं०-							
	4 सर्वे प्लॉट या मकान नं०-							
	5 डाकघर--							
	6 तारघर-							
	7 पुलिस थाना-							
	8 जिला-							
	9 टेलीफोन/मोवाइल नं०-							
5. स्वत्वधारी/भागीदार का नाम (पूर्ण पता सहित)	पिता/पति का नाम	उम्र	स्थानीय पता					
क								
ख								
ग								
घ								
ङ								
6. कृषि उपज के भंडार का स्थान (संख्या एवं चौहद्दी सहित)	भंडारकरण का स्थान	चौहद्दी						
		संख्या	उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	क्षमता	निजी या भाड़े पर

मैंने सावधानीपूर्वक अनुज्ञप्ति से उपाबद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों को पढ़ा है और मैं उनका पालन करने को करार करता हूँ तथा मैं अनुज्ञप्ति के बंधों का भंग होने पर बाजार समिति के अधिनियम या नियमावली या उप-विधि के अधीन निलम्बन, रद्दीकरण और अन्य कार्रवाई का भी भागी होऊंगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान.....

तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर

नियम 98(viii) के अन्तर्गत अभियुक्तियाँ			कार्यालय के लिए
(i) अनुज्ञप्ति संख्या जिसके नवीकरण हेतु आवेदन किया गया			क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय से मासिक प्रतिवेदन एवं बाजार शुल्क जमा किया गया है
(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गत वर्ष की अवधि के दौरान किए गये व्यापार का व्योरा			
कुल कय मूल्य	कुल विक्रय मूल्य	भुगतान दिया गया बाजार शुल्क	समिति के प्राधिकृत कर्मचारी की टिप्पणी

प्रारूप (फारम)20

[देखें नियम 129(i)]

हाट/बाजार/मेला लगाने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या..... वर्ष.....

1. झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 और उसके अधीन बने नियमावली तथा इस अनुज्ञप्ति के बंधों और शर्तों के अध्यक्ष श्री..... (व्यक्ति या प्राधिकारी का नाम) को इसके द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में हाट/बाजार/मेला लगाने की अनुज्ञा दी जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित स्थान पर हाट/बाजार/मेला लगायेगा—

हाट/बाजार/मेला का नाम	ग्राम	ग्राम एवं थाना सं०	सर्वे प्लॉट सं०	कितने दिन पर हाट/बाजार/मेला लगता है (लगने का दिन)	चौहद्दी				अभ्युक्ति
					उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	
	नगर	वार्ड सं०	होलिडिंग सं०						
1	2	3	4	5	6				7

3. बाजार समिति इसके द्वारा अनुज्ञा देती है और अनुज्ञप्तिधारी, इसके द्वारा हाट/बाजार/मेला लगाना या स्थापित करना तथा हाट या बाजार या मेला में बेची जानेवाली अधिसूचित कृषि उपज के खरीदारों से धारा 27 और नियम 82 के अधीन भुगतये बाजार फीस तहसीलने के लिए तहसील एजेन्ट के रूप में कार्य करना और एक सप्ताह के भीतर बाजार समिति के पास जमा कर देना स्वीकार करता है। इसके द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से करार और घोषित किया जाता है कि—

(क) अनुज्ञप्तिधारी, हाट/बाजार/मेला के विनियमन के लिए बाजार समिति द्वारा निर्गत सभी आदेशों का अनुपालन करेगा;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी ओर से इस अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान उक्त हाट/बाजार/मेला में बाजार फीस तहसीलने में उन्हे सहायता करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लगावे। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को सेवा से तुरत हटा देगा, जिसे हटाने के लिए सचिव उनके अवांछनीय होने के आधार पर या किसी अन्य आधार पर आदेश दे;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या उसका एजेन्ट उक्त हाट/बाजार/मेला से बाजार समिति द्वारा विहित लगान की उन्सूचित दरों के अनुसार भूमि लगान तहसीलेगा तथा उक्त

झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2013)

दरों के अतिरिक्त या उससे अधिक कुछ भी नहीं तहसीलेगा। अनुज्ञप्तिधारी उक्त दरों की अनुसूची हिन्दी में उक्त हाट/गाजार/मेला में कम-से-कम दो सहजदृष्य स्थानों इस अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान टंगवायेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी व्यक्तियों को जिसे भूमि लगान और बाजार फीस तहसीली जायेगी, बाजार समिति द्वारा विहित प्रारूप में सही रसीद देगा तथा ऐसे प्रारूपों की कीमत बाजार समिति को भुगतान करेगा;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा की गयी सभी तहसीलों का सही लेखा रखेगा और सचिव या इसके प्रयोजनार्थ प्रतिनियुक्त किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किये जाने पर इसे प्रस्तुत करेगा;

(च) अनुज्ञप्तिधारी हाट/बाजार/मेला की उचित सफाई के लिए उत्तरदायी होगा और हाट/बाजार/मेला भूमि को हमेशा साफ-सुथरा एवं अच्छी दशा में तथा सभी गंदगियों और अवांछनीय तत्वों से मुक्त रखेगा;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी हाट/बाजार/मेला के परिसर का किसी राजनैतिक सभा सा सम्मेलन के लिए उपयोग नहीं करेगा;

(ज) आपात स्थिति में यानी हाट/बाजार/मेला के आस-पास में उग्र रूप से किसी संक्रामक रोग के फैलने पर सचिव को स्वतंत्रता होगी कि वह अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर दिये बिना हाट/बाजार/मेला को बन्द कर दे;

(झ) सचिव को स्वतंत्रता होगी कि वह हाट/बाजार/मेले में लोक स्वास्थ्य के हित में किसी विशिष्ट कृषि उपज के बिक्रय को प्रतिषिद्ध कर दे जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा;

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर और बाजार समिति द्वारा यथाविहित दिनों को हाट/बाजार/मेला लगायेगा;

(ट) अनुज्ञप्तिधारी हाट/बाजार/मेला में अपना हित, किसी व्यक्ति को समनुदेशित नहीं करेगा या उपपट्टे पर नहीं देगा;

(ठ) यदि इसमें इसके पहले अन्तर्विष्ट शर्तों का या उनमें से किसी शर्त का कोई भंग या अननुपालन हो, तब और किसी भी उक्त मामले में तथा इस बात के होने पर भी कि इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए उसी प्रकार की किसी पूर्ववर्ती चूक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बाजार समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए लिखित आदेश दे और उक्त हाट/बाजार/मेला को स्वविवेकानुसार, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पुनर्बन्दोबस्त कर दे और ऐसे मामले में अनुज्ञप्तिधारी ऐसी हानि को पूरा करने के लिए जिम्मेवार होगा, जो बाजार समिति की इसमें इसके पहले अन्तर्विष्ट किसी शर्त के भंग या अननुपालन के कारण उक्त हाट/बाजार/मेला पुनर्बन्दोबस्त या पुनर्बन्दोबस्त करने से असमर्थ होने में या अन्यथा उठानी पड़े; और

(ड) उक्त हाट/बाजार/मेला की बन्दोबस्ती के कारण कोई देय रकम, जिसके अन्तर्गत अधिरोपित कोई शास्ति, हानि अथवा नुकसान के लिए कोई ऐसा प्रतिकर भी है, जो बाजार समिति को देय हो, बाजार समिति को भुगतने होगी और इसके भुगतान में चूक करने पर यह रकम बाजार समिति के किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिहार-उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के उपबंधों के अधीन मांग के रूप में वसूली होगी।

अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर

.....
तारीख

सचिव

बाजार समिति

प्रारूप (फारम)21

[देखें नियम 87(iii)(क)]

गेट पास 'क'

1. धारक का नाम—
2. गाड़ी आदि के ब्योरे—
3. कृषि उपज के ब्योरे—
4. बाजार में प्रवेश करने का प्रयोजन—
5. उन व्यक्तियों के नाम जिनके प्रभार में बाजार में रहने के दौरान कृषि उपज रखने का आशय है—

निर्गम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम)21(क)

[देखें नियम 87(iii)(ख)]

गेट पास 'ख'

1. धारक का नाम—
2. गाड़ी आदि के ब्योरे—
3. कृषि उपज के ब्योरे—
4. कृषि उपज कैसे अर्जित की गयी—
5. यदि देय है तो क्या फीस चुका दी गयी है—

निर्गम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम)22
(देखें नियम 96)

करार पत्र

1. बिक्रेता का नाम—
2. केता(खरीददार) का नाम—
3. कृषि उपज (प्रकार या कोटि सहित) —
4. दर—
5. खरीद का स्थान—

तारीख.....

बाजार समिति के सेवक का हस्ताक्षर
बाजार समिति.....

मैं इसके द्वारा करार करता हूँ कि जब ऊपर उल्लिखित कृषि उपज की तौल हो जाने पर यदि मैं इसे ऊपर वर्णित दर पर लेने से इनकार करूँ तो मामला नियम 62 के उपबंधों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जायेगा।

मैं उक्त नियम के अधीन ऐसी मध्यस्थता में दिये गये नियमन को स्वीकार करने का आबद्ध करता हूँ।

केता या उसके एजेन्ट का हस्ताक्षर

प्रारूप (फारम)23

अनुज्ञप्ति संख्या/वर्ष.....

[देखें नियम 98(i)]

**व्यापारी के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञप्ति
कृषि उत्पादन बाजार समिति.....**

इसके द्वारा श्री/मे0.....

भागीदारों के नाम पते	नाम/पिता नाम		पता टेली0/मोबाइल न0 सहित			
	1					
2						
3						
व्यापार के परिसर की सीमा	कारोबार स्थल		भंडार स्थल			
			चौहद्दी	भंडार-1	भंडार-2	भंडार-3
	उत्तर		उत्तर			
	दक्षिण		दक्षिण			
	पूरब		पूरब			
	पश्चिम		पश्चिम			

को जो इसमें इसके पश्चात बाजार क्षेत्र के प्रमुख बाजार यार्ड/उप बाजार यार्ड में या ऐसे बाजार क्षेत्रमें, जिसके लिए उक्त बाजार समिति स्थापित की गई है, अनुसूचित कृषि उपज के विपणन के निमित्त काम करने के लिए व्यापारी (कमीशनएजेन्ट/व्यापारी/प्रसंस्कारक) के रूप में निर्दिष्ट है, झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 और उक्त बाजार समिति की उप-विधियों के उपबंधों तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसके द्वारा यह अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है—

- (1) अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम और नियमावली तथा उक्त बाजार समिति की उप-विधियों के उपबंधों और उक्त बाजार समिति के साथ तारीख.....को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गये करार की शर्तों का पालन करेगा।
- (2) यह अनुज्ञप्ति 31 मार्च 20.... तक जिसमें 31 मार्च 20.... भी शामिल है, विधिमान्य रहेगी और इसके बाद यह मार्च 20.... को समाप्त होने वाली तिमाही को समाप्त हो जायेगी बशर्ते कि इसे नवीकृत नहीं करा लिया जाय।
- (3) यह अनुज्ञप्ति हस्तान्तरणीय नहीं है।
- (4) यह अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसार निलम्बित या रद्द की जा सकेगी।
- (5) इस लाइसेन्स के निलम्बन या रद्दीकरण की दशा में अनुज्ञप्तिधारी इसे बाजार समिति को अभ्यर्पित कर देगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी कमीशन एजेन्ट/व्यापारी/प्रसंस्कारक के रूप में केवल उन्हीं स्थानों में कारबार करेगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी हो और जबतक अनुज्ञप्तिधारी उक्त नियमावली के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति के अधीन कोई अन्य कारबार नहीं करे तबतक बाजार क्षेत्र में या उस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी बाजार में बाजार कृत्यकारी का कोई अन्य कारबार नहीं करेगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी किसी घोषित कृषि उपज में कोई मिलावट नहीं करेगा या करवायेगा।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी बाजार फीस का अपवंचन रोकने में बाजार समिति की सहायता करेगा।
- (9) घोषित कृषि उपज के विपणन के संबंध में लगे हुए सहायकों या सेवकों के सभी कार्य अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उसकी अभिव्यक्ति विविक्षित (इम्प्लाइड) अनुज्ञा से किए गये समझे जायेंगे।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम नियमावली और उप-विधियों द्वारा अपेक्षित रीति से अथवा बोर्ड या बाजार समिति के अनुदेशों के अनुसार, बही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा और उन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या इस निमित्त बाजार समिति या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- (11) अनुज्ञप्तिधारी बाजार समिति को ऐसी सूचना और विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर इसके द्वारा अपेक्षित हो।
- (12) अनुज्ञप्तिधारी बाजार समिति को उप-विधियों के अधीन उपबंधित रीति के अनुसार कृषि उपज की कीमत तय करेगा और झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 या उप-विधियों के उपबंधों के लेखा पर्ची या खरीद बिल निर्गत करेगा।
- (13) यदि कृषि उपज अनुज्ञप्तिधारी को एजेन्सी या उसके मार्फत बेची जाय तो वह वह बेची गयी उस कृषि उपज की कीमत बिकेता को उसी दिन चुका देगा।
- (14) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार जो फीस प्राप्त करने के लिए या जो चार्ज वसूलने के लिए हकदार है उससे भिन्न कोई फीस न मांगेगा न प्राप्त करेगा और न कोई चार्ज ही वसूलेगा।
- (15) अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपज के अतिरिक्त कोई व्यापार या संवयवहार से वसूली नहीं करेगा।
- (16) किसी भी कृषि उपज की खरीद बिक्री में अनुज्ञप्तिधारी दलाल का कार्य नहीं करेगा।
- (17) अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकृत बाट और माप का उपबंध करेगा तथा बाजार समिति द्वारा यथा अनुमोदित स्थानों पर तौलेगा।
- (18) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञा प्राप्त तौलने या मापने वाले व्यक्तियों और पलदारों को बाजार समिति द्वारा अनुमोदित दर से भुगतान करेगा।
- (19) यदि अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपज किसी ऐसे खरीददार के हाथ बेचे, जो अनुज्ञप्तिधारी नहीं हो, तो अनुज्ञप्त व्यक्ति उक्त खरीददार से आवश्यक बाजार फीस वसूलेगा और उसे बाजार समिति के पास जमा कर देगा।
- (20) अनुज्ञप्तिधारी, फर्म/कम्पनी की भागीदारी में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना बाजार समिति को देगा।
- (21) अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपज के विपणन के संबंध में अपने सभी विवादों को झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 के अधीन उपबंधित रीति से निर्देशित करेगा।

स्थान.....
तारीख.....

सचिव
बाजार समिति
.....

अनुज्ञप्ति का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	किस अवधि के लिए नवीकरण किया गया	सचिव का हस्ताक्षर
1	2	3

कृषि उत्पादन बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम)24

संख्या.....

[देखें नियम 96(ii)]

कय पर्वा

बेचने वाले का नाम..... पता.....

केता का नाम लाइसेन्स संख्या.....पता.....

प्रदान स्थल..... तिथि.....

कृषि उपज का नाम	अदद	वजन	दर प्रति क्विंटल	कुल रकम		बजार शुल्क	अभ्युक्ति
				रु०	पै०		

हस्ताक्षर केता

बिकेता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कृषि उत्पादन बाजार समिति.....

प्रारूप (फारम)25

संख्या.....

[देखें नियम 96(iii)]

बिक्रय पर्चा

बेचने वाले आढ़तिया/व्यापारी का नाम.....
 लाइसेन्स संख्या.....पता.....
 केता का नाम लाइसेन्स संख्या.....पता.....
 प्रदान स्थल..... तिथि.....

कृषि उपज का नाम	अदद	वजन	दर प्रति विवंटल	कुल रकम		बजार शुल्क	अभ्युक्ति
				रु0	पै0		

बिक्रेता व्यापारी/आढ़तिया का हस्ताक्षर

प्रारूप (फारम)26

[देखें नियम 129(ii)]

हाट/बाजार/मेला लगाने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन बाजार समिति,

.....

महाशय,

- मेरा हाट/बाजार/मेला निम्नलिखित स्थान पर लगता है जो बाजार समिति के अधिसूचित बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत है।
- मैं, झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम, 2000 तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली, 2000 के नियमों को पढ़ कर समझ लिया हूँ और उनको तथा उनमें किये गये संशोधनों को मानने के लिए तैयार हूँ।
- मैंने अनुज्ञप्ति से उपाबद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा नियम 129 को पढ़ा है और मैं उनका पालन करने को करार करता हूँ तथा मैं अनुज्ञप्ति के बंधेजों के भंग होने पर अधिनियम या नियमावली या उप-विधि के अधीन निलम्बन, रद्दीकरण और अन्य किसी कार्रवाई का भागी होऊंगा।
- आवेदक का नाम—
- स्वत्वधारी/भागीदार का नाम—

नाम	उम्र	पिता/पति का नाम
1		
2		
3		
4		

हाट/बाजार/मेला लगाने वाले स्थान का विवरण

हाट/बाजार / मेला का नाम	ग्राम/नगर का नाम थाना सं० वार्ड सं०	सर्वे प्लॉट सं०/होल्डिंग सं०	रकबा	कितने दिन पर मेला लगता है। लगने का दिन एवं अवसर	चौहद्दी				अभियुक्ति
					उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. मैं घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण है।

7. अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि इस आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाय और नियम 129 के अनुसाररुपया लेकर मुझे से तक के लिए हाट/बाजार/मेला लगाने की अनुज्ञप्ति दी जाय।

कार्यालय उपयोग के लिए

(क) क्या आवेदक शोधनाक्षम है (दिवालिया नहीं है)-

(ख) नकद प्रतिभूति (जमानत) अथवा बैंक या तीसरे व्यक्ति की प्रत्याभूति (गारण्टी) का उल्लेख-

(ग) क्या आवेदक एक बांछनीय व्यक्ति है, जिसे अनुज्ञप्ति दी जा सकती है-

प्रत्याभूति प्रपत्र का क्रमांक-

मैं श्री.....आत्मज श्री.....थाना.....

जिला..... पेशा..... उपर्युक्त फर्म..... की ओर से नियम 129 (iii) (ख) के अन्तर्गत गारन्टर घोषित करता हूँ।

तिथि.....

गारन्टर का पूर्ण हस्ताक्षर

सहायक प्रतिनिधियों का प्राधिकरण विवरण

प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों की सूची

क्रम सं०	प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के नाम एवं पिता का नाम	प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर	उम्र	पदनाम/हैसियत	पूर्ण पता

व्यवसाय-

ह० आवेदक

फार्म - 27

(नियम 136 देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक के पंजीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

महोदय,

मैं/हम _____ (नाम) _____

_____ (पता) दूरभाष) _____ से _____ तक अर्थात् _____ वर्षों की अवधि के लिए संविदा कृषि प्रायोजक के पंजीकरण/नवीकरण हेतु आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम _____ जिलों/पूरे झारखण्ड राज्य के लिए पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण चाहता हूँ/चाहते हैं। आवेदन के साथ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

(i) शोध क्षमता प्रमाण पत्र।

(ii) बैंक गारंटी

(iii) कम्पनी/सहभागी फर्म/गैर सरकारी संगठन/सरकारी सोसायटी/सरकारी संगठन आदि के पंजीकरण दस्तावेज के ब्योरे/निदेशक/पार्टनर आदि के पते और नाम।

(iv) इस संविदा के अन्तर्गत आने वाले कृषि उपज के ब्योरे।

(v) चालान की प्रति जिसके द्वारा पांच सौ रुपये का शुल्क प्रतिवर्ष, प्रति जिला सहकारी कोष में जमा किया गया है।

(vi) आयकर विवरणी

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म - 28

(नियम 136 (2) देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक का रजिस्टर

क्रम सं०	आवदेक का नाम और पता	आवेदन प्राप्त होने की तारीख	पंजीकरण शुल्क रूपये —	जिला(जिले) जिसके लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है ।	अवधि जिसके लिए पंजीकरण/ नवीकरण किया गया है ।	पंजीकरण जारी करने की संख्या और तारीख	हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

फार्म-29

(नियम 136 (2) देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक का पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण/निस्तारण

सेवा में,

विषय: जिलों/सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में संविदा कृषि प्रायोजक का पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक _____ के आवेदन सं० _____

_____ के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण के लिए आपका आवेदन, पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है।

पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण _____ झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित जिलों में _____ से _____ तक की अवधि में संचालन के लिए है।

पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण की शर्त निम्नानुसार है।

१. पंजीकरण धारक, इस निमित्त जारी अधिनियम के उपबंधों, नियमों एवं अनुदेशों का पालन करेगा।

२. पंजीकरण धारक संविदा में दी गई शर्तों का पालन करेगा।

दिनांक:

स्थान:

पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर

फार्म - 30

(नियम 137(2) देखें)

संविदा कृषि करार के पंजीकरण के लिए रजिस्टर प्रपत्र

क्रम सं०	करार के पक्षकारों के नाम			कृषि उपज का प्रकार	कृषि उपज की अनुमानित मात्रा	संविदा अवधि	कृषि उपज की अनुमानित कीमत	करार की तारीख	पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
	पहला पक्षकार (कृषक)	दूसरा पक्षकार (क्रेता)	तीसरा पक्षकार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

फार्म - 31

(नियम 139 देखें)

बाजार समिति में रिपोर्ट किए गए और निपटाए गए विवादों का रजिस्टर

क्रम सं०	विवाद के लिए पक्ष	भरने की तारीख	जमा किया गया शुल्क (पावती) चालान सं० और तारीख	विवाद का स्वरूप (संक्षेप में)	लिया गया निर्णय (संक्षेप में)	सचिव के हस्ताक्षर
----------	-------------------	---------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------

फार्म - 32

(नियम 140 देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा निर्यात अथवा प्रसंस्करण के उद्देश्य से खरीदी गई उपज की सूचना देने के लिए प्रपत्र

अवधि के लिए विवरणी									
क्र०सं०	तिमाही जिससे रिपोर्ट संबंधित है।	संविदा कृषि प्रायोजक द्वारा खरीदी गई कृषि उपज की कुल मात्रा (टनों में)		निर्यात के लिए खरीदी गई कृषि उपज की कुल मात्रा टनों में (— रूपये)		प्रसंस्करण के लिए खरीदी गई कृषि उपज की मात्रा टनों में	खरीद के 90 दिनों के अन्दर निर्यातित कृषि उपज की मात्रा	खरीद के 90 दिनों के अन्दर प्रसंस्कृत कृषि उपज की मात्रा	टिप्पणी
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि निर्यात/प्रसंस्करण के लिए खरीदी गई कृषि उपज की मात्रा को इसकी खरीद से 90 दिनों की अवधि के भीतर हमारे द्वारा निर्यात/प्रसंस्कृत किया जाएगा। ऐसा न करने पर मेरे/हमारे खिलाफ झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (यथा संशोधित 2013) के उपबंधों/पंजीकरण नियम की शर्तों जिनसे मैं/हम परिचित हैं, के अनुसार कार्रवाई/ दंड दिया जाएगा।

संविदा कृषि प्रायोजक के हस्ताक्षर

फार्म - 33

(नियम 145 देखें)

संविदा कृषि प्रायोजक के वार्षिक लेखों का प्रपत्र

क्रम संख्या I	कृषि उपज का नाम	कृषकों की संख्या साथ संविदा पर हस्ताक्षर हुए	जिनके कृषि अन्तर्गत क्षेत्र हेक्टेयर में	संविदा करार के मात्रा में	खरीदी गई टनों कीमत और खरीदी गई उपज की मात्रा	कुल कीमत और खरीदी गई उपज की मात्रा	कृषकों को दी गई कीमत	15 दिनों से अधिक के लिए बकाया भुगतान कृषकों की संख्या	राशि रूपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

संविदा कृषि करार प्रायोजक के हस्ताक्षर

फार्म - 34

(नियम 146(1) (iii) देखें)

निजी बाजार और उपभोक्ता- कृषक बाजार के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
दिनांक:

सेवा में,

प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन

मैं/हम _____ (नाम) _____ (पता) _____ दूरभाष _____ निजी
बाजार/उपभोक्ता कृषक-बाजार की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं । यथा अपेक्षित आवश्यक कागजात संलग्न हैं । मैं
उपर्युक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार _____ रूपये की आवश्यक लाइसेंस शुल्क देने के लिए तैयार हूँ तथा देना चाहता हूँ । कृपया मुझे
लाइसेंस प्रदान करें ।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हैं :-

- i) कम्पनी, सहकारी समिति, न्यास, निगम, सहभागी फर्म आदि के समामेलन अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- ii) संगम ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेद ।
- iii) सभी निदेशकों और मालिकों तथा सहभागियों आदि के नाम, पते और दूरभाष ।
- iv) निम्न तालिका में भूमि की लागत के ब्यौरे सहित बनाई गई आधारिक संरचना के ब्यौरे (लागत के समर्थन में प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाएं)

क्रम संख्या	आधारिक संरचना का प्रकार	अनुमानित लागत (रूपये में)
1		
2		
3		

- 5) लाइसेंस शुल्क दिए जाने के समर्थन में ट्रेजरी चालान ।
- 6) निजी बाजार को कैसे चलाया जाए अथवा संचालित किया जाए इस संबंध में परिचालन और कार्यकारी दिशा निर्देश ।
- 7) इस आशय का वचन अथवा शपथ पत्र कि आवेदक अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों का पालन करेगा और उल्लंघन के मामले में वह लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई समेत उत्तरदायी होगा ।
- 8) बैंक प्रतिभूति ।
- 9) आयकर रिटर्न ।
- 10) प्रस्तावित बाजार की विन्यास योजना ।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म - 34 (क)

(नियम 146 (1)(iii) देखें)

निजी ई - बाजार के लिए लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

दिनांक :

सेवा में,

प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन

मैं/हम _____ (नाम) _____ (पता) _____ दूरभाष _____ झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज _____ के लिए निजी ई - बाजार हेतु लाईसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं । यथा अपेक्षित आवश्यक कागजात संलग्न हैं । मैं उपर्युक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार _____ रूपये की आवश्यक लाईसेंस शुल्क देने के लिए तैयार हूँ तथा देना चाहता हूँ । कृपया मुझे लाईसेंस प्रदान करें ।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हैं :-

- (i) कम्पनी, सहकारी समिति, न्यास, निगम, सहभागी फर्म आदि के समामेलन अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- (ii) संगम ज्ञापन अथवा संगम अनुच्छेद ।
- (iii) सभी निदेशकों और मालिकों तथा सहभागियों आदि के नाम, पते तथा दूरभाष ।
- (iv) निम्न तालिका में भूमि की लागत के ब्यौरे सहित बनाई गई आधारीक संरचना के ब्यौरे (लागत के समर्थन का प्रमाण- पत्र भी संलग्न किया जाएं)

क्रम संख्या	आधारीक संरचना का प्रकार	अनुमानित लागत (रूपये में)
1		
2		
3		

(V) लाईसेंस शुल्क दिए जाने के समर्थन में ट्रेजरी चालान ।

(Vi) निजी ई - बाजार को कैसे चलाया जाए अथवा संचालित किया जाए इस संबंध में परिचालन और कार्यकारी दिशा निर्देश ।

(Vii) इस आशय का वचन अथवा शपथ पत्र कि आवेदक अधिनियम के उपबंधों और उनके अन्तर्गत बने नियमों का पालन करेगा और उल्लंघन के मामले में वह लाईसेंस रद्द होने की कार्रवाई समेत उत्तरदायी होगा ।

(Viii) बैंक प्रतिभूति ।

(ix) आयकर रिटर्न ।

(X) संबंधित प्राधिकारी द्वारा दी गई स्थायी मान्यता संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रति ।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म - 35

(नियम 146 (1) (iii) देखें)

कृषकों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

दिनांक

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

महोदय,

मैं/हम _____ (नाम) _____ (पता) _____ दूरभाष _____ निम्नलिखित बाजार क्षेत्रों में कृषकों से कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाईसेंस लेने हेतु आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं । मैं उपर्युक्त लाईसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार _____ रुपये का आवश्यक लाईसेंस शुल्क देने के लिए तैयार हूँ तथा देना चाहता हूँ ।

इस आवेदन के साथ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ :-

- i) ऋण शोध-क्षमता प्रमाण पत्र ।
- ii) बैंक गारंटी ।
- iii) आवेदक (उदा० कम्पनी, सहभागी फर्म/गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समिति/सरकारी संगठन आदि) के पंजीकरण दस्तावेजों के ब्यौरे ।
- iv) उनके निदेशकों, सहभागियों आदि के नाम और पते ।
- v) आयकर रिटर्न

घोषणा

- 1) मैं/हम झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2000 (यथा संशोधित 2008) और इसके अन्तर्गत बने नियम तथा समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों और समय-समय पर /प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।
- 2) मैं/हम हमारे व्यवसाय के संचालन के बारे में आवश्यक रिकार्ड और सूचना रखने और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु मांगी जाने वाली किसी भी तरह की सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने में सहयोग देने के लिए सहमत हूँ/हैं ।
- 3) मैं/हम कोई भी प्रभार अथवा शुल्क अथवा कानूनी रूप में मेरे द्वारा देय राशि देने के लिए सहमत हूँ ।
- 4) मैं/हम गैर-कानूनी ढंग से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के साथ व्यवसाय न करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सहयोग देने के लिए सहमत हूँ ।

आवेदक के हस्ताक्षर

1. नाम:
पता:
हस्ताक्षर:
2. नाम:
पता:
हस्ताक्षर

(नियम 146 (2) (vi) देखें)

कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाइसेंस धारकों का रजिस्टर और निजी मंडियों और
उपभोक्ता/ कृषक मंडियों की स्थापना करना

क्रम सं०	आवेदक का नाम और पता	लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख	लाइसेंस का प्रकार और जारी करने की तारीख	बाजार क्षेत्र	लाइसेंस शुल्क रूपये (चालान संख्या)	लाइसेंस संख्या और तारीख	लाइसेंस की वैधता	टिप्पणी और हस्ताक्षर
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

फार्म - 36 (क)
(नियम 146 (2) (vi) देखें)

कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद के लिए लाइसेन्सधारकों का रजिस्टर और निजी मंडियों और उपभोक्ता/कृषक मंडियों की स्थापना करना

क्रम सं०	आवेदक का नाम और पता	लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख	लाइसेंस का प्रकार और जारी करने की तारीख	बाजार क्षेत्र	लाइसेंस शुल्क रूपये (चालान तारीख संख्या)	लाइसेंस संख्या और तारीख	लाइसेंस की वैधता	टिप्पणी और हस्ताक्षर
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

फार्म - 37

(नियम 83 (i)(vii) (ख) और 84(3) देखें)

कृषि उपज की प्रत्यक्ष खरीद, निजी बाजार और उपभोक्ता/कृषि बाजार स्थापित करने के लिए लाइसेंस

_____ कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, _____ और _____ कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) नियम _____ के उपबंधों के अधीन _____ निम्नलिखित शर्तों पर श्री _____ (नाम) _____ और दूरभाष _____ है तथा जिसे आगे लाइसेंस के रूप में संदर्भित किया गया है _____ रूप के भुगतान पर _____ बाजार क्षेत्रों में कृषि उपज की सीधी खरीद/निजी बाजार/उपभोक्ता कृषक बाजार की स्थापना और संचालन के लिए एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है :-

1. लाइसेंस उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों तथा लाइसेंस द्वारा दिनांक _____ को प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन के साथ किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा ।
2. यह लाइसेंस हस्तान्तरणीय नहीं होगा ।
3. यह लाइसेंस उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लंबित या रद्द किया जा सकता है । यदि लाइसेंस धारक बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को इच्छापूर्वक बाधित, निलंबित अथवा रोकने की नीयत से बाजार में कोई कृत्य करता हो अथवा बाजार में अपना सामान्य कार्य न करता हो तो उसका लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है ।
4. इस लाइसेंस के निलंबित होने अथवा रद्द होने की स्थिति में इसे निदेशक/प्रबंध निदेशक को अभ्यर्पित (सरंडर) कर दिया जाएगा ।
5. लाइसेंस मिलावट नहीं करेगा और न ही घोषित कृषि उपज में किसी को मिलावट करने देगा ।
6. लाइसेंस बाजार शुल्क का अपवचन (evasion) रोकने में प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन की मदद करेगा ।
7. निदेशक/प्रबंध निदेशक से लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद लाइसेंस धारक 15 दिन के अन्दर उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम सूचित करेगा जो उसकी ओर से उत्तरदायी होंगे ।
8. लाइसेंस धारक उस तरह से बुक, रजिस्टर और रिकार्ड रखेगा जैसा कि /प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन चाहेंगे और उनके द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर वह ऐसे कागज पत्र उन्हें दिखाएगा ।

9. निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर लाइसेंस धारक सूचनाएं और विवरणी उन्हें भेजेगा ।

(क) कृषि उपज निजी मंडियों में खुली नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी ।

(ख) प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस धारक — पर कृषि उपज के मूल्य का नोटिस लगाएगा जिसे वह किसी विशेष तारीख को खरीदेगा ।

(ग) निजी बाजार अथवा प्रत्यक्ष खरीदार सरकार द्वारा विशेष कृषि उपज के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसी भी कृषि उपज को नहीं खरीदेंगे, न ही खरीदने की अनुमति देंगे ।

10. यदि घोषित कृषि उपज लाइसेंसी की एजेंसी अथवा उसके द्वारा बेची जाती है तो इस तरह से बेची गई कृषि उपज का मूल्य वह विक्रेता को उसी दिन देगा ।

11. संबंधित बाजार द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए तथा निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किए गए मामलों में शुल्क या प्रभार वसूलने के अलावा लाइसेंस धारी अन्य मामलों में शुल्क या प्रभार वसूल नहीं करेगा ।

12. लाइसेंसी कोई व्यापार भत्ता नहीं लेगा या वसूल करेगा ।

13. लाइसेंसी प्राधिकृत बाटों और मापकों की व्यवस्था करेगा ।

14. लाइसेंसी, प्रबंध निदेशक /निदेशक विपणन द्वारा अनुमोदित दरों पर लाइसेंस धारक तोलने या मापने वालों और हमाल को भुगतान करेगा और उन्हें किसी घरेलू या निजी कार्य में नहीं लगाएगा ।

15. लाइसेंसी, लाइसेंस नियमों में हुए किसी परिवर्तन की सूचना प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन को देगा ।

16 लाइसेन्सी अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित सभी विवाद झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2013) दी गयी

विधि से आगे भेजेगा

प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन

दिनांक:

तारीख:

लाइसेंस का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	अवधि जिसके लिए नवीकृत किया गया है	निदेशक/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर और तारीख

फार्म - 37(क)

(नियम 146 (2) (vii) (ख) देखें)

निजी ई - बाजार के लिए लाइसेंस

_____ बाजार क्षेत्र में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज के लिए निजी ई -बाजार हेतु _____ (नाम) _____को जिसका पता _____ फोन नं० _____ है और जिसे आगे लाइसेन्सी के रूप में संदर्भित किया गया है, _____ रू० बाजार शुल्क के भुगतान पर कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, _____, और कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) नियम, _____ के उपबंधों के अधधीन, निम्नलिखित शर्तों पर, एतद्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है-

1. लाइसेंसी उक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों तथा लाइसेंसी द्वारा दिनांक_____को प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन के साथ किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा ।

2. यह लाइसेंस हस्तान्तरणीय नहीं होगा ।

3. यह लाइसेंस उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लंबित या रद्द किया जा सकता है । यदि लाइसेंस धारक बाजार क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को इच्छापूर्वक बाधित, निलंबित अथवा रोकने की नीयत से बाजार में कोई कृत्य करता हो अथवा बाजार में अपना सामान्य कार्य न करता हो तो उसका लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है ।

4. इस लाइसेंस के निलंबित होने अथवा रद्द होने की स्थिति में इसे प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन को अभ्यर्पित (सरंडर) कर दिया जाएगा ।

5. लाइसेंसी मिलावट नहीं करेगा और न ही घोषित कृषि उपज में किसी को मिलावट करने देगा ।

6. लाइसेंसी बाजार शुल्क का अपवचन (evasion) रोकने में प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन की मदद करेगा ।

7. प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन से लाइसेंस प्राप्त हो जाने के बाद लाइसेंस धारक 15 दिन के अन्दर उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नाम सूचित करेगा जो उसकी ओर से उत्तरदायी होंगे ।
8. लाइसेंस धारक उस तरह से बुक, रजिस्टर और रिकार्ड रखेगा जैसा कि प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन चाहेंगे और उनके द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर वह ऐसे कागज पत्र उन्हें दिखाएगा ।
9. प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर, लाइसेंस धारक सूचनाएं और विवरणी उन्हें भेजेगा ।
10. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता को उसके द्वारा बेची गई कृषि उपज का मूल्य उसी दिन मिल जाए।
11. संबंधित बाजार द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए तथा प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन द्वारा अनुमोदित किए गए मामलों में फीस या टाभार वसूलने के अलावा, लाइसेंसधारी अन्य मामलों में फीस या प्रभार वसूल नहीं करेगा ।
12. लाइसेंसी कोई व्यापार भत्ता नहीं लेगा या वसूल करेगा ।
13. लाइसेंसी प्राधिकृत बाटों और मापकों की व्यवस्था करेगा ।
14. लाइसेंसी, प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन द्वारा अनुमोदित दरों पर लाइसेंस धारक तोलने या मापने वालों और हमाल को भुगतान करेगा और उन्हें किसी घरेलू या निजी कार्य में नहीं लगाएगा ।
15. लाइसेंसी, लाइसेंस नियमों में हुए किसी परिवर्तन की सूचना प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन को देगा ।
16. लाइसेंसी, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन से संबंधित सभी विवाद झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2013) में दिए गए उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत करेगा ।
17. लाइसेंसी प्रतिदिन फ्यूचर/स्पॉट मूल्य दिखाने के लिए बाजार में प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटर बोर्ड/टर्मिनल की व्यवस्था करेगा ।

प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन

दिनांक:

तारीख:

लाइसेंस का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	कितनी अवधि के लिए नवीकृत किया गया	निदेशक/प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर और तारीख

फार्म- 38

(नियम 146 (5)(i) देखें)

लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,

राँची।

महोदय,

मैं अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना करता हूँ। आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1. उस निजी बाजार यार्ड/निजी बाजार/उपभोक्ता/कृषक बाजार/अन्य विपणन आधारिक संरचना के ब्यौरे जिसके लिए पहले लाइसेंस जारी किया गया है

2. आवेदक का नाम (बाजार यार्ड के स्थान के पूरे विवरण सहित)

3. लाइसेंस का नंबर

4. लाइसेंस की वैधता कब खत्म हुई

5. कितनी अवधि के लिए लाइसेंस का नवीकरण किया जाना है

6. भुगतान किया गया शुल्क

7. भुगतान किया गया जुर्माना, यदि कोई हो, रू० _____

8. क्या आवेदक/आवेदकों को या जहां पर आवेदक, फर्म है, वहां उसके किसी सदस्य को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ,

(क) किसी अन्य बाजार क्षेत्र में कोई लाइसेंस प्रदान किया गया था और वह लाइसेंस लंबित या रद्द हुआ था, यदि हां तो, कब, कहां, कितनी अवधि के लिए और किन कारणों से ऐसा हुआ था _____ या

(ख) भ्रष्टता सहित किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। यदि हां तो दोष सिद्ध होने की तारीख, _____ या

(ग) उसे अनुन्मुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) घोषित किया गया _____

(घ) वह बाजार समिति/बोर्ड को देयों का भुगतान न करने का दोषी हो _____

(1) मैं नवीकरण शुल्क के रूप में रू० _____ का डिमांड ड्राफ्ट सं० _____ दिनांक _____ संलग्न कर रहा हूँ।

(2) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अग्र दिए गए विवरण सही हैं।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

फार्म - 38(क)

(नियम 146 (2) (vii) (ख) देखें)

निजी ई - बाजार के लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

महोदय,

मैं अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना करता हूँ। आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-उस ई -विपणन और अन्य विपणन आधारिक संरचना के ब्यौरे जिसके लिए लाइसेंस जारी किया

गया है :-

आवेदक का नाम

(बाजार यार्ड के स्थान के पूरे विवरण सहित)

लाइसेंस का नंबर

लाइसेंस की वैधता कब खत्म हुई

कितनी अवधि के लिए लाइसेंस का नवीकरण किया जाना है

भुगतान किया गया शुल्क

भुगतान किया गया जुर्माना. यदि कोई हो, रू०

क्या आवेदक/आवेदकों को या जहां पर आवेदक फर्म है, वहां उसके किसी सदस्य को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ :

(क) किसी अन्य बाजार क्षेत्र में कोई लाइसेंस प्रदान किया गया था और वह लाइसेंस लंबित या रद्द हुआ था, यदि हां तो, कब, कहां, कितनी अवधि 7 के लिए और किन कारणों से ऐसा हुआ था _____

(ख) भ्रष्टता सहित किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था । यदि हां तो दोष सिद्ध होने की तारीख, _____ या

(ग) उसे अनुन्मुक्त दिवालिया (Undischarged insolvent) घोषित किया गया _____

(घ) वह बाजार समिति/बोर्ड को देयों का भुगतान न करने का दोषी हो _____

(1) मैं नवीकरण शुल्क के रूप में रू० _____ का डिमांड ड्राफ्ट सं० _____ दिनांक _____ संलग्न कर रहा हूं ।

(2) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उम्र दिए गए विवरण सही हैं ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर